



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122020-223660
CG-DL-E-11122020-223660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942

No. 352]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: मलेशिया से कोटेड अथवा अनकोटेड टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/13/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

- जबकि मैसर्स गुजरात बोरोसिल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने मलेशिया (जिसे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "4.2 एमएम (0.2 एमएम की टोलरेंस सहित) से अनधिक की मोटाई वाले न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण से युक्त और जहां कम से कम एक डाइमेंशन 1500 एमएम से अधिक हो, कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो, टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास" के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की

पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर तथाकथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और सब्सिडीरोधी/प्रतिकारी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 12 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/13/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी द्वारा विषयगत जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने सब्सिडी तथा प्रतिकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार स्थिति स्पष्ट करने और परस्पर सहमत हल निकालने के उद्देश्य से परामर्श के लिए मलेशिया सरकार को आमंत्रित किया। यह परामर्श नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2019 को किया गया था जिसमें मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- ग. प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 12 सितंबर, 2019 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार 12 सितंबर, 2019 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- ङ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी भेजी गई थी।
- छ. प्राधिकारी ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, जिनमें सरकार द्वारा प्रतिकारयोग्य लाभ प्रदान किए जा सकते हैं, के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावलियां भेजीं। मलेशिया सरकार ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जिन पर भी ध्यान दिया गया है।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
 - i. मैसर्स जिंक्सी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी
 - ii. जीएआर लाइटग्लास एसडीएन बीएचडी
- झ. उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
 - i. मैसर्स जिंक्सी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी

- ज. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के अनुसरण में, संबद्ध देश से उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, मलेशिया सरकार ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
- ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- (i) मेसर्स वारी एनर्जीज़ लिमिटेड
 - (ii) मैसर्स एल्पेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - (iii) मेसर्स विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड
 - (iv) मैसर्स सुराणा सोलर लिमिटेड
 - (v) मेसर्स तोपसुन एनर्जी लिमिटेड
 - (vi) मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड
 - (vii) मेसर्स एम्बी फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड
 - (viii) मेसर्स नेवितास ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 - (ix) मेसर्स सोवा पावर लिमिटेड (गोडाउन)
- ठ. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया और आयातक की प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- i. मैसर्स वारी एनर्जीस लि.
 - ii. मैसर्स पतंजली रिन्यूबल एनर्जी प्रा. लि.
 - iii. मैसर्स आइसोलेशन एनर्जी प्रा. लि.
 - iv. मैसर्स गोल्डी सोलर प्रा. लि.
- ड. उत्तरदाता निर्यातकों और उपर्युक्त आयातकों के अलावा, कुछ कानूनी अनुरोध इस जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से प्राप्त हुए हैं:
- (i) मलेशिया सरकार
 - (ii) ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
- ढ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ण. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- त. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और प्रतिकारी शुल्क नियमावली के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के स्थल सत्यापन के माध्यम से आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया था। केवल आवश्यक संशोधन के साथ सत्यापित सूचना, जहां भी लागू थी, पर वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।

- द. उत्पादकों/निर्यातकों तथा मलेशिया सरकार द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था और उस सत्यापित सूचना पर वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- ध. वर्तमान सख्तिरोधी जांच, जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 माह) है। तथापि, जांच की अवधि 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा जांच की अवधि मानी गई है।
- न. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने हेतु 26.02.2020 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की। प्राधिकारी ने 07.01.2011 को 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने परिवर्तन के कारण 24.07.2020 को हुई दूसरी मौखिक सुनवाई भी आयोजित की। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों के प्रत्युत्तर अनुरोध देने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। उनमें किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार किया गया है और उन्हें उपयुक्त रूप से हल किया गया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों पर वर्तमान प्रकटन विवरण में विचार किया गया है।
- फ. इस जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जहां भी संगत पाए गए, को प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन विवरण में हल किया गया है।
- ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- भ. इसके अतिरिक्त, आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी।
- म. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण में रिकार्ड किया है।
- य. एक प्रकटन विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों से युक्त 25 नवंबर, 2020 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था जिसमें प्रकटन विवरण पर यदि कोई टिप्पणियां हैं तो वे प्रस्तुत करने के लिए 30 नवंबर, 2020 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर वर्तमान जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- कक) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.85 रुपए है।
- खख) इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"4.2 एमएम (0.2 एमएम की टोलरेंस सहित) से अनधिक की मोटाई वाले न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण से युक्त और जहां कम से कम एक डाइमेंशन 1500 एमएम से अधिक हो, कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो, टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास"

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क) वर्तमान आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद "4.2 एमएम (0.2 एमएम की टोलरेंस सहित) से अनधिक की मोटाई वाले न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण से युक्त और जहां कम से कम एक डाइमेंशन 1500 एमएम से अधिक हो, कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो, टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) है। संबद्ध सामान में अपेक्षित पारेषण का न्यूनतम स्तर लौह की मात्रा कम रखते हुए, विशिष्ट रूप से 200 पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है, पारेषण स्तर, जब परावर्तनरोधी कोटिंग द्रव से कोटेड होने पर लगभग 2 प्रतिशत-3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कोटेड अथवा अनकोटेड ग्लास टेम्परिंग भट्टी में टेम्पर्ड/टफन्ड किया जाता है क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य होता है। बाजार क्षेत्र में यह उत्पाद विभिन्न नामों, यथा – सोलर ग्लास, लौह अयस्क सोलर ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टेक ग्लास, टेम्पर्ड लौह अयस्क पैटर्न सोलर ग्लास आदि से भी जाना जाता है।
- ख) संबद्ध सामान का प्रयोग सोलर फोटोवोल्टेक पैनलों और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में संघटक के रूप में किया जाता है। 3.2 एमएम और 4 एमएम मोटाई के ग्लास का प्रयोग सामान्यतः वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार सोलर 4 फोटोवोल्टेक पैनलों और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में किया जाता है। संबद्ध सामान अध्याय शीर्ष 70071900 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध सामानों का आयात अन्य विभिन्न प्रशुल्क शीर्षों, यथा - 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 आदि के तहत भी किया जा रहा है।
- ग) प्राधिकारी की सामान्य परिपाटी के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल संकेतात्मक हैं और उत्पाद विवरण सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहेगा।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई टिप्पणी दायर नहीं की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "4.2 एमएम (0.2 एमएम की टोलरेंस सहित) से अनधिक की मोटाई वाले न्यूनतम 90.5 प्रतिशत पारेषण से युक्त और जहां कम से कम एक डाइमेंशन 1500 एमएम से अधिक हो, कोटेड हो अथवा अनकोटेड हो, टेक्सचर्ड टफन्ड (टेम्पर्ड) ग्लास" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) है। संबद्ध सामान में अपेक्षित पारेषण का न्यूनतम स्तर लौह की मात्रा कम रखते हुए, विशिष्ट रूप से 200 पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है, पारेषण स्तर, जब परावर्तनरोधी कोटिंग द्रव से कोटेड होने पर लगभग 2 प्रतिशत-3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कोटेड अथवा अनकोटेड ग्लास टेम्परिंग भट्टी में टेम्पर्ड/टफन्ड किया जाता है क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए अनिवार्य होता है। बाजार क्षेत्र में यह उत्पाद विभिन्न नामों, यथा – सोलर ग्लास, लौह अयस्क सोलर ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टेक ग्लास, टेम्पर्ड लौह अयस्क पैटर्न सोलर ग्लास आदि से भी जाना जाता है।
- ख) संबद्ध सामान का प्रयोग सोलर फोटोवोल्टेक पैनलों और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में संघटक के रूप में किया जाता है। 3.2 एमएम और 4 एमएम मोटाई के ग्लास का प्रयोग सामान्यतः वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार सोलर 4 फोटोवोल्टेक पैनलों और सोलर थर्मल अनुप्रयोगों में किया जाता है। संबद्ध सामान अध्याय शीर्ष 70071900 के तहत वर्गीकृत हैं। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि

संबद्ध सामानों का आयात अन्य विभिन्न प्रशुल्क शीर्षों, यथा - 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 आदि के तहत भी किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल संकेतात्मक हैं और उत्पाद विवरण सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहेगा।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एक मात्र उत्पादक है।

ख) आवेदक ने न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

9. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।"

11. यह आवेदन पत्र विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स गुजरात बोरोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एक मात्र उत्पादक है।

12. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध है। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, इस जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

च. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

13. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के तहत उल्लिखित अपेक्षाओं का पूर्णतया पालन किया है और उपर्युक्त व्यापार सूचना के तहत अपेक्षित समस्त सूचना उपलब्ध कराई है।

ख) आवेदक के वार्षिक लेखा विवरण तथा तुलन पत्र के संबंध में मलेशियाई निर्यातक का तर्क इस तथ्य के मद्देनजर गलत है कि प्राधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा विवरण तथा तुलन पत्र में विशिष्ट विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भी लेखा विवरण तथा तुलन पत्र शामिल है। यद्यपि आवेदक का वार्षिक लेखा विवरण और तुलन पत्र कंपनी स्तर पर आवेदक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित एकल वार्षिक लेखा विवरण और तुलन पत्र गोपनीय हैं तथा विरोधी पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ग) यद्यपि मलेशियाई निर्यातक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति न देने वाले आवेदक के संबंध में मुद्दा उठाया है, तथापि उस निर्यातक ने अपने वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है।

- घ) मलेशिया सरकार, प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक और आयातक के उत्तर प्रतिकारी शुल्क नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न व्यापार सूचनाओं के तहत उनके दायित्वों के अनुसार नहीं है।
- ड) उत्पादक/निर्यातक द्वारा ली गई योजनाओं के नाम गोपनीय होने का दावा किया गया है। इसकी किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना को इस तरह से मानने से घरेलू उद्योग को उनके द्वारा दायर उत्तर पर टिप्पणी करने की क्षमता काफी प्रभावित होती है। दुर्भाग्यवश किसी भी उपर्युक्त पक्षकार ने अपने उत्तर में कमियों के लिए कोई अच्छा प्रयास नहीं किया है और न ही अपने लिखित अनुरोधों में उस सूचना को गोपनीय होने का दावा करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया है।
- च) मलेशिया के निर्यातक और प्रतिभागी आयातक ने प्रश्नावली के उत्तर के भाग पर भी गोपनीयता का दावा किया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि मात्रात्मक आंकड़े भी गोपनीय रखे गए हैं। अत्यधिक गोपनीयता के इस दावे से घरेलू उद्योग की प्राधिकारी को सहायता देने की क्षमता भारी रूप से प्रतिबंधित हुई है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

14. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क) याचिका का अगोपनीय रूपांतर सीवीडी नियमावली के नियम 7 और 8 में तथा डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में उल्लिखित अपेक्षाओं और मानकों का उल्लंघन करता है।
- ख) यह याचिका दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का पालन नहीं करती, जो जांच प्रक्रिया को सुकर बनाने के मद्देनजर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तरों के गोपनीय रूपांतर/अगोपनीय रूपांतर में सूचना के प्रकटन के लिए मानक निर्धारित करती है।
- ग) याचिका का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर का वास्तविक प्रदर्श नहीं है क्योंकि उसे क्रम से संख्या नहीं दी गई है। याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कोई सूची नहीं दी गई है।
- घ) आवेदन पत्र की लागत संबंधी सूचना के उत्तर में घरेलू उद्योग ने बिल्कुल भी कोई सूचना नहीं दी है। घरेलू उद्योग ने "अनुबंध 6 के रूप में संलग्न" के रूप में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तथापि, अनुबंध 6 को बिना किसी औचित्य के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- ड) याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्टें याचिका में औचित्य के बिना किसी आधार के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है:
- "गोपनीय सूचना (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

16. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
17. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उन्हें हल किया गया। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराए। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. अन्य विविध मुद्दे

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

18. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - i. आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध देश में आवश्यकता और मांग-आपूर्ति अंतराल होने के नाते यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग नियमित अंतरालों पर अपनी क्षमताएं बढ़ाता रहा है। वास्तविक स्थिति में हितबद्ध पक्षकार स्वयं अपने अनुरोधों में इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। अतः यह कहना झूठ है कि आयातकों के लिए आयात करना एक आवश्यकता थी। संस्थापित क्षमता घरेलू उद्योग द्वारा नई सुविधा स्थापित कर तथा विद्यमान उपस्करों की क्षमता भी 2019 में 65700 टीपीए से बढ़ाकर 160600 टीपीए तक बढ़ाई गई है।
 - ii. मलेशिया सरकार द्वारा दायर उत्तर विचाराधीन उत्पाद के बजाए किसी अन्य उत्पाद से संबंधित प्रतीत होता है। मलेशिया सरकार द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के भाग ख में प्रश्न 5 में प्रशुल्क सूची संख्याओं की मांग की गई है जो संबद्ध देश के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुरूप है। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में मलेशिया सरकार ने फ्लोट ग्लास और सेफ्टी ग्लास से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। संबद्ध सामानों से संबंधित कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
 - iii. भाग ख में प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में मलेशिया सरकार ने वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 और जांच की अवधि के लिए मलेशिया से भारत को संबद्ध सामानों की निर्यात मात्रा और मूल्य उपलब्ध कराया है। यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर 2017, 2018 और जनवरी-जून, 2019 में मलेशिया से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों की अत्यधिक भारी मात्राएं दर्शाता है। उपर्युक्त आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के लिए सत्य नहीं हो सकते क्योंकि यहां तक कि देश में संबद्ध सामानों की कुल मांग उत्तर में उल्लिखित मलेशिया से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों की मात्रा से काफी कम है।
 - iv. घरेलू उद्योग को उपलब्ध सव्सिडियों के संबंध में यह अनुरोध है कि यह इस जांच की विषय-वस्तु नहीं है और इसीलिए घरेलू उद्योग के लिए इस पर टिप्पणी करना अपेक्षित नहीं है। किसी भी दशा में घरेलू उद्योग को उपलब्ध सव्सिडी (यदि कोई है) भारत को उनके सव्सिडीयुक्त आयातों का चैनल बनाकर भारत में घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने के लिए मलेशिया में उत्पादकों को लाइसेंस प्रदान करना अथवा औचित्य बनाना नहीं है।
 - v. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि 84 प्रतिशत आयात एसईजेड में हो रहे हैं, घरेलू उद्योग यह अनुरोध करना चाहेगा कि जांच की अवधि में डीटीए में आयात 2018-19 में मलेशिया से कुल आयातों के लगभग 77 प्रतिशत थे। इसके अतिरिक्त, 2019-20 में यद्यपि आयातों ने काफी उछाल दिखाया है, तथापि डीटीए आयात मलेशिया से 64 प्रतिशत पर आयातों का प्रमुख भाग रहे हैं।

- vi. हितबद्ध पक्षकारों ने भट्टी की स्थिति और गुणवत्ता मुद्दे से क्षति का संबंध बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय निष्पादन में सुधार का उल्लेख किया है, परंतु 31 दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही परिणामों से सिद्ध लाभप्रदता में गिरावट का संबंध बनाने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का गलत निर्वचन किया है क्योंकि उन्होंने वर्ष 2018-19 के पहले छः माह के निष्पादन से संबंधित बताया है जो वास्तविक रूप से अप्रैल से अगस्त, 2019 अर्थात् जांच की अवधि के बाद की अवधि से संबंधित है।
- vii. सार्वजनिक हित से संबंधित अनुरोधों के संबंध में यह अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकार इसका कोई कारण अथवा उदाहरण देने में विफल रहे हैं कि सब्सिडीरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी के लिए सार्वजनिक हित के मुद्दों की जांच करना कोई कानूनी आधार अथवा दायित्व नहीं है, तथापि हितबद्ध पक्षकार अपने इस दावे को दर्शाने में अत्यधिक विफल रहे हैं कि प्रतिकारी शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं होगा। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि इससे निचले स्तर का प्रयोक्ता उद्योग संबद्ध सामानों की निरंतर एवं विश्वसनीय आपूर्ति कर पाएगा।
- viii. जहां तक क्षति संबंधी मानदंडों और उनकी परिशुद्धता से संबंधित अनुरोधों का संबंध है, घरेलू उद्योग का विनम्र अनुरोध है कि उन्होंने पूरी सूचना दायर की है जो सही और सत्य है। अतः इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया तर्क गलत है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि सभी क्षति संबंधी संख्याओं और लागत संबंधी संख्याओं का प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों की लेखाबहियों से पहले ही सत्यापन कर दिया गया है। क्षति संबंधी मानदंडों का विस्तृत विश्लेषण पहले ही रिकार्ड में है और संक्षिप्तता के लिए यहां सूचित नहीं किया गया है।

च.2 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. याचिका में दी गई घोषणा डीजीटीआर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं है। घोषणा के लिए याचिका में दिया गया प्रमाण-पत्र कि आवेदक द्वारा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया गया है, पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जांच की अवधि जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2018 है जबकि वर्तमान मामले के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 है।
- ii. यहां तक कि भारत सरकार देश में व्यापारियों तथा निवेश करने वाले निवेशकों को कई कर एवं गैर-कर लाभ प्रदान करती है। यद्यपि स्थानीय क्षेत्राधिकारी, यथा राज्य व्यापारों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, तथापि देशव्यापी प्रोत्साहन अत्यधिक व्यापक रूप से लागू हैं और चार श्रेणियों में व्यापक रूप से संगठित हैं: स्थान आधारित, उद्योग विशिष्ट, निर्यात संबद्ध और क्रियाकलाप आधारित।
- iii. सब्सिडीरोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विपरीत होगा और इससे घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनेगा।
- iv. यह याचिका पर्याप्तता और परिशुद्धता के मानदंडों को पूरी नहीं करती तथा ऐसी अपूर्ण याचिका के आधार पर कोई जांच निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
- v. याचिका में कई स्थानों पर और कुछ अन्य स्थानों पर टीटीजी स्तर पर कोटेड तथा अनकोटेड ग्लास के लिए अलग-अलग आंकड़े हैं। यद्यपि इस विभाजन का स्वागत है, तथापि विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र रूप से संयुक्त आंकड़े, जो कि कुल कोटेड और अनकोटेड ग्लास के लिए हैं, भी प्रपत्र ज में दिए जाने चाहिए। अन्यथा परिभाषित किए गए अनुसार संबद्ध सामानों के लिए क्षति उचित रूप से नहीं समझी जा सकती।
- vi. याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से सब्सिडी के संबंध में मलेशियाई उत्पादक को फंसाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि विगत में उपर्युक्त पक्षकार के विरुद्ध पाटन के तर्क को सिद्ध करने में वे विफल रहे हैं। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे याचिकाकर्ताओं के इन दावों का मूल्यांकन करते समय इस पृष्ठभूमि पर विचार करें।

- vii. विचाराधीन उत्पाद का आयात मांग-आपूर्ति अंतराल के भारी स्तर के कारण आवश्यक हो गया था और ऐसी परिस्थिति में कोई सीवीडी नहीं लगाई जानी चाहिए।
- viii. क्षमता संबंधी कठिनाईयों के अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान गुणवत्ता मानकों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं जिससे भी प्रयोक्ता आयातों पर निर्भर हो जाते हैं।
- ix. संबद्ध सामानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका प्रयोग एसईजेड क्षेत्र में कई यूनिटों द्वारा किया जाता है। इन यूनिटों द्वारा किए गए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क/प्रतिकारी शुल्क नहीं है और यह अत्यधिक अनिवार्य है कि एसईजेड क्षेत्र में किए गए आयातों पर क्षति संबंधी जांच के प्रयोजन के लिए गैर-एसईजेड आयातों के साथ विचार नहीं किया जाना चाहिए। एसईजेड यूनिटों द्वारा आयात एसईजेड अधिनियम के मद्देनजर याचिकाकर्ता को किसी परिणाम के फलस्वरूप नहीं है और गैर-एसईजेड क्षेत्र में यूनिटों को एसईजेड यूनिटों द्वारा किए गए किन्हीं आयातों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, प्राधिकारी को तथाकथित सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण क्षति की जांच करने के लिए गैर-एसईजेड क्षेत्र में ही आयातों का प्रयोग करना चाहिए।
- x. पाटनरोधी जांच में जांच परिणाम यह दर्शाते हैं कि एसईजेड यूनिटों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का लगभग 84 प्रतिशत आयात किया गया था और शेष 16 प्रतिशत गैर-एसईजेड क्षेत्र में थे। यह अनुरोध है कि यही पैटर्न वर्तमान जांच की जांचावधि में भी स्पष्ट है जिससे एसईजेड यूनिटों और गैर-एसईजेड यूनिटों द्वारा आयातों को अलग-अलग करना आवश्यक हो जाता है। गैर-एसईजेड क्षेत्र में यूनिटों को एसईजेड यूनिटों द्वारा किए गए आयातों के आधार पर सीवीडी का भुगतान करने का दायित्व नहीं दिया जा सकता और आयातों को अलग-अलग करना अत्यंत अनिवार्य है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. जहां तक याचिका में दिए गए आंकड़ों और प्रमाण-पत्रों में विसंगतियों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजन के लिए सत्यापित सूचना और आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी ने जहां अपेक्षित था, अतिरिक्त सूचना भी मांगी है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया है।
21. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को उपलब्ध सब्सिडी वर्तमान जांच की विषय-वस्तु नहीं है।
22. इस अनुरोध के संबंध में कि सब्सिडीरोधी/प्रतिकारी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडीरोधी/प्रतिकारी शुल्क जांच का प्रयोजन विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडीकरण द्वारा सृजित स्थिति का समाधान करना है। इस जांच का उद्देश्य आयातों को बंद करना नहीं है, बल्कि सब्सिडीयुक्त आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योगों को व्यापारिक स्तर प्रदान करना है।
23. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा मलेशियाई आयातकों को फंसाने का प्रयास है क्योंकि उपर्युक्त पक्षकार के विरुद्ध पाटन का कोई तर्क संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में सिद्ध नहीं किया गया था, अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का क्षेत्र पूर्व में की गई पाटनरोधी जांच से भिन्न है। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच का प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या जांचाधीन वस्तु पर सब्सिडी दी जा रही है अथवा नहीं और क्या भारत में ऐसी वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा वास्तविक क्षति का खतरा हो रहा है।
24. जहां तक मांग-आपूर्ति अंतराल के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने देश में संबद्ध सामानों की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताएं निरंतर बढ़ाई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच का प्रयोजन आयातों को बंद करना नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग को एक व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करना है।
25. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सामानों की गुणवत्ता के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में अपने दावों के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। साथ ही, गुणवत्ता प्रतिकारी शुल्क जांच में कोई मुद्दा नहीं है।

26. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध सामानों के अधिकतर आयात एसईजेड क्षेत्र में हो रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से 75 प्रतिशत से अधिक आयात डीटीए में थे। साथ ही, यह मानना महत्वपूर्ण है कि एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए को विचाराधीन उत्पाद की किसी भी बिक्री पर एसईजेड अधिनियम की धारा 30 के अनुसार विचाराधीन उत्पाद पर लागू शुल्क सीवीडी भी लगेगा। अतः प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग दोनों के परिप्रेक्ष्य से एसईजेड यूनिटों से संबंधित चिंताओं को संगत नियमों के प्रावधानों के माध्यम से उपयुक्त रूप से हल किया गया है।

च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

27. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में जांच की शुरुआत से पूर्व वर्तमान जांच शुरू करने के लिए संबद्ध देश में प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया गया है। मलेशिया सरकार को नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2019 को परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। मलेशिया के उत्पादकों और निर्यातकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रश्नावली का उत्तर दायर करें और ऐसी सब्सिडी यदि कोई है, कि मौजूदगी तथा मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
28. इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाइलैंड सरकारों सहित इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाइलैंड के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. मैसर्स जिंक्सी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी

तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य अवलोकन

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. जिनी सोलर का उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने मलेशिया में स्थित अपनी संबद्ध कंपनी यथा जिनी स्मार्ट की सूचना नहीं दी है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक जिनी स्मार्ट के आंकड़ों की जांच नहीं की जाती, प्राधिकारी जिनी सोलर द्वारा लिए गए कुल सब्सिडी लाभ का परिकलन करने की स्थिति में नहीं होंगे।
- ii. निर्यातकों ने इस आधार पर अधिकतर योजनाओं के संबंध में "लागू नहीं" उल्लिखित किया है कि कंपनी ने विशिष्ट कार्यक्रम नहीं लिये, तथापि जब कोई कंपनी किसी कार्यक्रम के लिए पात्र है, तो यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसे कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं मिला होगा। इस प्रकार, या तो कंपनी को पात्रता न होना दर्शाना चाहिए अथवा यह दर्शाना चाहिए कि उसने वह लाभ क्यों नहीं लिया जो कार्यक्रम के तहत उपलब्ध है।
- iii. मलेशिया के निर्यातकों ने केवल तीन कार्यक्रमों के संबंध में उत्तर दिया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित 15+ कार्यक्रमों के लिए एक भी अनुरोध नहीं किया है।
- iv. मलेशिया सरकार द्वारा दायर उत्तर निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर का विरोधाभासी है। मलेशिया सरकार ने उल्लेख किया है कि वे गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। तथापि, निर्यातकों ने ऐसी किसी सब्सिडी की कोई जानकारी होने से इंकार किया है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- v. एससीएम करार के अनुच्छेद 11.3 में जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करने के लिए याचिका में दिए गए साक्ष्य की परिशुद्धता और पर्याप्तता की समीक्षा करें कि क्या किसी जांच की शुरुआत के औचित्य के लिए वह "पर्याप्त" है।
- vi. यह नोट किया जाना चाहिए कि "प्रथम दृष्टया" और "पर्याप्त" पूर्णतया दो भिन्न शब्द हैं, भिन्न मानक बताते हैं और परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता प्रतिकारी सब्सिडी से युक्त तीन घटकों अर्थात् सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान; लाभ; और विशिष्टता की मौजूदगी सिद्ध नहीं कर पाए।

- vii. भारत सरकार के मूल्यांकन के निम्न मानक का सतत प्रयोग और यह निर्धारित करने में उसकी विफलता कि याचिका में संबद्ध सामानों का निर्यात करने वाले उत्पादकों के सब्सिडीकरण के "पर्याप्त साक्ष्य" का प्रावधान है तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है, एक खतरनाक त्रुटि है।

च.3 परिकलन सिद्धांत

31. एएससीएम के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 1 के पैरा 1 के अनुसरण में प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ के परिकलन के लिए दिशा-निर्देशों तथा सिद्धांत का प्रावधान है और उसमें यह भी प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगी। इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति उनके राष्ट्रीय कानून अथवा संबंधित सदस्य के कार्यान्वयन विनियमों में दी जाएगी और प्रत्येक प्रकरण विशेष में उसका अनुप्रयोग पारदर्शी तथा पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगा। आवश्यकता के अनुसार, सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीयुक्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में सब्सिडीकरण की मात्रा के निर्धारण के लिए सिद्धांत निर्धारित है। इस जांच में निर्धारण इन दिशा-निर्देशों के अनुसार है।
32. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रतिकारी योग्य कार्यक्रम के तहत केवल एक बार स्वीकार्य सब्सिडी की प्रतिकार योग्यता निर्धारित की है न कि दोहरी प्रतिकार योग्यता लेने के लिए।

च.4 याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम सं. 1: प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी

क. घरेलू उद्योग के अनुरोध

33. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत गैस प्रदाता कंपनी द्वारा विनिर्माण क्षेत्र और विद्युत उत्पादकों को सब्सिडीयुक्त दर पर प्राकृतिक गैस प्रदान की जाती है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया कि यह सब्सिडी विनिर्माण क्रियाकलापों में लगे उद्योगों तथा विद्युत उत्पादकों के लिए उपलब्ध है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों को सस्ती गैस की पहुँच प्रदान करते हुए विद्युत उत्पादन की लागत कम हो जाती है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस प्रकार उत्पादित विद्युत बाद में सस्ती दर पर विनिर्माण उद्योगों को दी जाती है जिससे समग्र लागत में काफी कमी आती है। उन्होंने अनुरोध किया कि गैस और विद्युत ग्लास उद्योग में विनिर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण संघटक हैं और इस प्रकार यह योजना मलेशियाई उत्पादकों को लाभ प्रदान करती है। याचिकाकर्ता के अनुसार, गैस कंपनी को सब्सिडीकरण की सीमा तक सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
34. कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया:
- गैस कंपनी "गैस मलेशियाई बेहराडः" की वार्षिक रिपोर्ट
 - मलेशिया के ऊर्जा आयोग द्वारा प्रकाशित विनियमित और अविनियमित गैस कीमतें।
 - सीएमबी इंटरनेशनल में प्रकाशित जिनी सोलर की प्रतिपूर्तियों का विश्लेषण जो यह दर्शाती है कि जिनी सोलर की 2018 में 10 प्रतिशत कम तक गैस लागत थी जो 2017 में 30 प्रतिशत थी, परंतु 2018 से 18 प्रतिशत कीमत वृद्धि के बाद कम हो गई।
 - निवेश अधिनियम, 1986

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

35. 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट से पूर्व मलेशिया में निचले स्तर के उपभोक्ताओं को गैस की कीमत बाजार मूल्य के आधार पर थी। संविदागत रूप से गैस की कीमतें पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्थापन के लिए संबद्ध थीं। संकट के जवाब में सरकार द्वारा कार्यान्वित वसूली पैकेज और समग्र उद्दाल के भाग के रूप में घरेलू गैस कीमतें बाद में विनियमित की गई थीं। अक्टूबर, 2002 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए गैस की कीमतों को विनियमित करना शुरू किया जहां औद्योगिक क्षेत्र के लिए गैस की कीमतें बाजार कीमत से कम थीं।

36. औद्योगिक क्षेत्र के लिए कीमत समायोजनों में प्रत्येक छः माह में आरएम 1.50/मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की वृद्धि से 2014 से कीमत संशोधन के ग्यारह चक्र हुए। मार्च, 2019 को, औद्योगिक क्षेत्र के लिए औसत गैस प्रशुल्क आरएम 32.92/एमएमबीटीयू था। विनियमित गैस कीमत 2020 में बाजार कीमत तक पहुँचने की उम्मीद थी। उस स्थिति में वर्तमान विनियमित गैस कीमत बाजार कीमत से थोड़ी सी कम है।
37. वर्तमान में, मलेशिया में गैस कीमतों की दो श्रेणियाँ हैं जो द्वि-स्तरीय कीमत तंत्र यथा विनियमित गैस कीमत और बाजार आधारित एलएनजी सूचीबद्ध कीमत के रूप में सही-सही उल्लिखित की जाती हैं। विनियमित गैस कीमत की व्यवस्था के तहत, जो केवल पूर्ण विद्यमान संविदाओं के साथ ग्राहकों पर लागू होती है, सरकार पैट्रोनेस तथा गैस मलेशिया बेहराड (जीएमबी) द्वारा आपूर्ति की गई गैस की कीमत को विनियमित करती है। दूसरी ओर, एलएनजी सूचीबद्ध कीमत पूर्व विद्यमान संविदाओं वाले ग्राहकों से अतिरिक्त मात्रा सहित सभी नई मात्राओं के लिए लागू है।
38. इसके अलावा, सरकार ने प्रोत्साहन आधारित विनियम (आईबीआर) कार्यवाही भी निर्धारित किया है जिसमें जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2019 तक तीन वर्षों के लिए औद्योगिक ग्राहकों के लिए आधार प्रशुल्क निर्धारित है। यह आईबीआर कार्यवाही प्रति छः माह में गैस कॉस्ट पास – थ्रू (जीसीपीटी) तंत्र के माध्यम से पास किए जाने के लिए गैस लागतों में परिवर्तन की अनुमति देता है। जीसीपीटी वह तंत्र है जो गैस की लागत के अंतर को आगे ले जाने के लिए तंत्र है जो आधार प्रशुल्क में पूर्वानुमानित गैस लागत और वास्तविक गैस लागत के बीच अंतरों के कारण किया गया। जीसीपीटी प्रति छः माह में जनवरी और जुलाई में कार्यान्वित किया जाता है। यह दर या तो छूट अथवा अधिभार होगी।
39. औद्योगिकी ग्राहकों पर लगाई गई गैस कीमत प्रशुल्क श्रेणी पर आधारित है। उसी प्रशुल्क श्रेणी में सभी ग्राहकों पर वही कीमत लगाई जाएगी।
40. चूंकि यह कार्यक्रम औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है, अतः कोई आवेदन प्रक्रिया लागू नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम गैस आपूर्ति अधिनियम, 1993 द्वारा नियंत्रित होता है। सब्सिडी कार्यक्रम विद्युत क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की कीमतों की दरें विनियमित करने की अनुमति देता है। यह नोट किया जाता है कि मलेशिया सरकार ने स्वीकार किया है कि सब्सिडी गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी को प्रदान की जाती है जो इसके बदले निर्यातकों को घटी हुई दरों पर गैस की आपूर्ति करती हैं। अंतर की वसूली फिर मलेशिया सरकार से उपर्युक्त कंपनी द्वारा की जाती है। इस प्रकार, मलेशिया सरकार द्वारा सीधा वित्तीय योगदान है। इसके अतिरिक्त, मलेशिया सरकार के उत्तर में यह उल्लिखित है कि:

"सरकार ने प्रोत्साहन आधारित विनियम (आईबीआर) कार्यवाही भी निर्धारित किया है जिसमें जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2019 तक तीन वर्षों के लिए औद्योगिक ग्राहकों के लिए आधार प्रशुल्क निर्धारित है। यह आईबीआर कार्यवाही प्रति छः माह में गैस कॉस्ट पास – थ्रू (जीसीपीटी) तंत्र के माध्यम से पास किए जाने के लिए गैस लागतों में परिवर्तन की अनुमति देता है। जीसीपीटी वह तंत्र है जो गैस की लागत के अंतर को आगे ले जाने के लिए तंत्र है जो आधार प्रशुल्क में पूर्वानुमानित गैस लागत और वास्तविक गैस लागत के बीच अंतरों के कारण किया गया। जीसीपीटी प्रति छः माह में जनवरी और जुलाई में कार्यान्वित किया जाता है। यह दर या तो छूट अथवा अधिभार होगी।"

42. मलेशिया सरकार के इस तर्क के संबंध में कि यह कार्यक्रम औद्योगिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी यह देखते हैं कि मलेशिया सरकार ने गैस कीमत तंत्र में सब्सिडी घटक की मौजूदगी स्वीकार की है जो औद्योगिक उत्पादकों को दी जाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिकार योग्य होने के लिए सब्सिडी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सीधे ही संबंधित उद्यम को उपलब्ध कराए जाएं। इस संदर्भ में, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 के तहत "सब्सिडी" की परिभाषा का उल्लेख करना उपयुक्त होगा।
43. प्राधिकारी इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि न तो मलेशिया सरकार और न ही मलेशिया से सहयोगी उत्पादक ने इस योजना की प्रतिकार योग्यता के विरुद्ध कोई अनुरोध किया है। फिर भी प्राधिकारी इस योजना की प्रतिकार योग्यता की निम्नलिखित रूप में जांच करते हैं:

- i. मलेशिया सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह उल्लेख है कि मलेशिया में गैस की कीमतें सरकार द्वारा विनिर्मित की जाती हैं।
- ii. मलेशिया सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि गैस की बाजार कीमतों और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए गैस की कीमतों में कीमत अंतर है।
- iii. इसके अतिरिक्त, मलेशिया सरकार के उत्तर में यह भी उल्लेख है कि औद्योगिक ग्राहकों के लिए लगाई गई गैस कीमत खपत आधारित प्रशुल्क प्रणाली दर्शाते हुए प्रशुल्क श्रेणी के आधार पर है।

44. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है।

(ii) कार्यक्रम संख्या 2 : बाजार विकास अनुदान

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

45. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि यह योजना निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए एसएमईज़ के लिए मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण (एमआईडीए) द्वारा शुरू की गई है। एमडीजी कार्यक्रम के तहत एसएमई के लिए अधिकतम अनुदान आरएम 200,000 है। एसएमई को कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी स्वामित्व के साथ कंपनी अधिनियम, 1965 के तहत शामिल होना चाहिए। साक्ष्य तथा कानूनी आधार सामान्य नीतियां, सुविधाएं और बाजार विकास अनुदान (एमडीजी) – 2016 के लिए दिशा-निर्देश हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

46. यह निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में एसएमई की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए ग्यारवीं मलेशिया योजना (आरएमके 11, 2016-2020) के तहत निर्मित सतत् कार्यक्रम है।
47. एमडीजी में मलेशियाई एसएमईज़ के लिए निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों, यथा – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार एवं निवेश मिशनों/निर्यात वर्धन मिशनों, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए और सुपर मार्केटों, हाइपर मार्केटों अथवा विदेशों में खुदरा केंद्रों में मेड इन मलेशिया उत्पादों के लिए शुल्कों की सूची बनाने में भाग लेने के लिए आरएम 200,000 तक प्रतिपूर्ति योग्य अनुदान के लिए आवेदन करने का प्रावधान है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार विकास योजना (एमडीपी) 2002 में शुरू की गई थी। यह ग्यारहवीं मलेशियाई योजना (2016-20) का भाग है। यह निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में एसएमई की प्रतिभागिता बढ़ाने के इरादे से है। एमडीपी एसएमईज़ को निर्यात संवर्धनात्मक क्रियाकलापों, यथा – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, व्यापार एवं निवेश मिशनों/निर्यात वर्धन मिशनों, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए और सुपर मार्केटों, हाइपर मार्केटों अथवा विदेशों में खुदरा केंद्रों में मेड इन मलेशिया उत्पादों के लिए शुल्कों की सूची बनाने में भाग लेने के लिए आरएम 200,000 तक प्रतिपूर्ति योग्य अनुदान प्रदान करती है।
49. इस सब्सिडी कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्राप्तकर्ता को प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर आकस्मिक है। अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नोट किए जाने के लिए है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं दिया जाता है।

(iii) कार्यक्रम संख्या 3 : पायनियर स्थिति

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

50. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत जिस कंपनी को पायनियर स्तर प्रदान किया जाता है, उसे कारपोरेट आय कर से छूट मिलेगी। यह कार्यक्रम उस विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धित क्रियाकलापों/उत्पादों में निवेश को प्रोत्साहित करना है जो कंपनी के विकास और वृद्धि में योगदान कर सकता है। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संवर्धित उत्पादों/क्रियाकलापों के लिए स्थानीय एवं विदेशी निवेशकों दोनों के लिए लागू है। आय कर के भुगतान से पांच वर्ष की आंशिक छूट प्रदान की जाती है। कंपनी अपने उत्पादन दिवस शुरू होने वाली छूट अवधि से अपनी सांविधिक आय के 30 प्रतिशत पर कर देती है। मिलाए न गए पूंजीगत भत्ते और पायनियर

अवधि के दौरान हुई हानियां अग्रेणीत की जा सकती हैं और कंपनी की पायनियर के बाद की आय से घटाई जा सकती हैं। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन
- जीएएटी, 1994 के अनुच्छेद xvi:1 तथा सब्सिडी संबंधी करार के अनुच्छेद 25 और प्रतिकारी उपाय – मलेशिया दिनांक 05 अक्तूबर, 2017 के अनुसरण में नई तथा पूर्ण अधिसूचना।
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- उन संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों की सूची, जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत पायनियर स्तर और निवेश कर भत्ते के विचारार्थ पात्र हैं।
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के मलेशिया अधिनियम 327 के कानून, भाग-II, खंड 5, 6, 7 पायनियर स्तर से संबंधित हैं
- वेब रिपोर्ट: एक्जिम बैंक का निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण
- यूएस निष्कासित मलेशिया के माध्यम से।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

51. कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एमआईटीयू) के तहत एक एजेंसी मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण (एमआईडीए) को पायनियर स्तर कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि कंपनी ने लगाई शर्तों का पालन किया है। एमआईडीए के यह संतुष्ट होने पर कि कंपनी ने शर्तों का पालन किया है, एमआईडीए कंपनी के लिए उत्पादन तारीख निर्धारित करेगा और उत्पादन के आरंभ और समाप्ति की तारीख निर्धारित करेगा। बाद में कार्यक्रम में अनुमोदित कंपनियां अपनी कटौतियों के लिए दावे के परिकलन से युक्त अपनी वार्षिक कर विवरणियों के साथ इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड को अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। आवेदकों को अनुमोदन समिति के माध्यम से भी आगे आना होगा।
52. कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन पायनियर स्तर और निवेश कर भत्ते हैं। ये प्रोत्साहन पारस्परिक रूप से समग्र हैं। निवेशक अधिनियम, 1986 की धारा 5.25 संवर्धन इसके प्रमाण हैं। यह लाभ किए गए करों से छूट है। साथ ही हानियों को अग्रेणी भी किया जा सकता है।
53. पायनियर स्तर के लिए पात्रता मानदंड ऐसा मामला है, जैसे पूंजीगत निवेश, महत्वपूर्ण संपर्क बनाने के लिए सक्षम, प्रतिस्थापन का आयात, उच्च मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकी, ग्रीन प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, विनिर्माण सहायता सेवाओं के विकास में योगदान और देश के आगे जाने वाले प्रभाव।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5 से 25 में पायनियर स्तर कार्यक्रम का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में आय कर से छूट के रूप में कर प्रोत्साहन का प्रावधान है। छूट की अवधि के दौरान हुई हानियों को कर योग्य आय/निवल लाभ को ऑफ सेट करने के लिए बाद के वर्षों के लिए अग्रेणीत किया जा सकता है। यह कार्यक्रम संवर्धित उत्पादों/क्रियाकलापों की पूर्व निर्धारित सूची के लिए उपलब्ध है।
55. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व, जो अन्यथा बकाया है, के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह सूची में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप/उत्पाद के लिए उपलब्ध है। अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होना नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(iv) कार्यक्रम संख्या 4 : निवेश कर भत्ता

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

56. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत, जिस कंपनी को निवेश कर भत्ता (आईए) प्रदान किया गया है, वह प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए सांविधिक आय के विरुद्ध इस भत्ते को ऑफसेट करने की हकदार है। यह

कार्यक्रम उस विनिर्माण क्षेत्र में संबंधित क्रियाकलापों/उत्पादों में निवेश प्रोत्साहित करता है जो कंपनी के विकास और वृद्धि में योगदान कर सके। यह विनिर्माण क्षेत्र में अनुमोदित संबंधित उत्पादों/क्रियाकलापों के लिए स्थानीय एवं विदेशी दोनों निवेशकों पर लागू होता है। प्रथम अर्हक पूंजी व्यय करने की तारीख से 5 वर्षों के भीतर किए गए अर्हक पूंजी व्यय पर 60 प्रतिशत भत्ता दिया जाता है। कंपनी प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए अपनी सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध इस भत्ते को ऑफसेट कर सकती है। उसकी सांविधिक आय के शेष 30 प्रतिशत पर विद्यमान कंपनी कर दर पर कर लगेगा। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन
- जीएएटी, 1994 के अनुच्छेद xvi:1 तथा सब्सिडी संबंधी करार के अनुच्छेद 25 और प्रतिकारी उपाय – मलेशिया दिनांक 05 अक्तूबर, 2017 के अनुसरण में नई तथा पूर्ण अधिसूचना।
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- उन संबंधित क्रियाकलापों और उत्पादों की सूची, जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत पायनियर स्तर और निवेश कर भत्ते के विचारार्थ पात्र हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

57. निवेश कर भत्ता (आईटीए) उस किसी भी कंपनी को प्रदान किया जा सकता है जो संबंधित क्रियाकलाप में भाग लेना चाह रही हो या मलेशिया के लिए राष्ट्रीय एवं नीतिगत महत्व के क्रियाकलाप/उत्पाद सहित संबंधित उत्पाद का उत्पादन करना चाह रही हो। संबंधित क्रियाकलाप तथा संबंधित उत्पादन निर्धारित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा राजपत्र में दिए जाते हैं। निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26-29 (अधिनियम 327) इसके साक्ष्य हैं।
58. यह भत्ता संबंधित उत्पादों के उत्पादन अथवा संबंधित क्रियाकलापों के लिए सीधे ही प्रयुक्त औद्योगिक भवनों, संयंत्र एवं मशीनरी पर किए गए पूंजीगत व्यय पर ही दिया जाता है। कंपनियों को एमआईटीआई के तहत एक एजेंसी एमआईडीए को आईटीए कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कंपनी को फिर आईटीए अवधि की शुरुआत स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जो कि एमआईडीए द्वारा विधिवत प्रमाणित पहले पूंजीगत व्यय होने पर होती है। उसके बाद इस कार्यक्रम में अनुमोदित कंपनियां कर कटौतियों के लिए दावे के परिकलन से युक्त अपनी वार्षिक कर विवरणियों के साथ इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड (आईआरबी) को अपने दावे प्रस्तुत करती हैं।
59. आईटीए के लिए पात्रता मानदंड मूल्यवर्धित (वीए) प्रतिशतता और एमटीएस सूचकांक द्वारा मापे गए अनुसार प्रौद्योगिकी के स्तर हैं।
60. जिन सभी व्यक्तियों/फर्मों ने आवेदन किया है और सभी पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, उन सभी को अनुमोदित नहीं किया जाता है। आवेदकों को अनुमोदन समिति के माध्यम से जाने की आवश्यकता होगी। यह सहायता कर योग्य आय से एक कटौती है। इस भत्ते को पूर्णतः उपयोग में लाए जाने तक अग्रणी किया जा सकता है।
61. कंपनी पायनियर स्तर प्राप्त करने का चयन कर सकती है, परंतु निवेश कर भत्ता प्राप्त करने की नहीं कर सकती अथवा निवेश कर भत्ता प्राप्त करने का चयन कर सकती है, परंतु पायनियर स्तर का नहीं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26 से 29 तक में निवेश कर भत्ता कार्यक्रम का प्रावधान है। संबंधित क्रियाकलापों और संबंधित उत्पादों को पूंजीगत भत्ता प्रदान किया जाता है। मूल्यवर्धन तथा प्रौद्योगिकीय अपेक्षाओं को भी पूरा किया जाना होता है। कुल पूंजीगत व्यय में से 60 प्रतिशत पूंजीगत व्यय भत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है और पांच वर्षों के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध कटौती की जा सकती है। शेष आय पर सामान्य आय कर दर पर कर लगाया जा सकता है। यहां तक कि उन कंपनियों के लिए जो संबंधित क्रियाकलाप, मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी के स्तर के सूचीबद्ध मानदंड पूरा करती हैं, प्राधिकारी इस कार्यक्रम के तहत लाभ की मांग करने वाले आवेदक को रद्द करने का विवेकाधिकार रखते हैं।

63. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन कुछ उद्यमों के लिए सीमित है जो संवर्धित उत्पाद को पूरा करते हैं और प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं। पायनियर स्तर से आय कर की छूट प्राप्त करने वाले कंपनी इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि प्रतिकारी शुल्क पायनियर स्तर के तहत आय कर से छूट के लिए लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई भी अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम सं. 5 : वर्धित पूंजी भत्ता

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

64. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत एक विशेष भत्ता दिया जाता है, जहां पूंजीगत व्यय को तीन वर्षों के भीतर बट्टे खाते में डाला जाता है अर्थात् 40 प्रतिशत का आरंभिक भत्ता और 20 प्रतिशत का वार्षिक भत्ता। पुनर्निवेश भत्ते के लिए 15 वर्ष की पात्रता अवधि के बाद संवर्धित उत्पादों के विनिर्माण में पुनः निवेश करने वाली कंपनियां वर्जित पूंजीगत भत्ते के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। आवेदन पत्र एमआईडीए से यह प्रमाणित कराते हुए एक पत्र के साथ आईआरबी को प्रस्तुत किए जाने होते हैं कि कंपनियां संवर्धित क्रियाकलापों/उत्पादों का विनिर्माण कर रही हैं। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

i. निवेश अधिनियम, 1986 का संवर्धन

ii. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>

iii. उन संवर्धित क्रियाकलापों और उत्पादों की सूची, जो निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 के तहत पायनियर स्तर और निवेश कर भत्ते के विचारार्थ पात्र हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

65. वर्धित पूंजीगत भत्ते (एसीए) में दो वर्षों के भीतर पूंजीगत व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए भत्तों अर्थात् प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत के आरंभिक भत्ते और 40 प्रतिशत के वार्षिक भत्ते का प्रावधान है। यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और आईआरबी एसीए प्रदान करने में वस्तुपरक मानदंड लागू करता है। इस कार्यक्रम में प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात शर्तों से संबद्ध नहीं है, विशिष्ट नहीं है और यह सामान्य रूप से उपलब्ध है। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती किया जाने वाला वर्धित पूंजीगत भत्ता है। इस भत्ते को अग्रेणीत किया जा सकता है। सामान्य रूप से वर्धित पूंजीगत व्यय (एसीए) के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी ही होती हैं:

- वह आधार अवधि के दौरान व्यापार कर रहा था
- उसने आधार अवधि में अर्हक व्यय किया हो
- परिसंपत्ति का प्रयोग व्यापार के प्रयोजन के लिए किया गया हो, और
- आधार अवधि के अंत में वह परिसंपत्ति का स्वामी हो और परिसंपत्ति का प्रयोग किया जा रहा हो।

66. जांचाधीन कंपनियां एसीए का दावा करने के लिए पात्र होंगी, यदि वे मानदंडों को पूरा करती हैं और सरकार विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करती कि कौन-सी फर्म लाभ के लिए पात्र है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में दो वर्षों के भीतर कुल पूंजीगत व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए पूंजीगत भत्ते अर्थात् प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत के आरंभिक भत्ते और 40 प्रतिशत के वार्षिक भत्ते का प्रावधान है।
68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस संवर्धित क्रियाकलाप को करने के लिए कुछ उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो इस भत्ते का प्रयोग करने की अर्हता रखते हैं और पात्रता के 15 वर्ष की अवधि की

समाप्ति के कारण पुनः निवेश भत्ते के लिए अर्हता नहीं रखते। अतः यह इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है, तथापि इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(vi) कार्यक्रम संख्या 6 : मलेशियाई ब्रांड के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

69. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत घरेलू रूप से स्थानीय ब्रांड के उत्पादों के विज्ञापन पर किए गए खर्च को दोहरी कटौती की अनुमति दी जाती है, अर्थात् कुछ क्रियाकलापों पर किए गए खर्च को कर योग्य लाभों के विरुद्ध दो बार खत्म किया जा सकता है। स्थानीय ब्रांड में मलेशियाई ब्रांड नाम के पंजीकृत स्वामी द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व होना चाहिए जो उस कंपनी के स्वामित्व में होना चाहिए जो कि स्थानीय रूप से कम से कम 70 प्रतिशत मलेशियाई स्वामित्व और मलेशिया अथवा विदेश में पंजीकृत होने के साथ शामिल हो। इस कटौती का दावा एक मूल्यांकन वर्ष में एक कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- आय कर निर्यात संवर्धन नियमावली, 1986
- इनलैंड बोर्ड रेवेन्यू ऑफ मलेशिया पब्लिक रूलिंग 1/2013
- मलेशियाई विदेश व्यापार विकास निगम

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

70. मलेशियाई ब्रांड नाम के सामानों में अर्हक विज्ञापनों के लिए व्यय किसी व्यापार से समायोजित आय निकालने में दोहरी कटौती के लिए पात्र है। आय कर (मलेशियाई ब्रांड नाम के सामानों पर विज्ञापन व्यय के लिए कटौती) नियमावली, 2002 साक्ष्य में दी जाती हैं। आवेदक कंपनियों को प्रपत्र पूरा करके और मलेशियाई ब्रांड के सामानों का विज्ञापन करने के लिए मलेशिया के अंतर्गत किए गए व्यय से संबंधित व्यापार प्राप्तियों की प्रति के साथ दावे सिद्ध कर प्रोत्साहन के लिए दावा करना होता है। मूल समर्थक दस्तावेज आईआरबी द्वारा लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा रखे जाने चाहिए। दावा उस वित्तीय वर्ष (आधार अवधि) के लिए वार्षिक कर विवरणियों में किया जा सकता है जिनमें व्यय किया गया है। जांचाधीन कंपनियां कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र होंगी, यदि वे मानदंडों को पूरा करती हैं। सहायता कर योग्य आय से कटौती है। इस कटौती को अग्रेणीत किया जा सकता है।
71. इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का अनुमान नहीं है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आय कर (मलेशियाई ब्रांड नाम के सामानों पर विज्ञापन व्यय के लिए कटौती) नियमावली, 2002 द्वारा शासित है। इस कार्यक्रम के तहत मलेशियाई ब्रांड के विज्ञापन पर किया गया खर्च व्यापार आय से दोहरी कटौती के लिए पात्र है। इस दोहरी कटौती के लिए अर्हता हेतु कंपनी में 70 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी होनी चाहिए और ब्रांड नाम निर्यात गुणवत्ता के सामानों का होना चाहिए।
73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय हो और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उद्यम के लिए उपलब्ध है जो मलेशियाई ब्रांड के विज्ञापन पर व्यय करता है। अतः यह इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है, तथापि इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(vii) कार्यक्रम संख्या 7 : आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर वापसी

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

74. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क जिनका भुगतान कर दिया गया है, पर विनिर्माता द्वारा वापसी का दावा किया जा सकता है, यदि अधिनियमों में

निर्धारित शर्तों के आधार पर एक वर्ष के भीतर निर्यात के लिए सामानों के विनिर्माण में हिस्से पुर्जों, कच्ची सामग्री अथवा पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया गया हो। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- सीमा अधिनियम, 1967 की धारा 99
- बिक्री कर अधिनियम, 1972 की धारा 29
- उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1976 की धारा 19

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

75. इस कार्यक्रम में उन आयातित सामानों पर शुल्क आयात वापसी का प्रावधान है, जो बाद में पुनः निर्यात किए जाते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी की परिभाषा का अपवाद) के अनुबंध-I, II और III के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन की प्रत्याशा नहीं है। कंपनियों को रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट (आरएमसीडी) को सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 93, 95, 99 के तहत वापसी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। फिर कंपनियों को आयात/निर्यात घोषणा तथा संगत आयात/निर्यात दस्तावेजों के साक्ष्य देने होते हैं। आरएमसीडी वापसी किए जाने अथवा अनुमोदित न किए जाने से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम का संचालन रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम में उन सामानों पर आयात शुल्क वापसी का प्रावधान है जो बाद में पुनः निर्यात किए जाते हैं। तथापि, यह नोट किया जाता है कि मलेशिया सरकार ने शुल्क वापसी किए जाने का तंत्र नहीं दर्शाया है।
77. अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

(viii) कार्यक्रम संख्या 8 : बिक्री कर छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

78. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि व्यापार करने की लागत कम करने के लिए और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने बिक्री कर की छूट दी है। यह कार्यक्रम आरएमसीडी द्वारा अनुमोदित और संचालित किया जाता है और 01.09.2018 को स्थापित किया गया था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस योजना के तहत आरएम 100,000 से कम के वार्षिक कारोबार वाले विनिर्माताओं को लाइसेंस से छूट है और इस प्रकार उन्हें अपने उत्पादन पर बिक्री कर देने से छूट है। तथापि, ये विनिर्माता लाइसेंस का विकल्प ले सकते हैं और इसके बजाए अपने उत्पादन पर बिक्री कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

79. इस कार्यक्रम में बिक्री कर (कर के भुगतान से छूटशुदा व्यक्ति) आदेश, 2018 के तहत आयात पर और स्थानीय रूप से विनिर्मित सामानों की खरीद बिक्री कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है। ये छूटें तीन (3) अनुसूचियों में वर्गीकृत हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में उन व्यक्तियों अथवा विनिर्माताओं को बिक्री कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है जो पात्रता मानदंडों और शर्तों को पूरा करते हैं। यह लाभ निर्यातकों को बिक्री कर की छूट के रूप में है जो अन्यथा देय है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ उद्यमों को उपलब्ध है जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। यह छूट संयंत्र और मशीनरी के आयात और घरेलू बाजार में विषय वस्तुओं की बिक्री पर भी है।

(ix) कार्यक्रम संख्या 9 : आउटसोर्सिंग विनिर्माण क्रियाकलापों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

81. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत व्यापार करने की लागत कम करने के लिए और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कम से कम 60 प्रतिशत मलेशियाई इक्विटी के साथ मलेशियाई ब्रांडों को आयात शुल्क और बिक्री कर छूट दी जाती है जो विनिर्माण क्रियाकलापों को बाहर से लेते हैं। परिष्कृत उत्पाद विनिर्मित करने के लिए उनके स्थानीय संविदा विनिर्माताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए विदेश में उनके संविदा विनिर्माताओं से अर्ध-परिष्कृत सामानों पर आयात शुल्क और बिक्री कर छूट तथा स्थानीय रूप से/विदेश में उनके संविदागत विनिर्माताओं द्वारा परिष्कृत उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री एवं संघटकों पर आयात शुल्क और बिक्री कर छूट उपलब्ध है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में घरेलू उद्योग ने एमआईडीए के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर विश्वास किया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

82. इस कार्यक्रम में विनिर्माण क्रियाकलाप बाहर से लेने के लिए कच्ची सामग्री, संघटकों और/अथवा अर्ध-परिष्कृत उत्पादों पर आयात शुल्क छूट का प्रावधान है। शुल्क छूट संबंधी एक समिति एमओएफ, एमआईटीआई, आरएमसीडी, एमआईडीए और आईपीसी से प्रतिनिधियों से युक्त सदस्यों के साथ स्थापित है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) साक्ष्य के रूप में दी जाती है। जो विनिर्माता पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और प्राधिकारी अपने विवेकाधिकारों का उपयोग नहीं करते। इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है।
83. यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी परिभाषा में छूट) के अनुबंध-I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है।
84. छूट के लिए अर्हता हेतु,
- आयातित कच्ची सामग्री तथा संघटक जिनका प्रयोग शून्य आयात शुल्क के साथ परिष्कृत उत्पादों के विनिर्माण के लिए किया जाता है।
 - अर्ध-परिष्कृत उत्पाद जिनका आयात विदेशी संविदा विनिर्माताओं से किया जाता है और जिनका प्रयोग स्थानीय संविदा विनिर्माताओं द्वारा परिष्कृत उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) इस कार्यक्रम का प्रशासन संचालित करती है। यह कार्यक्रम मलेशिया निवेश प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में विनिर्माण क्रियाकलाप बाहर से लेने के लिए कच्ची सामग्री, संघटकों और/अथवा अर्ध-परिष्कृत उत्पादों पर आयात शुल्क छूट का प्रावधान है। जिस कच्ची सामग्री का प्रयोग उन निर्यातित उत्पाद/अर्ध-परिष्कृत सामानों के उत्पादन में किया जाता है, जो स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग के लिए संविदा विनिर्माताओं से आयात किए जाते हैं, वे इस छूट के लिए पात्र हैं।
86. अतः, यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है, तथापि इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(x) कार्यक्रम संख्या 10 : हिस्से-पुर्जों और उपभोग की वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

87. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि सरकार की विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे ही प्रयुक्त हिस्से-पुर्जों और उपभोग की वस्तुओं पर कर न लगाने की नीति है जहां आयात शुल्क की शून्य प्रक्रिया है और स्थानीय रूप से उत्पादित नहीं किए जाते हैं, कर छूट – राजस्व छोड़ दिया जाता है जहां आयातित हिस्से-पुर्जे और उपभोग की वस्तुएं कर योग्य हैं, परंतु स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहां आयात शुल्क और बिक्री कर पर पूरी छूट दी जाती है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर विश्वास किया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

88. इस कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त विनिर्माता को हिस्से-पुर्जों और उपभोग की वस्तुओं पर आयात शुल्क की छूट का प्रावधान है। एमआईडीए विनिर्माता के स्तर की पुष्टि करने के लिए पत्र जारी करता है। इस कार्यक्रम में विनिर्माण क्रियाकलाप बाहर से लेने के लिए कच्ची सामग्री, संघटकों और/अथवा अर्ध-परिष्कृत उत्पादों पर आयात शुल्क की छूट का मूल्यांकन करना शामिल है। शुल्क छूट संबंधी एक समिति एमओएफ, एमआईटीआई, आरएमसीडी, एमआईडीए और आईपीसी से प्रतिनिधियों से युक्त सदस्यों के साथ स्थापित है। जो विनिर्माता पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और एमआईडीए अपने विवेकाधिकारों का उपयोग नहीं करता। इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है। यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी परिभाषा में छूट) के अनुबंध-I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाले कानून एवं विनियम सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 में निहित हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 द्वारा शासित होता है। इसमें हिस्से-पुर्जों और उपभोग की वस्तुओं पर आयात शुल्क की छूट का प्रावधान है। यह कार्यक्रम मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण (एमआईडीए) द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और उससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कुछ मानदंडों को पूरा करने के अध्यक्षीन है।
90. अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(xi) कार्यक्रम संख्या 11 : मशीनरी और उपस्करों पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

91. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे ही प्रयुक्त मशीनरी और उपस्करों पर तथा स्थानीय रूप से उत्पादित न किए गए मशीनरी और उपस्करों पर कर न लगाने की सरकार की नीति है, अतः कर छूट – परित्यक्त राजस्व वहां दिया जाता है, जहां आयातित मशीनरी और उपस्कर कर योग्य हैं, परंतु स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। आयात शुल्क और बिक्री कर पर पूरी छूट दी जाती है। स्थानीय रूप से खरीद की गई मशीनरी और उपस्करों के लिए बिक्री कर पर पूरी छूट दी जाती है। इस कार्यक्रम के साक्ष्य की मौजूदगी के रूप में याचिकाकर्ताओं ने एमआईडीए के प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहनों पर विश्वास किया है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

92. इस कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त विनिर्माता को मशीनरी और उपस्करों पर आयात शुल्क की छूट का प्रावधान है। एमआईडीए विनिर्माता के स्तर की पुष्टि करने के लिए पत्र जारी करता है। फिर विनिर्माता छूट के लिए दावा करते हैं। छूट के लिए अर्हक होने हेतु मशीनरी और उपस्करों को नया, अप्रयुक्त और अनुमोदित विनिर्माता परिसर (परिसरों) पर परिष्कृत उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे ही प्रयुक्त होना चाहिए। जो विनिर्माता पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और एमआईडीए अपने विवेकाधिकारों का उपयोग नहीं करता। इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है। यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी परिभाषा में छूट) के अनुबंध-I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाले कानून एवं विनियम सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 में निहित हैं।
93. जांचाधीन कंपनियां पात्रता मानदंडों के अनुरूप हैं जो एमआईडीए के क्षेत्राधिकार के तहत हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 शासित होता है। इस कार्यक्रम में अर्हताप्राप्त विनिर्माता को नए एवं अप्रयुक्त मशीनरी तथा उपस्करों पर आयात शुल्क छूट का प्रावधान है। जांच की अवधि के दौरान बिक्री कर से कोई छूट नहीं है क्योंकि बिक्री कर अधिनियम, 1972 (अधिनियम 64) 01 जुलाई, 2014 से लागू वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2014 (अधिनियम 762) के अधिनियमन के साथ रद्द किया गया था। यह कार्यक्रम मलेशियाई निवेश विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है।

95. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन कुछ उद्यमों के लिए सीमित है जो विनिर्माण क्रियाकलाप के लिए नई मशीनरी तथा उपस्करों का आयात करते हैं।
96. अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(xii) कार्यक्रम संख्या 12 : कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट

क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

97. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत कच्ची सामग्री तथा संघटकों पर आयात शुल्क से पूरी छूट सामान्यतः प्रदान की जाती है, बशर्ते कि कच्ची सामग्री/संघटक स्थानीय रूप से उत्पादित न किए जाते हों अथवा स्थानीय रूप से उत्पादित किए जाते हैं, तो वे स्वीकार्य गुणवत्ता तथा कीमत के न हों। इसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि परिष्कृत उत्पाद निर्यात के लिए अथवा घरेलू बाजार के लिए हैं। पात्रता यह है कि कंपनियों को विनिर्माण क्रियाकलापों में लगा होना चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क (छूट) आदेश, 2017 द्वारा शासित होता है। इसमें कच्ची सामग्री और संघटकों पर आयात शुल्क छूट का प्रावधान है। शुल्क छूट संबंधी एक समिति एमओएफ, एमआईटीआई, आरएमसीडी और एमआईडीए से प्रतिनिधियों से युक्त सदस्यों के साथ स्थापित है। जो विनिर्माता पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और एमआईडीए अपने विवेकाधिकारों का उपयोग नहीं करता। यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि यह एससीएम करार (सब्सिडी परिभाषा में छूट) के अनुबंध-I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है। जांचाधीन कंपनियां पात्रता मानदंडों के अनुरूप हैं जो एमआईडीए के क्षेत्राधिकार के तहत हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त विनिर्माता को उन कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क की छूट का प्रावधान है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
100. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उस उद्यम तक सीमित है जो उस कच्ची सामग्री का प्रयोग करता है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है।
101. अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(xiii) कार्यक्रम संख्या 13 : निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोहरी कटौती

क. घरेलू उद्योग के विचार

102. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत निर्यातकों को उन खर्चों के लिए कर कटौती दी जाती है, जिनका उद्देश्य विदेश में सामानों का निर्यात बढ़ाना और आपूर्ति करना, सेवाओं के संवर्धन के प्रयोजन के लिए विदेश में कार्यालय के रख-रखाव की लागत, प्रचार और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन के लिए मलेशिया से बाहर किसी मीडिया में विज्ञापन और 139 का पृष्ठ 59 निर्यात बाजार अनुसंधान करना है। कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 41
- आय कर निर्यात संवर्धन नियमावली, 1986
- डब्ल्यूटी/टीपीआर/एस/292
- डब्ल्यूटीओ अधिसूचना-जीएस/सीएम/एन/3/एमवाईएस-1995
- मलेशिया से यूएस कार्बन शीट वायर रॉड

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

103. यह कार्यक्रम, जिसका प्रावधान आय कर (निर्यात संवर्धन) नियमावली, 1986 के नियम 4(2) के साथ पठित निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए), 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 के तहत किया गया है, मलेशियाई विनिर्मित सामानों अथवा कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मांग बढ़ाने अथवा सृजित करने अथवा अवसर प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राथमिक रूप से और प्रमुख रूप से आधार अवधि में किए गए व्यय के संबंध में सभी आवासीय, व्यापारिक, विनिर्माण अथवा कृषि कंपनियों के लिए लागू है। इस कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं है। कटौती को अग्रणीत किया जा सकता है।
104. आवेदक कंपनियों को प्रपत्र पूरा करके विज्ञापन, यात्रा तथा संबंधित निर्यात संवर्धनात्मक व्यय के लिए विदेश में किए गए खर्चों से संबंधित व्यापारिक रसीदों की प्रतियों के साथ दावे सिद्ध कर प्रोत्साहन के लिए दावा करना होता है। मूल समर्थक दस्तावेज आईआरबी द्वारा लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा रखे जाने चाहिए।
105. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागिता के मामले में, कंपनियों को एमएटीआरएडीई से अनुमोदन का पत्र प्राप्त करना होता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम निवेश संवर्धन अधिनियम (पीआईए), 1986 (अधिनियम 327) की धारा 41 और आय कर (निर्यात संवर्धन) नियमावली, 1986 के नियम 4(2) द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के तहत विनिर्माण, व्यापार और कृषि क्रियाकलापों में शामिल उद्यम को आय से दोहरी कटौती निर्यात संवर्धन के लिए किए गए खर्च के लिए उपलब्ध है। निर्यात के लिए मांग बढ़ाने हेतु कंपनी द्वारा किए गए खर्च पर दोहरी कटौती की अनुमति है।
107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है तथा जिससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह लाभ दोहरी कटौती के बाद दिए गए आय कर की राशि तथा इस दोहरी कटौती के अभाव में जो आय कर की राशि देय होती, उसके बीच का अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है और निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप में लगे उद्यम के लिए सीमित है।
108. अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(xiv) कार्यक्रम संख्या 14 : निर्यात कार्गो के संवर्धन के लिए दोगुनी कटौती**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

109. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत निर्यातक निर्यात कार्गो पर प्रीमियम बीमा के लिए कर योग्य आय से कटौती और कर बीमा के लिए क्षेत्रीय कर कटौती कर सकता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:
- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
 - आय कर निर्यात संवर्धन नियमावली, 1986
 - कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन
 - अन्य प्राधिकारी जांच परिणाम

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

110. उस व्यक्ति को दोहरी कटौती की अनुमति है जो मलेशिया से निर्यातित कार्गो के बीमा पर प्रीमियम देता है, बशर्ते कि जोखिम मलेशिया में निगमित बीमा कंपनी में बीमाकृत हों। प्रदत्त प्रीमियम आय कर अधिनियम, 1967 की धारा 33 के अनुसार होना चाहिए। यह सहायता कर योग्य आय से कटौती है। यह कटौती अग्रणी की जा सकती है।
111. यह कार्यक्रम 2016 से रद्द कर दिया गया है। आय कर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) (निरसन) नियमावली, 2012 साक्ष्य के रूप में दी जाती है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम आय कर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) नियमावली, 1995 द्वारा शासित था और 2016 से आय कर (निर्यातकों के लिए बीमा प्रीमियम की कटौती) (निरसन) नियमावली, 2012 द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(xv) कार्यक्रम संख्या 15 : बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

113. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम आय कर अधिनियम, 1967 की धारा 154(1) और आय कर (बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता) नियमावली, 1999 के नियम 3 और आय कर (बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता) संशोधन नियमावली, 2003 के तहत कंपनियों को प्रदान किए गए कर प्रोत्साहन का रूप है। निर्यातक बड़े हुए निर्यातों के लिए कर योग्य आय से 70 प्रतिशत कर कटौती प्राप्त कर सकता है। साथ ही, यदि उपर्युक्त भत्ता अर्जित वर्ष के दौरान प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो उसे अगले मूल्यांकन वर्ष में अग्रेणीत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

- निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986
- आय कर अधिनियम, 1967
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1967
- बिक्री कर अधिनियम, 1972
- उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1976
- मुक्त क्षेत्र अधिनियम, 1990

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

114. जो आवासीय विनिर्माण कंपनी अथवा कृषि कंपनी विनिर्मित उत्पादों अथवा कृषि उत्पादों का निर्यात करती है, उसे बड़े हुए निर्यातों के लिए भत्ता दिया जाना होता है। यह सहायता कर योग्य आय से छूट है। यह भत्ता अग्रेणीत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में कोई अनुमानित परिवर्तन नहीं है। आय कर (बड़े हुए निर्यात के लिए भत्ता) नियमावली, 1999 साक्ष्य के रूप में दी जाती है। इस नियमावली में निम्नलिखित परिभाषाएं हैं:

- क. कृषि उत्पादों का अर्थ है ताजे और सूखे फल, ताजे और सूखे फूल, सजावटी पौधे और सजावटी फिश, जमी हुई कच्ची प्रॉन अथवा थ्रिम्प, जमी हुई, पकाई हुई और पील्ड प्रॉन तथा जमी हुई कच्ची कैटल फिश तथा स्किड।
- ख. निर्यात का अर्थ है सीधा निर्यात जिसमें मुक्त औद्योगिक क्षेत्रों तथा लाइसेंसशुदा विनिर्माण वेयरहाउसों को बिक्री शामिल नहीं है; 139 का पृष्ठ 62
- ग. मूल्यवर्धित का अर्थ है कारखानागत कीमत पर सामानों की बिक्री कीमत, जिसमें से कच्ची सामग्री की कुल लागत घटाकर; और
- घ. बड़े हुए निर्यात का मूल्य का अर्थ है आधार अवधि में निर्यातित उत्पादों के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य तथा उससे तत्काल पूर्व की अवधि के निर्यातित उत्पादों के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य का अंतर। एफओबी मूल्य में भाड़ा प्रभार और बीमा लागत शामिल नहीं होगी।

115. भत्ता निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाता है:

क. विनिर्मित उत्पाद

- कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10 प्रतिशत जहां निर्यातित उत्पाद कम से कम 30 प्रतिशत मूल्यवृद्धि प्राप्त करें;
- कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बड़े हुए निर्यातों के मूल्य का 15 प्रतिशत जहां निर्यातित उत्पाद कम से कम 50 प्रतिशत मूल्यवृद्धि प्राप्त करें।

ख. कृषि उत्पाद

➤ कंपनी द्वारा कृषि उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य का 10 प्रतिशत।

116. यह भत्ता कंपनी की सांविधिक व्यापार आय के सत्तर प्रतिशत के विरुद्ध दिया जाएगा। कोई भी निर्यात भत्ता, जो सेट ऑफ नहीं किया गया है, उसे भावी वर्षों में सांविधिक आय के सत्तर प्रतिशत के विरुद्ध सेट ऑफ किए जाने के लिए अग्रेणीत किया जाएगा।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो विनिर्माण कंपनी अथवा कृषि कंपनी विनिर्मित उत्पादों अथवा कृषि उत्पादों का निर्यात करती है, उसे बढ़े हुए निर्यातों के लिए भत्ता दिया जाना होता है। यह भत्ता कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य के 10 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत के बराबर है। यह भत्ता सांविधिक व्यापार आय के 70 प्रतिशत के विरुद्ध दिया जाएगा।
118. इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय हो। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है। अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(xvi) कार्यक्रम संख्या 16 : प्रशुल्क संबंधी प्रोत्साहन**क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

119. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत, कच्ची सामग्री/संघटकों पर आयात शुल्क से सामान्यतः पूरी छूट दी जाती है, बशर्ते कि कच्ची सामग्री/ संघटक स्थानीय रूप से उत्पादित न किए गए हों अथवा यदि स्थानीय रूप से उत्पादित किए गए हैं, तो वे स्वीकार्य गुणवत्ता तथा कीमत के न हों। इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि परिष्कृत उत्पाद निर्यात अथवा घरेलू बाजार के लिए हैं। पात्रता यह है कि कंपनियां विनिर्माण क्रियाकलापों में लगी होनी चाहिए।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

120. यह सब्सिडी कार्यक्रम, कार्यक्रम संख्या 13 (निर्यातों के संवर्धन के लिए दोहरी कटौती) के समान है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त विनिर्माता को कच्ची सामग्री/संघटक पर आयात शुल्क छूट का प्रावधान है। छूट तब दी जाती है जब कच्ची सामग्री/संघटक स्थानीय रूप से उपलब्ध न हो और अनुमोदित विनिर्माता के परिसर (परिसरों) पर परिष्कृत उत्पाद के उत्पादन में सीधे ही प्रयुक्त हों।
122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है। यह कार्यक्रम अनुमति योग्य शुल्क प्रेषण कार्यक्रम होने के लिए अर्ह नहीं है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलापों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए आयात शुल्क से छूट का प्रावधान है न के केवल सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख(ख) और एससीएन करार की पाद टिप्पणी में दिए गए अनुसार निर्यातित उत्पादों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए ही। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उस उद्यम के लिए सीमित है जो स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का प्रयोग करता है।
123. अतः यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य होने के लिए नोट किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा नहीं लिया जाता है।

(xvii) कार्यक्रम संख्या 17 : संयंत्रों और मशीनरी के लिए भत्ता**क. याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध**

124. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पूंजीगत भत्ता व्यापार के लिए अचल परिसंपत्तियों की घिसाई पिटाई के लिए राहत देने के लिए है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि व्यय पूंजीगत प्रकृति में होना चाहिए और व्यापार प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो। संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर, फिटिंग, मोटर वाहन आदि जैसे व्यापार में प्रयुक्त परिसंपत्तियों की लागत।

125. इस योजना के तहत आरंभिक भत्ता उस समय परिसंपत्ति की लागत के आधार पर 20 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है, जब पूंजीगत व्यय किया गया हो। वार्षिक भत्ता परिसंपत्ति की मूल लागत के आधार पर प्रति वर्ष एक समान दर पर दिया जाता है तथा तदनुसार अलग-अलग होता है।

ख. मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

126. पूंजीगत भत्ता (सीए) मशीनरी अथवा संयंत्र पर अर्हक व्यय के लिए कटौती है। सीए केवल व्यापारिक स्रोत के संबंध में दिया जाता है और जो व्यक्ति अर्हक व्यय करता है, वही इस भत्ते का दावा करने के लिए पात्र है। सीए का परिकलन मूल्यांकन वर्ष के लिए किया जाता है और सांविधिक आय निकालने में इसकी व्यापार से समायोजित आय से कटौती की जाती है। इसका परिकलन भत्ते की निर्धारित दर के आधार पर सीधी पद्धति पर किया जाता है। जो कंपनियां पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, वे सभी सीए का दावा कर सकती हैं। यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है तथा आईआरबी सीए प्रदान करने में वस्तुपरक मानदंड लागू करता है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात शर्तों से संबद्ध नहीं है, विशिष्ट नहीं है और यह सामान्यतः उपलब्ध है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूंजीगत भत्ते में मशीनरी अथवा संयंत्र पर अर्हक व्यय के लिए कटौतियों का प्रावधान है। यह उस उद्यम को दिया जाता है, जो अर्हक व्यय करता है। इसका परिकलन मूल्यांकन वर्ष के लिए किया जाता है और सांविधिक आय निकालने में व्यापार से समायोजित आय से इसकी कटौती की जाती है। यह भत्ते की निर्धारित दर के आधार पर सीधी पद्धति पर परिकलित किया जाता है।
128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में प्रतिकार योग्य लाभ का प्रावधान नहीं है क्योंकि इसमें सभी उद्यमों को सीधी पद्धति के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यहास की सामान्य कटौती का प्रावधान है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xviii) कार्यक्रम संख्या 18 : निर्यात ऋण पुनर्वित्तपोषण

क. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

129. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह योजना निर्यात ऋण के रूप में है। यह अल्पकालिक और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्यातकों को लदान पश्चात वित्तपोषण है। निर्यातक अपने निर्यात आदेश के मूल्य का 95 प्रतिशत तक वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं।

ख. मलेशिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

130. प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट वित्तपोषण के रूप में मलेशिया के निर्यातों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंसिंग (ईसीआर) योजना का उपयोग किया जाता है। ईसीआर योजना मलेशिया में निगमित और निर्यात क्रियाकलापों में सम्मिलित सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
131. ईसीआर योजना की प्रचालनात्मक कार्य प्रक्रिया एग्जिम बैंक द्वारा जारी किए गए ईसीआर दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम का प्रबंधन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया (एक्जिम बैंक) द्वारा किया जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंसिंग कार्यक्रम के तहत उत्पादों के निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए उद्यम को ऋण प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम बैंक द्वारा जारी एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंसिंग दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है, जिनमें कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए उत्पाद की पात्रता सहित पात्रता मानदंड (उत्पादों की नकारात्मक सूची, जो बैंक द्वारा अनुरक्षित है) के लिए प्रावधान है। सब्सिडी कार्यक्रम किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं है और यह मलेशिया में निगमित सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
133. एक्जिम बैंक एक सरकार के स्वामित्व वाला विकास वित्त संस्थान है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंकोरपोरेटेड (इंक) के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक अनुषंगी संस्थान है। वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के तहत एक एजेंसी के रूप में,

एक्जिम बैंक की अनिवार्य भूमिका सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है। यह वस्तुओं, सेवाओं के निर्यात में और आयातों के वित्तपोषण और सहायता के लिए तथा परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए गैर-व्यापारी बाजारों पर ध्यान देते हुए ऋण सुविधाएं प्रदान करने, निर्यात ऋण बीमा सेवाएं, निर्यात वित्तपोषण बीमा, विदेशी निवेश बीमा और गारंटी सुविधाएं प्रदान करने के लिए है।

134. प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि एक्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है, क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व के तहत आता है और इसे सरकारी कार्यों के लिए सरकारी प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। तदनुसार, एक्जिम बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण, एक सार्वजनिक निकाय द्वारा धनराशि के प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में वित्तीय अंशदान है। प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ एक्जिम बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की राशि और तुलनात्मक वाणिज्यिक ऋण द्वारा प्रभारित ब्याज की राशि के बीच के अन्तर के रूप में है।
135. अतः इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी के रूप में नोट किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(xix) कार्यक्रम सं. 19 : क्रेता ऋण गारंटी

क. घरेलू उद्योग के विचार

136. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत विदेशी क्रेताओं को एक्जिम बैंक की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की गई है जिसमें ऋण देने वाले बैंक को देय राशि और ब्याज की राशि की अदायगी की गारंटी दी जाती है। मलेशियाई निर्यातक बीसीजी का उपयोग करके एक ऋण प्रदाता के साथ दीर्घावधिक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए विदेशी क्रेता की मदद कर सकते हैं। मलेशियाई निर्यातक को एक नकदी अनुबंध के रूप में भुगतान किया जाता है। जबकि विदेशी क्रेता के पास एक्जिम बैंक की गारंटी सहायता के साथ ऋणदाता से वित्तपोषण प्राप्त करके अनुबंध का भुगतान करने के लिए समय होता है। दिए गए साक्ष्य, एक्जिम बैंक द्वारा प्रदान किया गया क्रेता ऋण बीमा है। इस कार्यक्रम के तहत ऋण राशि एक नकद अनुबंध के समर्थन में आरएम 2एमएन का न्यूनतम मूल्य होनी चाहिए और अदायगी की अवधि कम से कम 2 वर्षों और अधिकतम 15 वर्षों की होनी चाहिए।

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

137. बैंकर्स ट्रेड क्रेडिट टकाफुल (बीटीसीटी) एक क्रेडिट टकाफुल होता है, जिसे इस्लामिक वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) को विदेशी विक्रेताओं के द्वारा पृष्ठ 139 के 45 की चूक के कारण, उनके निर्यातकों द्वारा भुगतान न करने के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह ओपन अकाउंट, डाक्यूमेंटरी क्लेक्शन और/ अथवा लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी व्यापारी शर्तों पर एक व्यापार वित्तपोषण सुविधा के लिए उपलब्ध है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

138. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम एक्जिम बैंक द्वारा शासित है। कार्यक्रम के संचालन के लिए कोई कानून अथवा विधिक विनियम नहीं है।
139. प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित कर दिया है कि एक्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है। इस कार्यक्रम के तहत, एक्जिम बैंक विदेशी क्रेताओं से हुई चूक के कारण उनके निर्यातकों (ग्राहकों) द्वारा भुगतान न किए जाने के जोखिम के लिए वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करता है। यह कार्यक्रम धनराशि के संभावित प्रत्यक्ष अन्तरण के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और उससे लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्राप्तकर्ता को प्रदान किए गए लाभ (i) एक्जिम बैंक से गारंटी प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किए गए शुल्क और ऐसी गारंटी के लिए किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को प्रदान किए जाने वाले शुल्क के बीच के अन्तर तथा (ii) कथित ऋण प्रदाता बैंक को ऋण की अदायगी (एक्जिम बैंक गारंटी के कारण सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर से कम होने के कारण) तथा ऐसी गारंटी के अभाव में भुगतान की जाने वाली राशि (सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर के आधार पर) के बीच के अन्तर के समान है। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर करता है।
140. अतः इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी के रूप में नोट किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत लाभ सहयोगी निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(xx) कार्यक्रम सं. 20 : लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण वेयरहाउस (एलएमडब्ल्यू)**क. घरेलू उद्योग के विचार**

141. यह कार्यक्रम निर्यातक के प्रश्नावली उत्तर से और मलेशिया सरकार के अनुपूरक उत्तर से प्रकट हो गया था। याचिकाकर्ता ने इस योजना के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ख. सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

142. सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 65 के तहत शुल्क योग्य वस्तुओं के भंडारण के लिए प्रावधान हैं और सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 65 क के तहत लाइसेंस प्राप्त वेयरहाउस में की जाने वाली निर्माण प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान है। लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण वेयरहाउस (एलएमडब्ल्यू) की स्थापना प्रमुख सीमाशुल्क क्षेत्र (पीएलए) अर्थात् किसी फ्री जोन, लेबुआन और लांगकानी को छोड़कर मलेशिया के किसी भी भाग की जा सकती है। उनमें विनिर्माण कार्य सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के अध्यधीन होते हैं।
143. सीमाशुल्क और बिक्री करों से छूट ऐसे सभी कच्ची सामग्री/ घटकों के लिए दी जाती है, जो अनुमोदित उत्पादों की सभी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे तैयार किए गए उत्पाद निर्माण की प्रारंभिक अवस्था से लेकर उत्पाद को तैयार करने तक निर्यात अथवा स्थानीय बाजार के लिए ही हो। इसमें पैकेजिंग सामग्रियां और केसिंग शामिल हैं। इसके अलावा, अनुमोदित अन्तिम रूप से तैयार उत्पादों की प्रत्यक्ष विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित केवल मशीनरी और उपकरण ही सीमा शुल्क और बिक्री कर से छूट के लिए पात्र हैं।
144. एलएमडब्ल्यू में विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त मशीनरी/ उपकरणों को आयात शुल्क/ बिक्री कर से छूट प्राप्त है, चाहे अन्तिम रूप से तैयार उत्पाद निर्यात के लिए हो अथवा स्थानीय बाजार के लिए हो।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

145. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम को रॉयल मलेशियान कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 65 और धारा 65 क द्वारा शासित होता है।
146. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत ऐसी सभी कच्ची सामग्रियों/ घटकों को सीमाशुल्कों और बिक्री कर से छूट प्रदान की जाती है, जो सीधे तौर पर अनुमोदित उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं। सहयोगी निर्यातक और मलेशिया सरकार के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि केवल अनुमोदित किए गए अन्तिम रूप से तैयार उत्पादों की सीधे तौर पर विनिर्माण प्रक्रिया के लिए ही इस कार्यक्रम के तहत सीमाशुल्क तथा बिक्री कर से छूट के लिए पात्रता है। इसके अलावा, एलएमडब्ल्यू में विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे तौर पर प्रयुक्त मशीनरी/ उपकरणों को आयात शुल्क/ बिक्री कर से छूट प्राप्त है।
147. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत ऐसी सभी कच्ची सामग्रियों/ घटकों पर सीमाशुल्क और बिक्री कर की छूट प्रदान की गई है, जो अनुमोदित किए गए उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में सीधे तौर पर प्रयोग में आते हैं। सब्सिडी कार्यक्रम भी विशिष्ट है, क्योंकि यह उत्पाद/ उद्यम पर निर्भर हैं। जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएनएचडी ने भी इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने को स्वीकार किया है। अतः इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी के रूप में नोट किया गया है।

(xxi) कार्यक्रम सं. 21 : आयकर अधिनियम, 1967 के तहत निवेश पर भत्ता**क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

148. यह कार्यक्रम निर्यातक के प्रश्नावली उत्तर से और मलेशिया सरकार के अनुपूरक उत्तर से प्रकट हो गया था। याचिकाकर्ता ने इस योजना के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ख. मलेशिया सरकार/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

149. निवेश कर भत्ता किसी भी कंपनी को प्रदान किया जा सकता है। कतिपय मामलों जैसे पूंजी सघनता, आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्य वर्धन, प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, देश की विनिर्माण सहायता सेवाओं और स्पिलओवर के प्रभाव के लिए योगदान की मैरिट के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

150. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम को मलेशियान इन्वेस्टमेंट डवलपमेंट अथॉरिटी (एमआईडीए) द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्यक्रम सीमाशुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 65 और धारा 65क के तहत शासित होता है। जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने भी इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। अतः इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलनकारी के रूप में नोट किया गया है।

मलेशिया के उत्पादक/ निर्यातक**मै. जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी**

151. मै. जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है। मै. जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने प्रभावली उत्तर दाखिल किया है और उनके द्वारा लाभ प्राप्त किए जा रहे सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में प्रभावली सूचना प्रदान की है।
152. प्राधिकारी ने मै. जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी द्वारा प्रदान की गई सूचना की पुष्टि की है और कार्यक्रम सं. 1, 8, 20 और 21 के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त किया गया था और अर्जित किया गया था। प्राधिकारी ने यह पाया है कि इन सब्सिडी कार्यक्रमों के कारण राजस्व की राशि के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान किया गया था, जो अन्यथा देय होता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं. 1 के संदर्भ में, प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी की प्राप्ति होने/ प्राप्ति न होने का कोई दावा सहयोगी निर्यातक द्वारा अपने उत्तर में नहीं किया गया है जबकि मलेशिया सरकार ने यह स्वीकार किया है कि मलेशिया में गैस की कीमतों को विनियमित किया जाता है। तथापि, डेस्क सत्यापन के दौरान, मै. जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने दस्तावेज प्रदान किए, जो यह दर्शाते हैं कि कंपनी को सब्सिडी के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
153. प्राधिकारी मलेशिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस की अन्तर्राष्ट्रीय आयात कीमत को भी नोट करते हैं। तथापि, सहयोगी निर्यातक ने यह कहा है कि उन्हें आपूर्ति की जा रही गैस प्राकृतिक गैस है न कि लिक्विफाइड गैस है। तदनुसार, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के अनुसार जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के लिए कार्यक्रम सं. 1 के तहत लाभ का निर्धारण किया है। जो कि निर्यातक द्वारा मलेशिया सरकार द्वारा अनुदान और उपलब्धता के तौर-तरीकों पर दायर किए गए सबमिशन से संबद्ध डेटा के डेस्क सत्यापन के आधार पर किया गया है। सब्सिडी का।
154. जहां तक कार्यक्रम सं. 8 का संबंध है, जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने कार्यक्रम के तहत किसी लाभ का दावा नहीं किया है। तथापि, डेस्क सत्यापन के दौरान कंपनी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें यह दर्शाया गया कि कंपनी ने उक्त सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया है।
155. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और उनके अनुरूप सब्सिडी मार्जिन का उल्लेख किया गया है :-

कार्यक्रम सं.	अनुदान कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण/ टिप्पणी	सब्सिडी मार्जिन %	सब्सिडी मार्जिन रेंज %
कार्यक्रम सं. 1	प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी	सरकारी नियमित कीमतों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता	1.62	0-10
कार्यक्रम सं. 8	बिक्री कर से छूट	कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में एक मात्र रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्रियों घटकों और पैकेजिंग सामग्रियों को प्राप्त करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट	2.39	0-10
कार्यक्रम सं. 20	लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण वेयरहाउस	अनुमोदित उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी कच्ची सामग्रियों/ घटकों के लिए सीमाशुल्क और बिक्री कर से छूट, चाहे तैयार किए गए उत्पाद	0.48	0-10

		निर्माण की प्रारंभिक अवस्था से लेकर तैयार उत्पाद तक निर्यातों के लिए हो अथवा स्थानीय बाजार के लिए हो।		
कार्यक्रम सं. 21	निवेश कर भत्ता	पूँजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत की छूट 1 फरवरी, 2015 से दस (10) वर्षों की अवधि के भीतर व्यय की गई उत्पादन सुविधाओं पर कुल निवेश लागत का उपयोग, वर्ष 2015 से लेकर संचित आईटीए का पूर्ण उपयोग होने तक हुए कर योग्य लाभ को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है।	4.62	0-10
कुल			9.12	0-10
कुल (ब्याज विचार करने के बाद)			9.71	0-10

156. प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक की निर्यात कीमत के आधार पर और मलेशिया में लिक्विडाइड नैचुरल गैस की अन्तर्राष्ट्रीय आयात कीमत के आधार पर मलेशिया से सभी अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है।

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए :-

- क. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ विगत वर्षों के दौरान भारी वृद्धि हुई है। आयातों में भी भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में वृद्धि दर्शाई गई है।
- ख. मांग में संबद्ध देश के बाजार अंश में निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में महत्वपूर्ण गिरावट आ रही है। इसके अलावा, अन्य देशों से आयातों के बाजार अंश में भी गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग की कीमतें घरेलू बाजार में निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही कीमतों के प्रभाव को दर्शाती हैं।
- घ. घरेलू उद्योग के बाजार अंश, उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ड. कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती सकारात्मक और पर्याप्त है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग कीमत दबाव का सामना कर रहा है क्योंकि वे अपनी कीमतों को उचित तरीके से नहीं बढ़ा पा रहे हैं।
- च. घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभों के संदर्भ में तीव्र गिरावट आई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग की हानियों में क्षति जांच की अवधि और जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि होने का कारण संबद्ध देश से गैर लाभकारी कीमतों पर सब्सिडी वाले आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि होना था।
- ज. उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के बावजूद बिक्री कीमत में कमी आ रही है और इस प्रकार संबद्ध देश से सब्सिडी वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास का प्रभाव पड़ रहा है।
- झ. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी प्राप्त आयातों के संबंध में पर्याप्त क्षति का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की आशंका है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क) इस जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए याचिका में क्षति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।
- ख) जांच की अवधि के दौरान किसी भी समय लक्षित देश से आयातों के कारण याचिकाकर्ता की बिक्रियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ा है। मलेशिया से आयात काफी कम हैं और इसमें कुल आयातों का केवल 29.03 प्रतिशत हिस्सा शामिल है जबकि अन्य देशों से आयातों में कुल आयातों का 70.65 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में तीन गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में इसका एक बहुत ही मामूली हिस्सा शामिल है।
- ग) याचिकाकर्ता क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान हर वर्ष अपनी क्षमता में वृद्धि कर रहा है। क्षमता में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान 100 से क्षति अवधि के दौरान 227 तक की वृद्धि हुई है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में भी जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष 2015-16 के दौरान के अनकोटेड और कोटेड की क्रमशः 130 और 207 तक की तीव्र वृद्धि हुई है।
- घ) कथित क्षति, यदि कोई हो, मुख्यतः घरेलू उद्योग को हुई है क्योंकि उनकी क्षमता अनुचित/असंगत थी। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता को स्थिर नहीं रख पाया है जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के समग्र निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और क्षमता उपयोग के प्रतिशत में गिरावट आई है। यदि याचिकाकर्ता ने इतनी तेजी से क्षमता नहीं बढ़ाई होती तो वह अनुकूल क्षमता उपयोग पर काम कर रहा होता। प्रति वर्ष क्षमता में इतनी अनुपयुक्त वृद्धि करने का निर्णय लेने के कारण याचिकाकर्ताओं को क्षति हुई है न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है।
- ङ.) घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट के लिए कारण संबद्ध देश से निरंतर कीमत का दबाव होना नहीं है जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, बल्कि अन्य देशों से वस्तुओं का पाटन होना है और अन्य मामले भी हैं, जिनका वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 तथा 2017-18 में उल्लेख किया गया है।
- च) जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के साथ ही मजदूरी में वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान, आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में कर्मचारियों की संख्या कम होकर 100 से 90 हो गई है। तथापि, मजदूरी में 100 से 139 की पर्याप्त वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रवृत्ति से वे यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि कैसे मजदूरी में इतनी अधिक वृद्धि हो सकती है जबकि कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।
- छ) यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति और कारणात्मक संबंध की गणना के लिए संबद्ध आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को अन्य कारकों से अलग किया जाना चाहिए जिनसे कि एससीएम करार के अनुच्छेद 15.5 और सब्सिडी रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसरण में क्षति हो सकती है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

159. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा और इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से सब्सिडी प्राप्त आयातों के संदर्भ में घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।
160. सब्सिडी नियमावली का नियम 13 क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में है, जिसमें यह प्रावधान है कि :-

13. क्षतिमार्जिन का निर्धारण

- (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अगला जांच परिणाम देंगे कि भारत में ऐसे आयात के कारण भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी होती है।
- (2) सिवाय इसके कि जब क्षति का जांच परिणाम उप नियम (3) के तहत किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ नियमावली के अनुबंध-1 में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किसी उद्योग की स्थापना को क्षति, क्षति का खतरा, वास्तविक मंदी और सब्सिडीयुक्त आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निर्धारित करेंगे।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी आपवादिक मामलों में, वहां भी क्षति की मौजूदगी के संबंध में जांच परिणाम दे सकते हैं, जहां घरेलू उद्योग के बड़े भाग को क्षति नहीं हुई है यदि -

(i) किसी अलग बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों का संकेन्द्रण है, और

(ii) सब्सिडी आयातों से उस बाजार के अंतर्गत लगभग पूरे उत्पादन के उत्पादकों को क्षति हो रही है।

झ. सब्सिडी प्राप्त आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग का आकलन

161. भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी अन्य देशों से आयातों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आयात डाटा पर भरोसा किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे दर्शाई गई है :-

क्र.सं.	वर्ष	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां (मी. टन)	***	***	***	***
2	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां (मी. टन)	0	0	0	0
3	कुल घरेलू बिक्रियां	***	***	***	***
4	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	1	4297	37279	41789
5	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	30718	85529	64190	100596
6	कुल आयात (मी. टन)	30719	89826	101469	142385
7	कुल मांग (मी. टन)	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	100	227	265	349
9	मांग में घरेलू बिक्रियां का बाजार अंश	30-40	10-20	20-30	10-20
10	मांग में संबद्ध देशों का अंश प्रतिशत	0	0-10	20-30	20-30
11	मांग में अन्य देशों का अंश प्रतिशत	60-70	70-80	40-50	50-60

162. उपरोक्त से यह नोट किया जाता है कि :

क. संबद्ध वस्तुओं की मांग में करीब 3.5 गुना वृद्धि हुई है।

ख. मांग में संबद्ध देशों का अंश आधार वर्ष में लगभग नगण्य से बढ़कर जांच की अवधि में करीब *** प्रतिशत तक हुआ है।

ग. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार अंश आधार वर्ष में *** प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में करीब *** प्रतिशत तक हुआ है।

घ. मांग में अन्य देशों का बाजार अंश आधार वर्ष में *** प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में करीब *** प्रतिशत हुआ है।

ii. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और आयातों का अंश

163. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत में सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से सब्सिडी प्राप्त आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का डीटीए और एसईजेड यूनिटो, दोनों के लिए विश्लेषण किया गया है, जो इस प्रकार है :-

क्र. सं.	वर्ष	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	1	4297	37279	41789
2	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	30718	85529	64190	100596
3	कुल आयात (मी. टन)	30719	89826	101469	142385
4	प्रवृत्ति	100	292	330	464
5	घरेलू उद्योग की बिक्रियां (मी. टन)	***	***	***	***
6	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां (मी. टन)	0	0	0	0
7	कुल घरेलू बिक्रियां	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	100	118	156	157
9	कुल मांग (मी. टन)	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	100	227	265	349
11	आयातों में अंश				
12	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	0%	5%	37%	29%
13	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	100%	95%	63%	71%
14	मांग में अंश				
15	मांग में घरेलू बिक्रियों का बाजार अंश	30-40	10-20	20-30	10-20
16	मांग में संबद्ध देशों का अंश प्रतिशत	0	0-10	20-30	20-30
17	मांग में अन्य देशों का अंश प्रतिशत	60-70	70-80	40-50	50-60

164. एसईजेड यूनिटों और गैर- एसईजेड यूनिटों द्वारा किए गए आयातों को अलग करके गैर एसईजेड यूनिटों में विचाराधीन उत्पाद का आयात इस प्रकार है :

क्र. सं.	वर्ष	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	0	348	6218	21521
2	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	16261	44241	34843	32912
3	कुल आयात (मी. टन)	16261	44589	41061	54433
4	प्रवृत्ति	100	274	253	335
5	घरेलू उद्योग की बिक्रियां (मी. टन)	***	***	***	***
6	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां (मी. टन)	0	0	0	0
7	कुल घरेलू बिक्रियां	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	100	155	224	218
9	कुल मांग (मी. टन)	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	100	223	240	285
11	आयातों में अंश				
12	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	0%	1%	15%	40%
13	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	100%	99%	85%	60%
14	मांग में अंश				

15	मांग में घरेलू बिक्रियों का बाजार अंश	40-50	30-40	40-50	30-40
16	मांग में संबद्ध देशों का अंश प्रतिशत	0	0-10	0-10	20-30
17	मांग में अन्य देशों का अंश प्रतिशत	50-60	70-80	50-60	40-50

165. सहयोगी निर्यातक/ उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक निर्यात संबंधी आंकड़ों के आधार पर उपरोक्त आंकड़ों को इस प्रकार संशोधित किया गया है :

क्र. सं.	वर्ष	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	0	348	6218	24352
2	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	16261	44241	34843	32912
3	कुल आयात (मी. टन)	16261	44589	41061	57264
4	प्रवृत्ति	100	274	253	352
5	घरेलू उद्योग की बिक्रियां (मी. टन)	***	***	***	***
6	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां (मी. टन)	0	0	0	0
7	कुल घरेलू बिक्रियां	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	100	155	224	218
9	कुल मांग (मी. टन)	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	100	223	240	295
11	आयातों में अंश				
12	संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	0%	1%	15%	43%
13	अन्य देशों से आयात (मी. टन)	100%	99%	85%	57%
14	मांग में अंश				
15	मांग में घरेलू बिक्रियों का बाजार अंश	40-50	30-40	40-50	30-40
16	मांग में संबद्ध देशों का अंश प्रतिशत	0	0-10	0-10	20-30
17	मांग में अन्य देशों का अंश प्रतिशत	50-60	70-80	50-60	30-40

166. यह नोट किया जाता है कि विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि हुई है।

167. कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा वर्ष 2015-16 में लगभग नगण्य था, जो बढ़कर जांच की अवधि में 30 प्रतिशत तक हो गया है, जबकि गैर- एसईजेड यूनिटों के लिए इसमें नगण्य से जांच की अवधि में 43 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, संबद्ध देश से गैर एसईजेड यूनिटों के लिए कुल मांग में आयातों का बाजार अंश 2015-16 में 0 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में *** प्रतिशत तक हो गया है। जबकि गैर एसईजेड यूनिटों के लिए कुल मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा 2015-16 में *** प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में *** प्रतिशत तक हो गया है। इस प्रकार, संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में केवल गैर एसईजेड यूनिटों के लिए किए गए आयातों के संदर्भ में निरपेक्ष दृष्टि से वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में गिरावट आई है।

II. संबद्ध आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

168. कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी वाले आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे सब्सिडी वाले आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों का अन्यथा दमन करने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ गई होती। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और गैर क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत से की गई

है। तथापि, यह विश्लेषण गैर- एसईजेड यूनिटों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के आयातों और साथ ही गैर एसईजेड यूनिटों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्रियों तक सीमित हैं।

iii. कीमत कटौती

169. जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना करके कीमत कटौती का आकलन किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग से कीमत कटौती निर्धारित की गई है और उसके बाद समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित की गई हैं।

विवरण- कुल पीयूसी	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
आयात की पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	30132	32993	32593	36484
निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	40-50	30-40	20-30	10-20

170. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत कटौती, जांच की अवधि सहित पूरी क्षति जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक है।

iv. कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन

171. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की गैर क्षति कीमतों का आकलन किया है और कम कीमत पर बिक्री निकालने के लिए आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की गई है। प्रत्येक कोटेड और अनकोटेड ग्लास के लिए और उसके बाद समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन का अलग अलग निर्धारण किया गया है।

कम कीमत पर बिक्री	यूनिट	जांच की अवधि
एनआईपी	रु./ मी. टन	***
आयात की पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	36484
कम कीमत पर बिक्री	रु./ मी. टन	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	10-20

172. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन सकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि आयातों का बाजार में क्षतिकारी कीमतों पर प्रवेश हुआ है।

v. कीमत ह्रास और दमन

173. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों का महत्वपूर्ण मात्रा में दमन करने के लिए है अथवा वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा हो गई होती, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच कीमत, और क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच की है।

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	97	100
3	बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	99	101
5	पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	30132	32993	32593	36484
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	108	121

174. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लागत क्षति जांच की अवधि के दौरान कुल मिलाकर वही रही है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि संबद्ध देश से कम कीमत के सब्सिडी वाले आयातों की वजह से घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है, यह दर्शाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा है और उससे कीमतों में वृद्धि पर रोक लग रही है, जो अन्यथा हो गई होती।

III घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मापदंड

175. नियमों के तहत यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक उद्देश्यपरक और पारदर्शी मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका कि उद्योग की स्थिति पर संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह इन्वेन्ट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेशों को जुटाने के लिए वास्तविक योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

176. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों और निर्यात के संबंध में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
5	क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध	100	117	77	73

177. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

- क. मांग के अनुसार चलते हुए घरेलू उद्योग ने क्षति जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में निरंतर वृद्धि की है।
- ख. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में भी जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ii. बाजार अंश

178. आयातों (गैर एसईजेड यूनिटें), घरेलू बिक्रियां, और घरेलू उद्योग के बाजार अंश का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	बाजार अंश	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	40-50	30-40	40-50	30-40
2	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	0	0	0	0
3	संबद्ध देश	%	0	0-10	0-10	20-30
4	अन्य देश	%	50-60	70-80	50-60	40-50
5	कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

179. यह देखा जा सकता है कि मांग में घरेलू उद्योग और अन्य देशों के बाजार अंश में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश के आयातों के अंश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

iii. लाभ अथवा हानि, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

180. लाभ अथवा हानि, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग के लाभ की स्थिति इस प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
2	बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
3	लाभ/ (हानि)	रु./ मी. टन	***	***	***	***
4	लाभ/ (हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
5	आरओसीई	%	***	***	***	***
6	आरओसीई	सूचीबद्ध	-100	-83	-106	-111

181. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-

क. घरेलू उद्योग की हानियों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. घरेलू उद्योग के लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में भी यही प्रवृत्ति रही है।

iv. इन्वेन्ट्री

182. संबद्ध वस्तुओं की इन्वेन्ट्री के संबंध में आंकड़े इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	18	20	184

183. यह नोट किया जाता है कि विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में औसत इन्वेन्ट्री में वृद्धि हुई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

184. क्षति जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की, रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-2016	2016-2017	2017-2018	जांच की अवधि
1	मजदूरी	रुपए	***	***	***	***
2	मजदूरी	सूचीबद्ध	100	117	105	139
3	रोजगार	संख्या	***	***	***	***
			100	94	101	90
4	रोजगार	सूचीबद्ध	***	***	***	***

185. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है, जिसके साथ प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन मजदूरी तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

vi. विकास

186. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद बिक्रियों, उत्पादन, लाभ, नकदी लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग का नकारात्मक विकास था। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वे सब्सिडी वाले आयातों की मौजूदगी के कारण सकारात्मक विकास हासिल करने में समर्थ नहीं थे।

vii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

187. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध आयातों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उत्पादकों के अंश में गिरावट आई है, यह दर्शाता है कि आयात कम कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

viii. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

188. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान पूंजीगत निवेश करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, मांग में वृद्धि होने के बावजूद, क्षमताएं अत्यधिक अप्रयुक्त पड़ी हैं।
189. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में विकास दर्शाया गया है। तथापि, वे मांग में वृद्धि होने के अनुरूप समर्थ नहीं रहे। इसके अलावा, कीमत संबंधी मापदंडों में गिरावट रही है। लाभ, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में, क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट दर्शाई गई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

IV. क्षति के संबंध में निष्कर्ष

190. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में और सापेक्ष संदर्भ में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर उनका ह्रासकारी प्रभाव रहा है। कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। यद्यपि संबद्ध आयातों के बाजार अंश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि घरेलू उत्पादन के अंश में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यहां तक कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में भी उत्पादन और बिक्रियों के संदर्भ में सुधार आया है, लेकिन यह मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं था। इसके अलावा, घरेलू बिक्रियों और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, लेकिन यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अल्प प्रयुक्त क्षमताओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की हानियों में वृद्धि हुई है और इसके नकदी लाभों, पीवीआईटी और निवेश पर प्रतिफल में वही प्रवृत्ति रही है। प्राधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि सहयोगी निर्यातक के अलावा, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। तथापि, संबद्ध वस्तुओं का आयात क्षतिकारी कीमतों पर जारी रहा। तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हुई है।

V. कारणात्मक संबंध

191. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जो इस प्रकार है :-

क. अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

192. मलेशिया और ऐसे देशों, जो जांच की अवधि में पाटनरोधी शुल्क को पहले से आकर्षित कर रहे हैं, के अलावा प्रत्येक देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम है।

ख. मांग में संकुचन और खपत की पद्धति में परिवर्तन

193. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं है। इसके विपरीत, संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग में क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई गई है। इसके अलावा, खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा

194. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

घ. प्रौद्योगिकी में बदलाव

195. किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

196. घरेलू और निर्यातों के लिए उन्हें अलग किए जा सकने तक अलग अलग क्षति सूचना पर विचार किया गया है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

197. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही डाटा पर विचार किया है।

VI. कारणात्मक संबंध के लिए संगत कारक

198. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :-

क. देश में संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमतों पर हैं।

ख. संबद्ध देश से सब्सिडी वाले आयात भारत में पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं।

ग. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में गिरावट आती है क्योंकि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा है और कीमत में वृद्धि पर रोक लगी है, जो अन्यथा हो गई होती।

घ. सकारात्मक कीमत कटौती के कारण से घरेलू उत्पादकों के बाजार अंश में गिरावट आई है।

ड. घरेलू उद्योग पर सब्सिडी वाले आयातों का परिणामी प्रभाव अत्यधिक प्रतिकूल रहा है।

ज. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

199. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए और मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने के लिए दिनांक 25.11.2020 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। अधिकांश मामले जो उठाए गए हैं, वे पहले ही उठाए जा चुके हैं और उन्हें समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है। संगत समझे गए अतिरिक्त अनुरोधों की जांच की गई है, जो इस प्रकार हैं :-

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

200. प्राधिकारी इस तथ्य के बावजूद सहयोगी निर्यातकों को व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन प्रदान करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण में ही स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया गया है कि कतिपय सब्सिडी कार्यक्रमों का लाभ लेने के संबंध में सूचना निर्यातक द्वारा या मलेशिया की सरकार द्वारा प्रकट नहीं की गई है।

201. प्राधिकारी ने हर बार ऐसे उत्तरों को अस्वीकार किया है, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में कमी पाई गई या अधूरी सूचना पाई गई। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आपके द्वारा जारी किए गए हाल ही के अन्तिम जांच परिणाम [बसों और लारियों के लिए ट्यूब और/ अथवा फ्लैप के साथ अथवा उनके बिना रबड़ के “न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायरों” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (फाइल सं.6/30/2019- डीजीटीआर)] में कमी पाई गई, इस मामले में, जहां मलेशियाई निर्यातक द्वारा और मलेशिया की सरकार द्वारा तथ्यों को जानबूझकर छिपाने और सूचना गलत देने के संबंध में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, प्रकटीकरण विवरण में उनके उत्तरों को अस्वीकार किया गया प्रतीत होता है।

202. प्रकटीकरण विवरण में यह भी सुझाव दिया गया है कि कथित सहयोगी निर्यातक को व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन प्रदान किया जाए, जो कानूनी स्थिति और डीजीटीआर की स्थापित प्रथा के प्रतिकूल होगा। इसके अलावा, यह अनुचित लाभ उन्हें प्रकटीकरण विवरण में देने का प्रस्ताव किया गया है, बावजूद इसके कि ऐसे आचरण से यह घरेलू उद्योग के कानूनन हितों को नकारने के समान होगा।

203. जहां तक कार्यक्रम सं. 1 (गैस सब्सिडी) का संबंध है, मलेशिया की सरकार और कथित सहयोगी निर्यातक ने इस बात से इंकार किया है कि यह सब्सिडी मलेशिया में औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। मलेशिया सरकार के उत्तर में यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत मलेशिया में विनियमित की जाती है। बाद में, सत्यापन से यह पता चला कि निर्यातकों के इनवायस में ही गैस सब्सिडी मौजूद होने के लिए कहा गया है। प्राधिकारी ने इस तथ्य को माना है कि मलेशिया सरकार और निर्यातक ने पैरा 42,

114 और 115 के तहत अपनी जांच में इस सब्सिडी के बारे में सूचना छिपाने का जान-बूझकर प्रयास किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बेंचमार्क कीमत की बजाय, जो सरकार के हस्तक्षेप से प्रभावित है, इस निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई आधी अधूरी सूचना का उपयोग करके मलेशिया के निर्यातक को लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। जबकि प्राधिकारी ने मलेशियाई निर्यातक और मलेशिया की सरकार द्वारा गलत सूचना देने और सूचना को छिपाने को मान्य किया है, इसलिए उन पक्षकारों के उत्तर को अस्वीकार न करके उन्हें अनुचित लाभ देने का प्रस्ताव किया है। प्रकटीकरण विवरण में यह भी सुझाव दिया गया है कि कथित सहयोगी निर्यातक को व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन प्रदान किया जाए, जो कि कानूनी स्थिति और डीजीटीआर की स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल होगा।

204. जहां तक गैस सब्सिडी के कारण सब्सिडी पर विद्युत प्रदान करने का संबंध है, वास्तव में मलेशिया सरकार अथवा सहयोगी निर्यातक द्वारा, गैस सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के संबंध में कोई भी सूचना/ अनुरोध नहीं किया गया है, जिसमें बदले में उन्हें सस्ती बिजली लागत और कीमत मिलती। यद्यपि, प्राधिकारी ने पैरा 33 में घरेलू उद्योग के अनुरोध को अपनी जांच में मान्य किया है, लेकिन प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध को नहीं माना है, यहां तक कि बिजली की लागत पर गैस सब्सिडी के प्रभाव का भी उल्लेख नहीं किया है। प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी के संबंध में, विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों को सस्ती गैस सुलभ कराते समय, बिजली के उत्पादन की लागत को कम किया है। इस प्रकार से सस्ती दरों पर उत्पादित की गई बिजली से लागत कटौती होने के चलते समग्र लागत में कमी आती है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह आवश्यक था कि वे प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करते, ऐसा न होने पर उनके उत्तरों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
205. जहां तक कार्यक्रम सं. 8 (बिक्री कर छूट) का संबंध है, मलेशिया की सरकार और सहयोगी निर्यातक, दोनों ने ही इस बात से इंकार किया था कि मलेशिया में औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस प्रकार की कोई सब्सिडी उपलब्ध है। केवल सत्यापन के दौरान निर्यातक का झूठ पकड़े जाने पर ही निर्यातक द्वारा कुछ दस्तावेज प्रदान किए गए और उसमें यह स्वीकार किया गया कि उन्हें वास्तविक रूप से लाभ मिला है। अब तक मलेशिया की सरकार का इस सब्सिडी योजना पर कोई भी उत्तर नहीं है और न ही उन्होंने यह प्रमाणित करने के लिए कोई सूचना प्रदान की है कि निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना सही है। प्राधिकारी ने इस तथ्य को मान्य किया है कि निर्यातक और मलेशिया की सरकार ने निम्नलिखित पैरा के तहत अपनी जांच में इस सब्सिडी के संबंध में सूचना छिपाई है; 154: *कार्यक्रम सं. 8 के संबंध में, जिन्ही सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी ने कार्यक्रम के तहत किसी लाभ का दावा नहीं किया है। तथापि, डेस्क सत्यापन के दौरान, कंपनी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें यह दर्शाया गया है कि कंपनी इस सब्सिडी का लाभ ले रही है।* यद्यपि प्राधिकारी ने, मलेशिया की सरकार और मलेशियाई निर्यातक द्वारा गलत सूचना देने तथा सूचना को छिपाने को मान्य किया है, लेकिन उनके उत्तर को अस्वीकार न करके उन्हें अनुचित लाभ देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, मलेशिया सरकार से इस बात की पुष्टि किए बिना कि सहयोगी निर्यातक द्वारा दी गई सूचना सही हैं, प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातक द्वारा दी गई सूचना को अस्वीकार करना चाहिए था। मलेशियाई निर्यातक तथा मलेशिया की सरकार के उत्तर को केवल इसी आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए था।
206. जहां तक मलेशिया की सरकार और मलेशियाई निर्यातक के उत्तरों को स्वीकार करने का संबंध है, प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से मलेशिया की सरकार और मलेशियाई निर्यातक के उत्तरों में सूचना को छिपाने और गलत सूचना देने को स्पष्ट रूप से नोट किया है और मलेशियाई निर्यातक को व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करने का प्रस्ताव किया है, जो कि उनकी पूर्व प्रक्रियाओं और सुस्पष्ट कानूनी प्रावधान के खिलाफ है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस तथ्य को मान्य किया है कि मलेशिया की सरकार और मलेशियाई निर्यातक ने पैरा 42, 114, 115 और 154 के तहत, अपनी जांच में दो सब्सिडी योजनाओं के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की थी। इसके बावजूद प्राधिकारी ने स्पष्ट जांच परिणाम दिए कि मलेशिया की सरकार और मलेशियाई निर्यातक द्वारा गलत सूचना दी गई और सूचना को छिपाया गया, उन्हें व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान करने का प्रस्ताव किया, जो कि उनकी अपनी पूर्व प्रक्रियाओं का और कानून के स्पष्ट प्रावधान के खिलाफ है। यह ऐसे पक्षकारों के उत्तरों को अस्वीकार करने के लिए, जिन्होंने या तो पूरी सूचना प्रदान नहीं की या गलत सूचना प्रदान की, प्राधिकारी की संगत अवधारणा के प्रतिकूल है।
207. घरेलू उद्योग को ऐसी योजनाओं के नाम प्रदान नहीं किए गए हैं, जिनके तहत विदेशी निर्यातक ने लाभ प्राप्त किया है।

208. यह नोट किया जाए कि यद्यपि प्राधिकारी कार्यक्रम 1 और 8 के संबंध में निर्यातक के झूठ की पहचान करने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी मलेशियाई निर्यातक अथवा मलेशिया की सरकार की ओर से ऐसी योजनाओं के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं आया हुआ है।
209. एक सब्सिडीरोधी जांच में प्राधिकारी की जांच में अनुसरण करने की स्थिति में कमी नहीं आ सकती, जहां पर कि प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्यातक को प्राप्त सभी लाभ वास्तव में संगत निर्यातक और सरकार के उत्तरों में सही तरीके से सूचित किए गए हैं।
210. घरेलू उद्योग का यह भी कहना है कि किसी कार्यक्रम विशेष की प्रतिसंतुलनकारिता निर्धारित करने अथवा ऐसे कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभ निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार से पूरी सूचना प्राप्त हो। केवल इसी कारण से प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों को, जब ऐसे देश की सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई/अधूरी सूचना प्राप्त हुई, व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन प्रदान करने से बार-बार मना किया है।
211. मलेशिया की सरकार और मलेशियाई निर्यातक ने जानबूझकर और पूर्ण सक्रियता से प्राधिकारी को गलत सूचना प्रदान की और महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है और साथ ही कार्यक्रम सं. 1 और कार्यक्रम सं. 8 के संबंध में प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना का समर्थन करने के लिए मलेशिया की सरकार से कोई उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है।
212. यहां तक कि पाटनरोधी जांच में भी, उसी प्रतिवादी निर्यातक ने अपनी संगत पक्षकार की सूचना के संबंध में गलत सूचना प्रदान की थी, वह गलत पाई गई थी और उस जांच के बिल्कुल अंत में, प्रतिवादी निर्यातक ने घरेलू उद्योग के कहने के बाद और घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करने पर, जिसमें कि यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना गलत थी, प्रतिवादी निर्यातक ने अपने कथन को बदल दिया था।
213. प्रतिवादी मलेशियाई निर्यातक, जिन्यी सोलर ने मलेशिया में उनकी संगत कंपनी की मौजूदगी को प्रकट नहीं किया है। तथापि, प्रकटीकरण विवरण में इस मामले की बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। जैसी कि प्राधिकारी को जानकारी है कि सब्सिडी से प्राप्त कुछ लाभ प्रतिस्थापित होते हैं, और समूह कंपनियों द्वारा उनका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, और इसीलिए, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि सभी संगत कंपनियों का उपयुक्त तरीके से विश्लेषण किया जाए।
214. भारत, भारतीय निर्यातकों के खिलाफ की गई एक प्रतिसंतुलनकारी जांच में,, संगत पक्षकार सौदों और उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के बारे में सख्ती से जांच की गई थी। यहां तक कि भारत सरकार का उत्तर भी उनके डाटा में छोटी विसंगति पाए जाने पर जांच परिणाम में अस्वीकार कर दिया गया था। हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतनी स्तर की जांच तो मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों के खिलाफ की जानी चाहिए। आश्चर्यजनक बात है कि हम मलेशिया की सरकार और इस कथित सहयोगी निर्यातक के ऐसे व्यवहार को पारितोषिक देना चाहते हैं।

○ विशिष्ट सब्सिडी योजनाओं पर टिप्पणियां

कार्यक्रम सं. 1 : प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी

215. यह मानते हुए कि मलेशिया में ही प्राकृतिक गैस की कीमतों की स्थिति खराब है, मलेशिया में प्राकृतिक गैस की आयात कीमत का उपयोग, सब्सिडी की गणना करने के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस की बेंचमार्क कीमत स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता और उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि एक बार प्राधिकारी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि मलेशिया में ही प्राकृतिक गैस की कीमतों की स्थिति खराब है, तो मलेशिया में भी आयात कीमत पर विचार करने के लिए घरेलू बाजार की कीमतें अवश्य खराब होंगी। ऐसी स्थिति में, और मलेशिया सरकार अथवा निर्यातक से कोई सूचना प्राप्त न होने पर, घरेलू उद्योग का प्राधिकारी से विनम्र निवेदन है कि कृपया भारत में बिना सब्सिडी की घरेलू कीमतों के आधार पर बेंच मार्क कीमतें ***अमेरिकी डालर/ एमएमबीटीयू निर्धारित करें क्योंकि ऐसी कीमतें न सब्सिडी की हैं और न ही सरकार के हस्तक्षेप से प्रभावित हैं।

216. घरेलू उद्योग को असहयोगी मलेशियाई निर्यातक के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना करने के लिए प्रयोग की गई बैंच मार्क कीमतों के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई है। ऐसी बैंच मार्क कीमत को घरेलू उद्योग से गोपनीय नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह मलेशिया में अन्तर्राष्ट्रीय आयात कीमतों के आधार पर हैं और किसी भी पक्षकार द्वारा प्रदान की गई गोपनीय सूचना नहीं है।
217. घरेलू उद्योग का पुनः यह कहना है कि निर्माण क्षेत्र में उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी प्रदान करते समय, सस्ती गैस सुलभ कराने से बिजली उत्पादन की लागत में कमी आती है। इस प्रकार से उत्पन्न बिजली, बाद में विनिर्माण उद्योगों को सस्ती दर पर प्रदान की जाती है, जिससे समग्र लागत में कमी आती है। ब्लास उद्योग में गैस और बिजली विनिर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। करीब 54 प्रतिशत मलेशियाई बिजली उत्पादन तापीय स्रोतों से होता है, जिसमें कुल उत्पादन का 54 प्रतिशत गैस वाले संयंत्रों से आता है। यह जानकारी कि प्राकृतिक गैस की कीमतों की स्थिति सरकारी सब्सिडी के कारण मलेशिया में खराब हो रही है, इसलिए प्राधिकारी को मलेशियाई निर्यातक को प्रदान की गई बिजली पर गैस सब्सिडी के प्रभाव की भी जांच करनी चाहिए। तथापि, प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कार्यक्रम सं. 8 : बिक्री कर छूट

218. यद्यपि प्राधिकारी ने मलेशियाई निर्यातक और मलेशिया की सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में गलत सूचना देने और सूचना को छिपाने को मान्य किया है, लेकिन ऐसे पक्षकारों के उत्तरों को अस्वीकार न करके उन्हें अनुचित लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, मलेशिया सरकार से ऐसी सूचना के बिना, कि सहयोगी निर्यातक द्वारा दी गई सूचना सही है, प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना को स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

कार्यक्रम सं. 17 : संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता

219. कार्यक्रम सं. 17 के संबंध में, प्राधिकारी को यह पता चला है कि यह योजना प्रतिसंतुलनकारी नहीं है। तथापि, प्राधिकारी यह जांच परिणाम मलेशिया की सरकार और प्रतिवादी निर्यातक द्वारा दी गई गलत और भ्रामक सूचना के आधार पर है। इस संबंध में, मलेशिया की सरकार ने, अपने अनुरोध के पृष्ठ 106, बिन्दू (च) पर यह स्पष्ट रूप से कहा है कि “सरकार विवेक का प्रयोग नहीं करती कि कौन सी फर्म लाभ के लिए पात्र है।” तथापि मलेशिया सरकार के इस अनुरोध के प्रतिकूल मलेशिया के आय कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 80 और 81 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अन्यथा पात्र है, योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मंत्री को पूर्ण विवेक का प्रावधान है। मंत्री को ऐसे पूर्ण और अनिर्देशित विवेक के प्रावधान से वर्तमान कार्यक्रम को एससीएम करार के अनुच्छेद 2.1(ग) के प्रावधानों के तहत प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
220. घरेलू उद्योग को प्रदान की गई एनआईपी की विस्तृत गणना से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग के अनुकूलित क्षमता उपयोग के आधार पर की गई है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए ली गई *** मी. टन की कुल क्षमता घरेलू उद्योग की कुल टैम्परिंग की गई क्षमता है। घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद को अनील्ड ग्लास की टैम्परिंग करके तैयार किया गया है। घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता अनील्ड ग्लास की उत्पादन क्षमता तक सीमित है। अतः *** मी. टन की टैम्परिंग क्षमता को लेने की बजाय, प्राधिकारी को अनील्ड ग्लास की उत्पादन क्षमता लेनी चाहिए थी, जो *** है, क्योंकि घरेलू उद्योग अनील्ड ग्लास की उत्पादन क्षमता से अधिक संबद्ध वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता।
221. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से कतिपय आवश्यक सूचना के लिए दिनांक 26.11.2020 तथा 27.11.2020 के ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया था। तथापि, विस्तृत एनआईपी के प्वाइंट के अलावा, कोई उत्तर प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

222. जिन्यी सोलर ने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि मलेशिया सरकार ने यह स्वीकार किया है कि गैस की कीमतें सरकार द्वारा नियमित की जाती हैं लेकिन मलेशियाई उपभोक्ताओं को प्रस्तावित गैस की कीमत अन्य एशियाई बाजारों और भारत में कीमतों से अधिक हैं।

223. यह निर्धारण करने में कि क्या गैस कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी है, डीजीटीआर ने कार्यक्रम की विशिष्टता के संबंध में कहा है। मलेशिया सरकार ने प्रश्नावली उत्तर में यह कहा है कि मलेशिया में गैस के औद्योगिक प्रयोक्ताओं से टैरिफ श्रेणी के आधार पर चार्ज किया जाता है और उसी श्रेणी के उद्यमों से उसी कीमत पर चार्ज किया जाएगा। अतः कार्यक्रम सं. 1 विशिष्ट नहीं है और इस प्रकार इसे प्रतिसंतुलनकारी नहीं माना जा सकता।
224. गैस लागत पास-श्रू (जीसीपीटी) व्यवस्था के तहत, गैस की कीमतों को हर 6 माह में समायोजित किया जाता है ताकि यह बाजार की कीमत के अनुसार रहे ; और आशा है कि 2020 में बाजार की कीमत के अनुसार रहेगी। वास्तव में, जीसीपीटी व्यवस्था वर्ष 2019 के अंत में समाप्त हो गई। गैस आपूर्तिकर्ता, गैस मलेशिया बर्हड ने गैस कीमत में परिवर्तन के संबंध में कंपनी की घोषणा की है।
225. जिन्यी सोलर ने यह अनुरोध किया है कि मलेशिया में गैस सप्लायरों को जनवरी, 2020 से कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है। जनवरी, 2020 से शुरू किए गए गैस बिलों में अब जीसीपीटी खंड अथवा “सरकारी सब्सिडी” (माले में “सब्सिडी ओलेह केराजान पेरेसेकुतुआन”) नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जीसीपीटी व्यवस्था समाप्त हो गई है और उसके बाद से सहायता रद्द कर दी गई है।
226. जिन्यी सोलर ने यह अनुरोध किया है कि “कार्यक्रम सं. 8 – बिक्री कर छूट लागू नहीं है क्योंकि एलएमडब्ल्यू से दावा वापसी आयात शुल्क और बिक्री कर की प्रक्रिया आसान हो गई है, ड्रा बैक कार्रवाई की जरूरत नहीं है।”
227. मलेशिया कर प्राधिकरण द्वारा किए गए सबसे हाल ही के कर ऑडिट के दौरान, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जिन्यी सोलर एक शर्त को पूरी करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, मलेशिया कर प्राधिकरण ने आईटीए लाभ वापस लेने का निर्णय लिया है और 2018 के आकलन वर्ष के लिए 17,072,972.88 एमवाईआर के जुर्माने की राशि का देय कर लगाया है। आईटीए लाभ लेने के लिए एक तहत्वपूर्ण शर्त यह थी कि आवेदक के पास 20 प्रतिशत से अधिक अकुशल विदेशी कामगार नियोजित नहीं होने चाहिए।
228. 8 वर्ष को औसत लाभकारी कार्यकाल (एयूएल) मानना कंपनी के वास्तविक औसत एयूएल से मेल नहीं खाता। प्राधिकारी को मूल्यहास की गणना करने के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दावा की गई और अपनाई गई परिसंपत्तियों के औसत कार्यकाल के आधार एयूएल को अपनाना चाहिए, जो जीएएपी की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
229. गैस सब्सिडी और बिक्री कर/ सीमा शुल्क तथा निवेश कर भत्ते पर नोशनल ब्याज जांच की अवधि के औसत अर्थात् 6 माह न कि एक वर्ष के आधार पर होगा। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान लागू औसत ब्याज दर 4.06 प्रतिशत थी, लेकिन प्राधिकारी ने 6.5 प्रतिशत की दर पर आकलित कुल सब्सिडी पर एक नोशनल ब्याज लागत लागू की है, जो कि गलत है।
230. सब्सिडी मार्जिन की गणना के गोपनीय पाठ के आधार पर, यह पाया गया है कि डीजीटीआर ने जांच की अवधि के लिए दो बार निवेश कर भत्ते के प्रभाव पर विचार किया है। पहले प्रभाव पर जांच की अवधि के दौरान आईटीए के वास्तविक उपयोग के आधार पर विचार किया गया है और दूसरा 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार आईटीए के अंत शेष को विभाजित करके आईटीए के नोशनल प्रभाव को जोड़कर किया गया है। नोशनल प्रभाव को आईटीए के अंत शेष को एयूएल से विभाजित करके अर्थात् 8 वर्ष के अनुसार आकलित किया गया है। जब जांच की अवधि के लिए आईटीए को सब्सिडी की गणना के लिए विधिवत समाहित/ प्रयुक्त और लेखांकित किया गया है, तो आईटीए के अंत शेष के संबंध में पुनः जांच की अवधि के लिए नोशनल आधार पर आईटीए के अतिरिक्त प्रभाव की गणना करने का कोई औचित्य नहीं है। यह दोहरी गणना है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।
231. प्रकटीकरण में यह नहीं दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के कथित सब्सिडी वाले आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान कोई पर्याप्त क्षति का सामना नहीं करना पड़ा।
232. वर्तमान मामले में आयात मुख्यतः याचिकाकर्ता के अंत के बहुत ही महत्वपूर्ण मांग आपूर्ति अन्तराल और गुणवत्ता के मामलों के कारण से है। कथित सब्सिडी कथित आयातों में वृद्धि के लिए कारण नहीं है।
233. एसईजेड यूनिट के लिए किए गए आयातों को क्षति मार्जिन की गणना करते समय मात्रा और कीमत मापदंड की दृष्टि से अलग किया जाना जरूरी है, जो अब केवल मात्रा संबंधी मापदंडों के लिए किया जाता है।

234. इस प्रकार, प्रकटीकरण में मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में घरेलू उद्योग को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी और परिणामस्वरूप क्षति के ऐसे कोई ठोस साक्ष्य नहीं दर्शाए गए हैं, जिसके कारण वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

ट. प्राधिकारी द्वारा जांच

235. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक निर्यातक द्वारा भेजे अधूरे उत्तर को अस्वीकार करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर (पाटनरोधी जांच) के हाल के मामले सहित विभिन्न अनेक मामले भेजे जा चुके हैं। न्यूमेटिक टायर के पाटनरोधी मामले में सहयोगी निर्यातक ने डाटा के संबंध में कई परिशिष्ट प्रदान नहीं किए थे। वर्तमान सीवीडी मामले में, प्रश्नावली उत्तर में उत्पादक/ निर्यातक ने उनके द्वारा प्राप्त किए गए सब्सिडी लाभ का ब्यौरा प्रदान किया है। प्राधिकारी ने मलेशिया की सरकार से उत्तर भी प्राप्त किए थे। सहयोगी निर्यातक के उत्तर को अस्वीकार करने के संबंध में वर्तमान उल्लिखित पाटनरोधी जांच वास्तव में वर्तमान मामले से काफी अलग है। किसी भी सीवीडी मामलों में उत्पादक/ निर्यातक और निर्यातक देश की सरकार, दोनों के उत्तरों को सन्दर्भित करके जांच करनी अपेक्षित होती है। कुछ मामलों में उत्पादक/ निर्यातक को सब्सिडी प्रदान करने के लाभ से संबंधित डाटा, उत्पादन/ निर्यातक के उत्तर में प्रदान नहीं किए गए हैं, जो उसके पास संबंधित सूचना उपलब्ध न होने के संबंध में हो सकते हैं लेकिन सब्सिडी के रूप में प्रतिसंतुलनकारी हो सकते हैं, अतः प्राधिकारी ऐसी स्थिति में सरकार के उत्तर के साथ उसे संबद्ध करने के लिए बाध्य है। वर्तमान मामले में, मलेशिया सरकार और उत्पादक/ निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी मार्जिन की गणना करने के लिए जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध की गई है। अतः कतिपय मामलों में ऐसा हो सकता है कि उत्पादक/ निर्यातक द्वारा प्रदान किए गए डाटा ही पर्याप्त नहीं होते और उनमें सरकार के अनुपूरक उत्तर की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी की मात्रा का उपयुक्त आकलन किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सब्सिडी निर्यातक के डाटा के आधार पर सीधे परिकलित की जा सकती हैं, जबकि कुछ मामलों में पास-श्रु प्रभाव की जरूरत होती है।
236. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मलेशिया की सरकार ने योजनाओं के लिए अपने उत्तर में विशेष रूप से पात्रता संबंधी मापदंडों के ब्यौरे के साथ इस बात का उल्लेख किया था कि क्या कंपनी द्वारा अन्य ब्यौरों के साथ जांच अधीन कंपनी द्वारा कोई लाभ प्राप्त किया गया था। इस संबंध में मलेशिया की सरकार ने यह कहा है कि जैसा कि इस जांच परिणाम के पैरा 31 से आगे कहा गया है, योजना सं. 11, 17, 20 और 21 के संबंध में जांच किए जा रहे निर्यातक/ उत्पादक द्वारा लाभ प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस सहित अन्य योजनाओं के संबंध में मलेशिया की सरकार की टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम के भाग एफ4 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
237. कतिपय विशिष्ट सब्सिडी योजनाओं से संबंधित अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं :-

निवेश कर भत्ता (आईटीए)

238. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि औसतन लाभकारी कार्यकाल (एयूएल) के संबंध में सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक द्वारा आईटीए के संबंध में दावा किया गया है। एक पूरी कंपनी के आधार पर उत्पादक/ निर्यातक का दावा और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के साथ, जिसमें कि एयूएल को 10 और 15 वर्षों के बीच बताया गया है, को नोट किया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली निदेश (खंड ग, कार्यक्रम विशिष्ट प्रश्न, पैरा 4) में संकेतात्मक एयूएल को 10 वर्षों के रूप में दर्शाया गया है। अतः प्राधिकारी ने 10-15 वर्षों के लिए निर्यातक के दावे पर विचार नहीं किया है बल्कि 10 वर्षों के एयूएल को स्वीकार किया है।
239. प्राधिकारी उत्पादक/ निर्यातक के प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों, जिसमें उनके आईटीए दावों को अस्वीकार किया है और उसके परिणामस्वरूप रिफंड तथा मलेशिया की सरकार को जुर्माने को नोट किया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि रिफंड का दावा इस अवस्था में उत्पादक/ निर्यातक के ग्राह्य न होने अथवा उसकी पूर्वावस्था न होने के कारण बाद में सत्यापित नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सहयोगी निर्यातक अपनी टिप्पणियों को प्रकटीकरण के बाद दाखिल कर रहा है, जो 2019 की आईटीआर विवरणी में प्रस्तुत की गई पूर्व टिप्पणियों के क्रम में है और संगत चैक की प्रतियां यह पुष्टि करती हैं कि आईटीए उनके लिए बंद कर दिया गया है।

अतः इस पहलु को निर्यातक/ उत्पादक द्वारा बाद में संगत नियमों के तहत एक समीक्षा के तहत दाखिल किया जा सकता है। प्राधिकारी ने आईटीए को प्रतिसंतुलनकारी पाया है और एयूएल के आधार पर नोशनल वार्षिक भत्ते का पता चला है। उत्पादक/ निर्यातक ने यह भी अनुरोध किया है कि विभिन्न गणनाओं के लिए 6.5 प्रतिशत की अपनाई गई ब्याज दर को 4.06 प्रतिशत मानने की जरूरत है, जिसके लिए साक्ष्य प्रदान किए गए हैं। प्राधिकारी ने उस पर विचार किया है।

240. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां तक लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण वेयरहाउस (एलएमडब्ल्यू) की प्रतिसंतुलनकारिता का संबंध है, गणना में कोई संदेह नहीं है, जैसा कि प्रकटीकरण विवरण में स्पष्ट किया गया था और साथ ही उपरोक्त संगत पैरा में भी स्पष्ट किया जा चुका है। प्राधिकरण ने दोहराया है कि इस योजना के तहत संयंत्र और मशीनरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी की सीमा का प्रतिकार किया गया है और संयंत्र और मशीनरी दोनों पर और घरेलू बिक्री पर बिक्री कर के मोर्चे पर कार्यक्रम 8 में कब्जा कर लिया गया है।

बिक्री कर

241. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि संयंत्र/ मशीनरी/ अन्य इनपुट पर इनपुट बिक्री कर के संबंध में प्रकटीकरण में पहले ही विचार किया जा चुका है, मलेशिया के घरेलू बाजार में बिक्रियों के संबंध में आउटपुट बिक्री कर भी प्रतिसंतुलनकारिता के रूप में विचार किया गया है। अतः प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है और जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों पर जीएसटी की छूट के संबंध में उपलब्ध सब्सिडी का मूल्यांकन भी किया है तथा उसे सब्सिडी की कुल मात्रा में शामिल किया है।

प्राकृतिक गैस सब्सिडी

242. प्राधिकारी घरेलू उद्योग, सहयोगी निर्यातक और मलेशिया सरकार के अनुरोधों को नोट करते हैं, जो कि विभिन्न संस्थाओं को प्राकृतिक गैस के संबंध में प्रदान की गई सब्सिडी की व्यवस्था सहित उपलब्ध मात्रा के संबंध में हैं।
243. मलेशिया सरकार ने अपने उत्तरों में गैस की कीमत की व्यवस्था प्रदान की है उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान में विनियमित गैस कीमत बाजार की कीमत से मामूली कम है। डेस्क सत्यापन के दौरान भागीदारी निर्यातक ने यह स्पष्ट किया है कि संघीय सरकार के लिए सब्सिडी, जो गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा सृजित इनवायस में दर्शाई गई है, मलेशिया से गैस की निर्यात कीमत और उनमें घरेलू ग्राहकों के लिए गैस की कीमत के बीच का अंतर है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैस कंपनी द्वारा निर्यातक की गैस कंपनी द्वारा सृजित इनवायस में संघीय सरकार से सब्सिडी की राशि दर्शाई गई है। यद्यपि गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करते समय, यह पाया गया है कि सरकार द्वारा इस कंपनी को और भी अनुदान प्रदान किया गया है। इस पर भी सब्सिडी के भाग के रूप में विचार किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध जिनमें यह कहा गया है कि चूंकि निर्यातक ने प्रश्नावली उत्तर गलत दाखिल किया है, अतः उसके उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने इस मामले पर आगामी पैरा में विचार किया है। जहां तक घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है कि मलेशिया में एलएनजी की आयात कीमत सब्सिडी की मात्रा के लिए उपयुक्त बेंचमार्क है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बेंचमार्किंग के संबंध में यह दावा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह समान तुलना नहीं है और यह कि एनएनजी और एनजी का एचएस कोड भी अलग अलग है। तथापि, गैर सहयोगी/ शेष उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने इस बेंचमार्क अवधारणा को इसके प्रतिकूल तथ्य को देखते हुए स्वीकार किया है।
244. उत्पादक/ निर्यातक के डाटा के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि प्राकृतिक गैस को मैसर्स जिन्वी एनर्जी स्मार्ट (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी, जो कि मैसर्स जिन्वी एनर्जी सोलर की एक संगत कंपनी है, द्वारा गैस कंपनी से प्राप्त किया गया था। तब इसे मैसर्स जिन्वी द्वारा मैसर्स जिन्वी सोलर को उसी कीमत पर दिया गया था। प्राधिकारी ने दोनों कंपनियों के बीच संबंध को नोट करते हुए मैसर्स जिन्वी सोलर के लिए मूल्यांकित सब्सिडी की मात्रा में मैसर्स जिन्वी सोलर के लिए लागू सब्सिडी शामिल की है।
245. इस संबंध में प्राधिकारी सहयोगी निर्यातक की संगत कंपनियों से विश्लेषण के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध को भी नोट करते हैं। अतः प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि सहयोगी निर्यातक द्वारा प्राप्त की गई प्राकृतिक गैस की

सब्सिडी की राशि की गणना करते समय प्राधिकारी ने वास्तव में उसकी संगत कंपनी मैसर्स जिन्यी एनर्जी स्मार्ट (एम) एसडीएन बीएचडी को प्रदान की गई सब्सिडी पर विचार किया है और उसे मैसर्स जिन्यी सोलर मलेशिया एसडीएन बीएचडी के लिए अपनाया है।

246. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के अगोपनीय पाठ में सहयोगी निर्यातक द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी योजनाओं का नाम नहीं था। प्राधिकारी ने विधिवत् जांच करने के बाद उसे प्रदान करते हुए प्रकटीकरण विवरण में शामिल किया है।
247. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि प्राधिकारी को गलत सूचना प्रदान की गई और तथ्यों को जानबूझकर छिपया गया तथा प्राधिकारी ने आगामी पैरा में इन चिंताओं को शामिल किया है।
248. सीवीडी नियमावली के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट विधिवत् प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए टैक्चर्ड टेम्पर्ड ग्लास की क्षमता का अनुकूलन करके एनआईपी की गणना की गई है।
249. जहां तक एसईजेड और गैर एसईजेड यूनिटों के संबंध में डाटा के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसका उल्लेख प्रकटीकरण विवरण में किया गया है और इस अन्तिम जांच परिणाम में भी शामिल हैं।

घ. निष्कर्ष

250. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और, प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त जांच परिणामों में यथा उल्लिखित उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-
 - i. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से सब्सिडी कीमतों पर भारत को निर्यात किया गया है।
 - ii. घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की सब्सिडी के कारण पर्याप्त क्षति का सामना करना पड़ा है।
 - iii. संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।

ङ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

251. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने का प्रयोजन सामान्यतः सब्सिडी की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से संबद्ध देश को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता और इसीलिए उपभोक्ताओं के उत्पादों की उपलब्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
252. यह माना गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं की लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को प्रतिसंतुलनकारी उपाय लगाकर कम नहीं किया जाएगा, विशेषकर यदि सब्सिडी वाली संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक मात्रा तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने को सीमित किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिसंतुलनकारी उपायों को लागू किए जाने से सब्सिडी के कारण प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा और एक समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार होगा।

ड. सिफारिश

253. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और मलेशिया सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर उनके पक्ष अथवा विपक्ष में सूचना/ साक्ष्य प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। विनिर्दिष्ट नियमावली के तहत सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच शुरु करके और जांच करते हुए तथा घरेलू उद्योग को ऐसे सब्सिडी वाले आयातों के कारण पर्याप्त क्षति तथा सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन स्थापित करते हुए, प्राधिकारी का यह विचार है कि

सब्सिडी और क्षति को ऑफसेट करने के लिए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर यहां निर्धारित रूप में और ढंग से निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

254. प्राधिकारी द्वारा कमतर शुल्क नियम का अनुसरण करने के संबंध में, प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए कमतर सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के समान निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथा उल्लिखित निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है, जो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	समूह का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में शुल्क राशि
1.	70071900	टैक्सचर्ड टैम्पर्ड ग्लास, चाहे कोटेड हो या अनकोटेड	मलेशिया	मलेशिया	जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी .	9.71%
2	- वही -	-- वही -	मलेशिया के अलावा कोई अन्य देश	कोई अन्य	जिन्यी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी .	11.66%
3	- वही -	- वही -	मलेशिया के अलावा कोई अन्य देश	मलेशिया के अलावा कोई अन्य देश	उपरोक्त क्र. सं. 1 के अलावा कोई अन्य	11.66%

255. अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य आकलित मूल्य होगा जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित किया गया है और इसमें इस अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

256. इस अन्तिम जांच परिणाम के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ की जाने वाली कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2020

(Final Findings)

Sub. : Final Finding in Countervailing Duty/Anti-subsidy investigation concerning imports of Textured Tempered Glass whether Coated or Uncoated from Malaysia.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/13/2019–DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time thereof:

1. Whereas, M/s Gujarat Borosil Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Countervailing on imports of "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from Malaysia (hereinafter also referred to as the subject country).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioners, issued a public notice vide Notification No. 6/13/2019 - DGTR dated 12th September, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
 - b) The Authority invited the Government of Malaysia for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 29th August, 2019 in New Delhi, which was attended by the representatives of the Government of Malaysia.
 - c) The Authority issued a public notice dated 12th September, 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods.
 - d) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 12th September, 2019 to the Embassy of subject country, known producers/exporters from subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Petitioner and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.

- f) The Embassy of subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- g) The Authority sent questionnaires to the Government of the subject country in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Government. Government of Malaysia filed a questionnaire response, which has also been taken into account.
- h) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in subject country, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - i. M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD.
 - ii. GAR Lightglass SDN BHD.
- i) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
 - i. M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD.
- j) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject country, Government of Malaysia has also filed the questionnaire response.
- k) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - i. M/s Waaree Energies Limited
 - ii. M/s Alpex Exports Pvt Ltd
 - iii. M/s Vikram Solar Pvt Ltd
 - iv. M/s Surana Solar Limited
 - v. M/s Topsun Energy Limited
 - vi. M/s Tata Power Solar Systems Limited
 - vii. M/s Emmvee Photovoltaic Power Pvt Ltd
 - viii. M/s Navitas Green Solutions Pvt Ltd
 - ix. M/s Sova Power Limited (Godown)
- l) In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.
 - i. M/s. Waree Energies Ltd.
 - ii. M/s. Patanjali Renewable Energy Pvt. Ltd.
 - iii. M/s. Isolation Energy Pvtl. Ltd.
 - iv. M/s. Goldi Solar Pvt. Ltd.
- m) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation.
 - (i) Government of Malaysia
 - (ii) All India Solar Industries Association
- n) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/ submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- o) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

- p) The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Countervailing duty Rules has been worked out so as to ascertain whether Countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present disclosure statement.
- r) Verification of the information provided by the producers/exporters and Government of Malaysia to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such verified information has been relied upon for the purpose of present disclosure statement.
- s) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April, 2018 to March, 2019 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the POI.
- t) The Authority held an oral hearing on 26.02.2020 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with Rule 7 (6). The Authority held 2nd oral hearing also on 24.07.2020 due to change in Designated Authority as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were asked to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by other interested parties. The submissions made therein have been duly considered and addressed appropriately.
- u) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present disclosure statement.
- v) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- w) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x) Further information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary.
- y) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the disclosure statement on the basis of the facts available.
- z) A Disclosure Statement was issued to interested parties on 25th November, 2020 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 30th November, 2020 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.
- aa) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 USD = ₹70.85
- bb) In the final findings, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

"Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated".

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a) The product under consideration in the present application is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration"). The minimum level of transmission required in the subject good can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.
 - b) The subject good is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The glass of thickness 3.2 mm and 4 mm is generally used in Solar 4 Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications as per the current trend. The subject goods are classified under chapter heading 70071900. However, it has been claimed by the petitioner that the subject goods are also being imported under various other tariff headings like 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 etc.
 - c) As per the usual practice of the Authority, it is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

C.2. Submissions made by the other interested parties

6. None of the interested parties filed any comments regarding Product under Consideration.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:
 - a) The product under consideration in the present investigation is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration"). The minimum level of transmission required in the subject good can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.
 - b) The subject good is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The glass of thickness 3.2 mm and 4 mm is generally used in Solar 4 Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications as per the current trend. The subject goods are classified under chapter heading 70071900. However, it has been claimed by the petitioner that the subject goods are also being imported under various other tariff headings like 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 etc. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

8. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
 - a) The applicant is the only producer of the subject goods in India.

- b) The applicant has neither imported the subject goods nor is related to any of the importer or exporter.

D.2. Submissions of other interested parties

- 9. None of the interested parties filed any submission with regard to the scope and standing of the domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

- 10. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

“domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry”.

- 11. The application has been filed by M/s Gujarat Borosil Limited, as domestic industry of the product under consideration. The Authority notes that the applicant is the sole producer of the subject goods in India.
- 12. The Authority further notes that the applicant has neither imported the subject goods nor is related to any importer or exporter of the subject goods. The Authority holds that the applicant constitutes a major proportion of the production of the subject goods in India. Accordingly, for the purpose of this investigation, the applicant satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

- 13. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
 - a) The applicant has followed the requirements mentioned under Trade Notice No. 10/2018 to the hilt and has provided all the information as required under the said Trade Notice.
 - b) The contention of the Malaysian exporter with respect to annual account statements and balance sheet of the applicant is incorrect in view of the fact that the annual account statements and balance sheet submitted by the applicant to the Authority includes the account statements and balance sheet with respect to specific PUC as well. While the annual account statements and balance sheet of the applicant at the company level are available at the website of the applicant, the standalone annual account statements and balance sheet pertaining to the PUC is confidential and is not required to be provided to the opposite parties.
 - c) While the Malaysian exporter has raised issue regarding the applicant not providing a copy of its annual report, the said exporter itself has not provided its annual report.
 - d) The responses from the Government of Malaysia, participating producer/exporter as well as that of the importer are not in accordance with their obligations under Rule 7 of the Countervailing Duty Rules and the various Trade Notices issued by the Authority in this regard.
 - e) The names of the schemes availed by the producer/exporter have been claimed as confidential. This cannot be permitted under any circumstances as such withholding of critical information has severely restricted the ability of the Domestic Industry to comment on the response filed by them. Unfortunately, none of the said parties has attempted to make good for the deficiencies in their responses nor was any explanation provided for claiming such vital information as confidential in their written submissions.
 - f) The exporter from Malaysia and participating importers have claimed confidentiality even on the narrative portion to the questionnaire response. It is further submitted that quantitative figures also kept as confidential. This claim of excessive confidentiality has severely restricted the ability of the Domestic Industry to assist the Authority.

E.2. Submissions by other interested parties

14. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
- a) The non-confidential version of the petition violates the requirements and standards laid down in Rule 7 and 8 of the CVD Rules and Trade Notice No 10/2018 issued by the DGTR.
 - b) The Petition does not comply with Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018, which sets standards for disclosure of information in confidential version/non-confidential version of responses filed by the domestic industry and other interested parties with a view to streamline the investigation process.
 - c) The Non-Confidential Version of the petition is not the exact replica of the Confidential Version as the same is not serially numbered. No index is provided in order to get the overview of the documents submitted with petition.
 - d) In response to Costing Information of the application, the Domestic Industry has not furnished any information at all. The domestic industry has replied to all the questions as “*Enclosed as Annexure 6*”. However, Annexure 6 has been claimed as confidential without any justification.
 - e) Annual reports of the petitioner have been claimed as confidential without any grounds of justifications in the petition.

E.3. Examination by the Authority

15. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

16. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
17. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. OTHER MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by the Domestic Industry

18. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i. The submission of the interested parties regarding imports being a necessity and demand-supply gap in the country, it is submitted that the Domestic Industry has been increasing its capacities at regular intervals. As a matter of fact, the interested parties themselves acknowledge this fact in their submissions. Therefore, it is fallacious to state that the imports were a necessity for the importers. The installed capacity has been increased by Domestic Industry from 65700 TPA to 160600 TPA in 2019 by setting up a new facility and also enhancing the capacity of the existing equipment.
- ii. The response filed by the Government of Malaysia seems to pertain to some other product instead of the Product under Consideration. Question 5 in section B of the questionnaire response filed by the Government of Malaysia asks for the tariff schedule numbers which correspond to the ITC (HS) classification for the subject country. In response to the said question, the government of Malaysia has provided details relating to float glass and safety glass. No details relating to the subject goods been provided.
- iii. In response to question number 7 in section B, the Government of Malaysia has provided the export quantity and value of the subject goods from Malaysia to India for the years 2014, 2015, 2016, 2017 and the POI. It may be noted that the said response shows extraordinarily large quantities of exports of the subject goods from Malaysia to India in 2017, 2018 and Jan-Jun 2019. The said figures cannot be true for the Product under Consideration as even the total demand of the subject goods in the country is much lower than the volume of exports of subject goods from Malaysia to India mentioned in the response.
- iv. In relation to subsidies available to the Domestic Industry, it is submitted that the same is not the subject-matter of this investigation and, therefore, the Domestic Industry is not required to comment on the same. In any case, subsidy (if any) available to the Domestic Industry, does not justify or grant the license to producers in Malaysia to injure the Domestic Industry in India by channeling their subsidized imports into India.
- v. The submission of the interested parties that 84% of the imports are happening in SEZ, the Domestic Industry would like to submit that imports in DTA in the POI were around 77% of the total imports from Malaysia in 2018-19. Further, in 2019-20, while the imports have seen a significant spurt, the DTA imports remain to be major portion of the imports from Malaysia at 64%.
- vi. The interested parties have tried to relate the injury to furnace condition and quality issues. They have quoted improvement in financial performance for year 2018-19 but failed to relate the decline in profitability evident from the quarterly results for quarter ended on 31st December 2018 and quarter ended March 2019. Moreover, they have wrongly interpreted the comments made in the Annual report for year 2018-19 as relating to performance of first six months of year 2018-19 which actually relate to the period April to August 2019 i.e., after the POI.
- vii. With regard to the submissions relating to public interest, it is submitted that the interested parties have failed to provide any reason or instance as to how the levy of anti-subsidy duty will be against public interest. Even though there is no legal basis or obligation for the Authority to look into the public interest issues, the interested parties have miserably failed to demonstrate their claim that the imposition of countervailing duties will not be in larger public interest. On the contrary, the Domestic Industry submits that levy of duty will be in the public interest as it will allow the downstream user industry a continuous and reliable supply of subject goods.
- viii. As regards the submissions relating to injury parameters and their accuracy, Domestic Industry humbly submits that they have filed complete information which is true and correct. Therefore, the contention raised by interested parties in this regard is incorrect. It is further submitted that all the injury numbers and costing numbers have already been verified by the Authority from books of accounts of the producers. The detailed analysis of injury parameters is already on record and are not reported herein for the sake of brevity.

F.2. Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

19. The submissions made by the other interested parties are as follows:

- i. The declaration provided in the petition is not as per the format prescribed by the DGTR. The certificate provided in the petition for the declaration that the applicant has not imported the subject goods during the period of investigation cannot be taken into consideration by the Authority as the period of investigation mentioned in the certificate is from January 2018 to December 2018 whereas the POI for the current case is April 2018 to March 2019.
- ii. Even Indian Government provides several tax and non-tax benefits to business and investors investing in the country. While local jurisdictions, such as states, may also provide tax incentives for businesses, country-wide incentives are most widely applicable, and are broadly organized into four categories: location-based, industry-specific, export-linked, and activity-based.
- iii. Levy of anti-subsidy/countervailing duty will be contrary to public interest and would lead to the monopoly of the Domestic Industry.
- iv. The petition does not meet the adequacy and accuracy criteria and no initiation should have been contemplated based on such an incomplete petition.
- v. The petition contains data separately for Coated and Uncoated Glass at places and at TTG level at some other places. Though the bifurcation is welcome, data combined for the PUC as a whole which is total of coated and uncoated glass also should be given in the Format H. Else the injury cannot be fairly understood for the subject goods as defined.
- vi. The petitioner by way of the present petition is apparently attempting to implicate the Malaysian producer of subsidy as they failed to prove the contention of dumping against the said party in the past. We request the Authority to consider this background while evaluating the claims of the petitioners
- vii. Imports of PUC were necessitated due to the extraordinary level of demand-supply gap and no CVD should be imposed in such a circumstance.
- viii. Apart from capacity constraints, the subject goods produced by the petitioner suffer seriously from quality issues which also make the users dependent on imports.
- ix. An important feature of the subject goods is that the same is used by large number of units in the SEZ area. The imports made by such units do not attract ADD/CVD and it is very essential that the imports made in SEZ area should not be considered along with non-SEZ imports for the purpose of injury examination. Imports by the SEZ units are not of any consequence to the petitioner in view of the SEZ Act and the units in the non-SEZ area cannot be penalized for any imports made by the SEZ units. Thus, the Authority should use only imports in the non-SEZ area to examine injury on account of alleged subsidized imports.
- x. The finding in the anti-dumping investigation shows that about 84% of the total imports of PUC were made by SEZ units and the remaining 16% were in the non SEZ area. It is submitted that a similar pattern is apparent in the POI of the present investigation also which necessitates segregation of imports by SEZ units and non SEZ units. The units in the non SEZ area should not be made liable to pay CVD based on the imports made by the SEZ units and the segregation of imports is very essential.

F.3. Examination by the Authority

20. As regards the issue raised by the interested parties regarding inconsistencies in the data and certificates provided in the petition, the Authority notes that it has relied upon verified information and data for the purpose of the present disclosure statement. The Authority has also called for additional information wherever required and verified the information furnished by the domestic industry.
21. Regarding the submission that there are subsidies available to the Domestic Industry too, the Authority notes that the subsidies available to the Domestic Industry are not the subject matter of the present investigation.
22. With regard to the submission that levy of anti-subsidy/countervailing duty will be contrary to public interest, the Authority notes that the purpose of the of anti-subsidy/countervailing duty investigation is to address the situation created by subsidizing of the product under consideration. The objective of such investigation is not to block the imports but to provide a level playing field to the domestic industry against the subsidized imports.

23. As regards the submission that the present investigation is an attempt by the Domestic Industry to implicate the Malaysian imports since no contention of dumping against the said party was established in the Anti-Dumping investigation concerning import of subject goods from subject country, the Authority notes that the scope of present investigation is distinct from the Anti-Dumping investigation conducted earlier. It is further noted that the purpose of the present investigation is to investigate as to whether or not the article under investigation is being subsidized and whether imports of such articles in India cause or threaten material injury to the domestic industry.
24. As regards the submission of the interested parties relating to demand-supply gap, the Authority notes that the Domestic Industry has continuously increased its capacities to meet the demand of the subject goods in the country. Moreover, the purpose of the present investigation is not to block imports but to provide a level playing field to the Domestic Industry.
25. Regarding the issue of the quality of the goods manufactured by the Domestic Industry, the Authority notes that the interested parties have not provided any reliable evidence to support their claims in this regard. Also, quality, per-se is not an issue in a countervailing duty investigation.
26. With respect to the submission of the interested parties that most of the imports of the subject goods are happening in SEZ, the Authority notes that more than 75% of the imports from subject country were in DTA. Also, it is important to appreciate that any sales of PUC by SEZ units to DTA would also attract applicable CVD on PUC as per section 30 of the SEZ Act. Therefore, the concerns related to SEZ units both from the perspective of users and domestic industry is appropriately addressed through provisions of relevant rules.

F. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

27. The petition filed by Domestic Industry provided *prima facie* evidence of the existence of countervailable subsidies in the subject country to initiate the instant investigation prior to initiation of the investigation. Government of Malaysia was invited for consultation on 29th August, 2019 in New Delhi. The producers and exporters from Malaysia were advised to file response to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
28. The following producers/exporters from Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand including the Governments of Indonesia, Malaysia, Vietnam and Thailand have filed questionnaire responses.

i. M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD

General overview of the alleged Subsidy Programs

F.1. Submissions made by domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - i. Response of Xinyi Solar cannot be accepted, as they have not provided the information of their related company situated in Malaysia namely Xinyi Smart. Domestic Industry has further submitted that unless the data of Xinyi Smart is examined, the Authority would not be in a situation to calculate the total subsidy benefit availed by Xinyi Solar.
 - ii. Exporters have stated "not applicable" on most of the schemes on the grounds that the company did not avail the specified programs. However, when a company is eligible for a program, there is no reason to believe it would not have benefited under program. Thus, either the company should show absence of eligibility or must demonstrate why it has not availed benefit that is available under the program.
 - iii. Exporters from Malaysia have only responded with respect to three programs and haven't provided even a single submission for the rest of the 15+ programs alleged by the petitioners.
 - iv. The response filed by the Government of Malaysia is contradictory to the response filed by Exporters. The Government of Malaysia has stated that they are providing subsidy on gas. However, exporters denied of having any knowledge of any such subsidy.

F.2. Submissions made by other interested parties

30. The following submissions have been made by the other interested parties:

- v. Article 11.3 of the SCM Agreement requires an investigating authority to review the accuracy and adequacy of the evidence provided in a petition in order to determine whether it is "sufficient" to justify the initiation of an investigation.
- vi. It must be noted that "prima facie" and "sufficient" are two completely distinct terms, imply different standards and are not interchangeable. Further, the petitioner could not establish the existence of the three elements comprising a countervailable subsidy, i.e. financial contribution by a government or public body; benefit; and specificity.
- vii. The GOI's consistent use of a lower standard of assessment and its failure to first determine that the petition provides "sufficient evidence" of subsidization of the subject goods exporting producers and resulting injury to the Indian industry is a fatal error.

F.3. Calculation Methodology

- 31. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.
- 32. Further, the Authority has determined countervailability of any admissible subsidy only once under a countervailable programme and not to undertake a double countervailability

F.4. Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners**(i) Program No. 1: Subsidies on natural gas****a. Submission of the Domestic Industry**

- 33. The Petitioner submitted that under this program, natural gas is provided at subsidized rate by the gas providing company to manufacturing sector and electricity producers. The Domestic Industry further submitted that this subsidy is available for industries engaged in manufacturing activities as well as to the electricity producers. This, in turn, while providing the industries in manufacturing sector access to cheap gas, leads to reducing the cost of electricity production. As per the petitioner, the electricity so produced is thereafter supplied to the manufacturing industries at cheap rate leading to substantial overall cost reduction. They submitted that Gas and electricity are critical components of manufacturing process in glass industry and thus, this scheme confers benefit upon the Malaysian producers. As per the petitioner, the gas company is compensated by the government to the extent of subsidization.

34. As evidence of existence of the program, Petitioners relied on:

- Annual report of the Gas company "Gas Malaysia Behrad:"
- Regulated and unregulated gas prices published by the energy commission of Malaysia.
- Securities Analysis of Xinyi Solar published in the CMB international which demonstrates that Xinyi solar had upto 10% lower gas cost in 2018 which was 30% in 2017 but narrowed down after 18% price hike since 2018.
- Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/ other interested parties

- 35. Prior to the Asian Financial Crisis of 1997-98, the gas price to downstream consumers in Malaysia was based on market value. Contractually, gas prices were linked to a substitute petroleum product. As part

of the overall stimulus and recovery package implemented by the Government in response to the crisis, domestic gas prices were subsequently regulated. In October 2002, the Government began regulating the gas pricing for industrial sector where the gas prices for industrial sector were lower than the market price.

36. The price adjustments for industrial sector experienced eleven cycles of price revisions since 2014, with an increase of RM 1.50/million British thermal unit (MMBtu) every six months. As of March 2019, the average gas tariff for industrial sector was RM 32.92/MMBtu. The regulated gas price was expected to reach market price in 2020. In that note, the current regulated gas price is slightly lower than the market price.
37. Currently, there are two categories of gas prices in Malaysia that are collectively referred to as the two-tiered pricing mechanism, namely regulated gas price and market-based LNG-indexed price. Under the regulated gas price regime, which only applies to customers with pre-existing contracts, the Government regulates the price of the gas supplied by PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB). On the other hand, LNG indexed pricing is applicable for all new volumes, including additional volumes from customers with pre-existing contracts.
38. In addition, the government has also prescribed the Incentive Based Regulation (IBR) framework which sets the base tariff for industrial customers for three years from January 2017 to December 2019. This IBR framework allows changes in the gas costs to be passed through via the Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism every six months. GCPT is the mechanism to pass through the gas cost differential which incurred due to the difference between gas cost forecasted in base tariff and actual gas cost. GCPT is implemented every 6 months in January and July. The rate will be either a rebate or surcharge.
39. The gas price charged to industrial customers is based on tariff category. All the customers in the same tariff category will be imposed the same price.
40. Since this program is not available for industrial customers, no application process is applicable.

c. Examination by the Authority

41. Authority notes that this program is governed by Gas Supply Act, 1993. The subsidy program allows regulated rates of natural gas prices for industrial sector including the electricity sector. It is noted that the GOM has admitted that subsidies are provided to the gas supplying company, which in turn supplies gas to the exporter at reduced rates. The difference is then recovered by the said company from the GOM. Thus, there is a direct financial contribution by the GOM. Further, the response of GoM states that:

“The government has also prescribed the Incentive Based Regulation (IBR) framework, which sets the base tariff for industrial customers for three years from January 2017 to December 2019. This IBR framework allows changes in the gas costs to be passed through via the Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism every six months. GCPT is the mechanism to pass through the gas cost differential which incurred due to the difference between gas cost forecasted in base tariff and actual gas cost. GCPT is implemented every 6 month in January and July. The rate will be either a rebate or surcharge”

42. Regarding the contention of the GOM that the program is not available to the industrial customers, the Authority observes that the GOM has admitted the existence of the subsidy element in the gas pricing mechanism which is supplied to the industrial producers. The Authority notes that it is not necessary for a subsidy to be countervailable that it should be made available to the concerned enterprise directly. In this context, it would be appropriate to refer to the definition of “subsidy” under Section 9(1) of the Customs Tariff Act, 1975.
43. The Authority takes note of the fact that neither the Malaysian Government nor the cooperating producer from Malaysia has made any submission against the countervailability of this scheme. Nevertheless, the Authority examines the countervailability of the scheme below:
 - i. The response submitted by the GoM states that the gas prices in Malaysia are regulated by the Government.

- ii. The response submitted by the GoM acknowledges that there is a price differential in the market prices of gas and the prices of gas for industrial users.
- iii. Further, the response of GoM also states that the gas price charged to industrial customers is based on tariff category, indicating consumption based tariff system.

44. In view of the aforesaid, the program is noted to be countervailable.

(ii) Program No. 2: The Market Development grant

a. Submission by the petitioners

45. The Petitioner submitted that the scheme is introduced by Malaysian Investment Development Authority (MIDA) for SMEs to promote export promotional activities. The maximum grant for an SME under the MDG program is RM 200,000. The SME should have been incorporated under the Companies Act, 1965 with at least 60% Malaysian equity ownership. The evidence and the legal basis are General Policies, Facilities, and Guidelines for Market Development Grants (MDG)-2016

b. Submission by the Government of Malaysia/ other interested parties

46. It is a continuous program structured under the 11th Malaysia Plan (Rmk11, 2016 - 2020) for increasing the SME's participation in export promotional activities.

47. The MDG provides an opportunity for Malaysian SMEs to apply for a reimbursable grant up to RM200,000 for participation in export promotional activities namely International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centres overseas

c. Examination by the Authority

48. The Authority notes that the Market Development Plan (MDP) was introduced in 2002. It is part of the 11th Malaysian Plan (2016-20). It is intended to increase the participation of SMEs in export promotional activities. The MDP provides SMEs with a reimbursable grant up to RM 2,00,000 for their participation in export promotional activities such as International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products in supermarkets, hypermarkets or retails centres overseas.

49. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because is contingent on export. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(iii) Program No. 3: Pioneer Status

a. Submission by petitioners

50. The Domestic Industry has submitted that under this program a company granted Pioneer Status will enjoy tax exemption from corporate income tax. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. Five-year partial exemption is provided from payment of income tax. A company pays tax on 30% of its statutory income, with exemption period commencing from its Production Day. Unabsorbed capital allowances and accumulated losses incurred during the pioneer period can be carried forward and deducted from post pioneer income of company. As evidence of existence of the program, petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- New and full notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

- Laws of Malaysia Act 327 of Promotion of Investment act, 1986 Part-II Sec 5,6,7, deals with pioneer status
- Web Report: EXIM Bank's Export Credit Refinancing
- US Extruded through Malaysia

b. Submission by the Government of Malaysia/ other interested parties

51. Companies are required to submit the applications for the Pioneer Status program to the Malaysian Investment Development Authority (MIDA), an agency under Ministry of International Trade and Industry (MITI). The company will then be required to get the Pioneer Certificate from MIDA. This is to ensure that the company has complied with the conditions imposed. After MIDA is satisfied that the company has complied with the conditions, MIDA will determine the production date for the company and determine the start and ending date of the program. Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions. The applicants will need to go through the Approval Committee also.
52. The major tax incentives for companies investing in the agricultural and manufacturing sectors are the Pioneer Status and Investment Tax Allowance. These incentives are mutually exclusive. Sections 5-25 Promotion of Investments Act 1986 are evidence of the same. The benefit is an exemption from taxes owed. Also, losses can be carried forward.
53. The eligibility criteria for the Pioneer Status is case such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country.

c. Examination by the Authority

54. The Authority notes that Sections 5 to 25 of the Promotion of Investment Act 1986 provides for pioneer status program. The program provides for tax incentives in the form of exemption from income tax. Losses incurred during the exemption period can be carried forward for subsequent years to offset taxable income/net profit. The program is available for a pre-specified list of promoted products/activities.
55. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to promoted activity/product mentioned in the list. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(iv) Program No. 4: Investment Tax Allowance

a. Submission by petitioners

56. The Petitioner submitted that under this program, a company granted Investment Tax Allowance (ITA) is entitled to offset this allowance against the statutory income for each year of assessment. The program encourages investments in promoted activities/products in the manufacturing sector, that can contribute to development and growth of economy. It applies to both local and foreign investors for approved promoted products/activities in the manufacturing sector. An allowance of 60% on its qualifying capital expenditure incurred within 5 years from the date the first qualifying capital expenditure is incurred is given. Company can offset this allowance against 70% of its statutory income for each year of assessment. Remaining 30% of its statutory income will be taxed at the prevailing company tax rate. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- New and full notification pursuant to article xvi:1 of the GATT 1994 and Article 25 of the Agreement on Subsidies and Countervailing measures-Malaysia dt. 5 October, 2017
- <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
- List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by the Government of Malaysia/ other interested parties

57. Investment Tax Allowance (ITA) may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. Promoted activities and promoted products are determined and gazetted by the Minister of International Trade and Industry. Sections 26 – 29 of the Promotion of Investments Act 1986 (Act 327) are evidence of the same.
58. The allowance is only given on capital expenditure incurred on industrial buildings, plant and machinery directly used for promoted activities or the production of the promoted products. Companies are required to submit the applications for ITA program to MIDA, an agency under MITI. The company will then be required to establish the commencement of ITA period which is on the incurrence of the first capital expenditure duly certified by MIDA. Later, companies approved with the program submit their claims to the Inland Revenue Board (IRB) together with their annual tax returns containing the calculation of claim for the tax deductions.
59. The eligibility criteria for the ITA are value added (VA) percentage and level of technology as measured by the MTS Index.
60. Not all individuals/firms who applied and met all the eligibility criteria are approved. The applicants will need to go through the Approval Committee. The assistance is a deduction from taxable income. The allowance can be carried forward until fully utilized.
61. A company can elect to receive Pioneer Status but not receive the Investment Tax Allowance, or can elect to receive the Investment Tax Allowance, but not Pioneer Status.

c. Examination by the Authority

62. Authority notes that Sections 26 to 29 of the Promotion of Investments Act 1986 provides for Investment Tax Allowance program. Promoted activities and promoted products are granted a capital allowance. Value addition and technological requirements are also to be fulfilled. Out of the total capital expenditure, 60% of the capital expenditure is granted as allowance and can be deducted against 70% of statutory income for 5 years. Remaining income can be taxed at the normal income tax rate. Even for companies that meet the listed criteria of promoted activity, value addition and level of technology, the Authority retains the discretion to reject the applicant seeking benefit under this program.
63. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is limited to certain enterprises, which meets the promoted product and are approved by the Authority. A company that has received income tax exemption from Pioneer Status cannot avail benefit under this program. The Authority has already determined that countervailing duty should be imposed for exemption from income tax under Pioneer Status. Therefore, the Authority notes that no additional countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(v) Program No. 5: Accelerated Capital Allowance

a. Submission by Petitioners

64. The Domestic Industry has submitted that under this program a special allowance, where the capital expenditure is written off within 3 years, i.e. an initial allowance of 40% and an annual allowance of 20%, is given. After the 15-year period of eligibility for Reinvestment Allowance, companies that reinvest in the manufacture of promoted products are eligible to apply for Accelerated Capital Allowance. Applications have to be submitted to the IRB accompanied by a letter from MIDA certifying that the companies are manufacturing promoted activities/products. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:
 - i. Promotion of Investment Act, 1986
 - ii. <http://www.mida.gov.my/home/incentives-in-manufacturing-sector/posts/>
 - iii. List of promoted activities and products which are eligible for consideration of pioneer status and investment tax allowance under the Promotion of Investment act, 1986

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

65. Accelerated Capital Allowance (ACA) provides allowances to write off the capital expenditure within two years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting ACA. Program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available. The assistance is an accelerated capital allowance to be deducted from taxable income. The allowance can be carried forward. Generally, to be eligible for accelerated capital allowance (ACA), a person must meet the following conditions:

- He was carrying on a business during the basis period
- He has incurred qualifying expenditure in the basis period
- The asset was used for purposes of a business, and
- At the end of the basis period, he was the owner of the asset and the asset was in use

66. The companies under investigation will be eligible to claim ACA if they fulfil the criteria and government doesn't exercise discretion as to which firm is eligible to benefit.

c. Examination by Authority

67. Authority notes that the program provides for capital allowance to write off the total capital expenditure within two years, i.e., an initial allowance of 20 per cent in the first year and an annual allowance of 40 per cent.

68. Authority notes that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to certain enterprise carrying out a promoted activity that qualifies for using this allowance and does not qualify for re-investment allowance on account of expiry of 15 years period of eligibility. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(vi) Program No. 6: Double deduction for promotion of Malaysian brand**a. Submission by Petitioners**

69. The Domestic Industry has submitted that under this program, expenditure incurred on advertising local brand products domestically is allowed double deduction i.e. expenses incurred on certain activities can be set off twice as against taxable profits. The local brand must be owned more than 50% by the registered proprietor of the Malaysian brand name which should be owned by a company that's locally incorporated with at least 70% Malaysian owned and registered in Malaysia or overseas. The deduction can only be claimed by one company in a year of assessment. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on

- Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- Inland Revenue Board of Malaysia Public Ruling No.1/2013
- Malaysian External Trade Development Corporation

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

70. Expenditure for qualifying advertisements in advertising Malaysian brand name goods is eligible for a double deduction in arriving at adjusted income from a business. Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002 are given in evidence. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred within Malaysia for advertising Malaysian brand goods. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB. The claim can be made in the annual tax returns for the fiscal year (basis period) in which the expenditure is incurred. The companies under investigation will be eligible to claim the deductions if they fulfill the criteria. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.

71. No changes are anticipated to the program.

c. Examination by the Authority

72. The Authority notes that this program is governed by Income Tax (Deduction for Advertising Expenditure on Malaysian Brand Name Goods) Rules 2002. Under this program, expenditure incurred in advertising Malaysian brand is eligible for double deduction from business income. To qualify for this double deduction, the company must have 70% Malaysian equity and the brand name should be of goods of export quality.

73. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to an enterprise that incurs expenses on advertising Malaysian brand. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(vii) Program No. 7: Drawback on Import duty, Sales tax and Excise duty

a. Submission by petitioners

74. The Domestic Industry has submitted that under this program, drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on

- Section 99 of the Customs Act 1967
- Section 29 of the Sales tax Act 1972
- Section 19 of the Excise Act 1976

b. Submission by the Government of Malaysia/ other interested parties

75. Program provides for Duty Import Refund on imported goods that are subsequently re-exported. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). No changes are anticipated to the program. Companies are required to submit the applications for Drawback under sections 93, 95, 99 of Customs Act 1967 to Royal Malaysian Customs Department (RMCD). Then the companies are required to provide proof of import/export declaration and relevant import/export documents. RMCD will verify the documents before refund is made or disapprove.

c. Examination by the Authority

76. Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Customs Department. The program provides import duty refund on goods that are subsequently re-exported. It is however, noted that the Government of Malaysia has not indicated the mechanism of providing duty drawback.

77. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(viii) Program No. 8: Sales Tax Exemption

a. Submission by the Domestic Industry

78. The Domestic Industry has submitted that in order to reduce cost of doing business and enhance competitiveness the government has exempted the sales tax. This program is approved and administrated by RMCD and established in 1.9.2018. The Domestic Industry has submitted that under this scheme manufacturers with an annual sales turnover of less than RM 100,000 are exempted from licensing and are thus exempted from paying sales tax on their output. However, these manufacturers can opt to be licensed and obtain sales tax exemption on their inputs instead.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

79. The program provides exemption from payment of sales tax on importation and purchase of locally manufactured goods under Sales Tax (Person Exempted from Payment of Tax) Order 2018. Exemptions are classified into three (3) schedules.

c. Examination by Authority

80. Authority notes that the program is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides exemption from payment of sales tax, to persons or manufacturers who meet the eligibility criteria and conditions. This exemption is on import of plant and machinery and also on sales of subject goods in the domestic market. The benefit is in the form of exemption of Sales tax to the exporters which is otherwise due. The program is also specific because it is available to certain enterprise who meet the eligibility criteria. Therefore, this program is noted to be countervailable.

(ix) Program No. 9: Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities**a. Submission by Domestic Industry**

81. The Domestic Industry has submitted that under this program, to reduce cost of doing business and enhance competitiveness, import duty and sales tax exemption are given to Malaysian brands with at least 60% Malaysian equity who outsource manufacturing activities. Import duty and sales tax exemption on raw materials and components used in manufacturing of finished products by their contractual manufacturers locally/abroad and import duty and sales tax exemption on semi-finished goods from their contract manufacturers abroad to be used by their local contract manufacturers to manufacture finished products are available. As evidence of existence of the program, Domestic Industry have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

82. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. Section 14(2) Customs Act 1967 is given as evidence. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from scheme and the authorities do not exercise discretion. No changes are anticipated to the program.

83. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annex I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition).

84. To qualify for the exemption,

- Imported raw materials and components which are used to manufacture finished products with nil import duty.
- Semi-finished products which are imported from contract manufacturers abroad and are used in the manufacture of finished products by local contract manufacturers.

c. Examination by the Authority

85. Authority notes that Section 14(2) Customs Act 1967 governs the administration of the program. The program is administered by the Malaysian Investment Development Authority. The program provides import duty exemption on raw materials, components and/or semifinished products for outsourcing manufacturing activities. Raw materials which are used in the production of the exported product and semi-finished goods which are imported from contract manufacturers for use by local manufacturers qualify for this exemption.

86. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(x) Program No. 10: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables**a. Submission by the Domestic Industry**

87. The Domestic Industry has submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on spares and consumables used directly in manufacturing process where import duties are nil process and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported spares and consumables are taxable but not available locally. Full exemption is given on import duty and sales tax. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

88. The program provides import duty exemption on spares and consumables to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The program involved evaluating import duty exemption on raw materials, components and/or semi-finished products for outsourcing manufacturing activities. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD, MIDA and IPC. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.

c. Examination by the Authority

89. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on spares and consumables. The program is administered by Malaysian Investment Development Authority (MIDA). The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is subject to fulfilment of certain criteria.

90. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xi) Program No. 11: Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment

a. Submission by the Domestic Industry

91. The Domestic Industry has submitted that since it is the policy of the government not to impose taxes on machinery and equipments used directly in manufacturing process and not produced locally, tax exemption-Revenue forgone is given where imported machinery and equipment are taxable but not available locally. Full exemption is given on import duty and sales tax. For locally purchased machinery and equipment full exemption is given on sales tax. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on MIDA's tariff related incentives.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

92. The program provides import duty exemption on machinery and equipment to qualified manufacturer. MIDA issues a letter to confirm the status of the manufacturer. The manufacturer then claims for exemption. To qualify for the exemption, the machinery and equipment must be new, unused and directly used in the manufacturing process of the finished product at the approved manufacturer's premise(s). All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. No changes are anticipated to the program. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The laws and regulations governing this program are contained in Customs Duties (Exemption) Order 2017.

93. The companies under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview.

c. Examination by the Authority

94. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on new and unused machinery and equipment to qualified manufacturer. There is no exemption from sales tax during the POI because Sales Tax Act 1972 [Act 64] was repealed with the enactment of the Goods and Services Tax Act 2014 [Act 762] entered into force 1 July 2014. The program is administered by the Malaysian Investment Development Authority.

95. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to certain enterprises that import new machinery and equipment for manufacturing activity.

96. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xii) Program No. 12: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components**a. Submission by the Domestic Industry**

97. The Domestic Industry has submitted that under this program, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided raw materials/components are not produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. This is regardless of whether the finished products are meant for export or domestic market. The eligibility is that the companies should be involved in manufacturing activities.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

98. Authority notes that the program is governed by Customs Duties (Exemption) Order 2017. It provides for import duty exemption on raw material and components. A committee on duty exemption is established with members comprised of representatives from MoF, MITI, RMCD and MIDA. All manufacturers which meet the eligibility criteria will benefit from this scheme and MIDA does not exercise discretion. This program is not countervailable since it conforms with the provisions of Annexes I, II and III of the SCM Agreement (Exception to the subsidy definition). The companies under investigation conformed with the eligibility criteria which are under MIDA's purview.

c. Examination by Authority

99. Authority notes that the program is governed by Section 14(2) of Customs Act 1967. The program provides for import duty exemption to the qualified manufacturer on raw materials / component that are not locally available.

100. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to an enterprise that uses raw material that are not locally available.

101. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xiii) Program No. 13: Double Deduction for Promotion of Exports**a. Views of the Domestic Industry**

102. The Domestic Industry has submitted that under this program tax deduction is given to exporters for expenses which are aimed at promoting exports and supply of goods overseas, cost of maintaining office overseas for purpose of promotion of services, publicity and advertisements in any media outside Malaysia for promotion of export of services and Page 59 of 139 export market research. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on

- Section 41 of Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- WT/TPR/S/292
- WTO-Notification-G/SCM/N/3/MYS-1995
- US carbon steel wire rod from Malaysia

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

103. The program which is provided under section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) read together with rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 is applicable to all resident trading, manufacturing or agricultural companies in respect of expenses incurred in the basis period primarily and principally for the purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products. There are no anticipated changes to the program. The deduction can be carried forward.

104. Applicant companies are required to make the claim for the incentive by completing forms and substantiate the claims together with copies of business receipts pertaining to the expenses incurred overseas for advertising, travelling and related export promotional expenditure. The original supporting documents must be retained by the company for audit purposes by the IRB.

105. In the case of participation in an international trade fair, companies are required to get a letter of approval from MATRADE.

c. Examination by the Authority

106. Authority notes that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act (PIA) 1986 (Act 327) & Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986. Under this program double deduction from income to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities is available for expenses incurred for promotion of export. Expenses incurred by a company for increasing demand for exports are allowed for double deduction.
107. The Authority notes that the program provides for financial contributions the form of revenue foregone, which is otherwise due, and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to an enterprise engaged in export promotion activity.
108. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xiv) Program No. 14: Double Deduction for Promotion of Export Cargo

a. Submission by the Domestic Industry

109. The Domestic Industry has submitted that under this program an exporter may make a deduction from taxable income for premium insurance on export cargo and regional tax deduction for tax insurance. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on

- Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax promotion of export rules 1986
- Tax incentives for Companies
- Other Authority findings

b. Submission by Government of Malaysia/Other interested parties

110. A double deduction is allowed to a person who incurs premium on the insurance of cargo exported from Malaysia provided that the risks are insured with an insurance company incorporated in Malaysia. The premium paid must be in accordance to section 33 of Income Tax Act 1967. The assistance is a deduction from taxable income. The deduction can be carried forward.
111. This program has been revoked since 2016. Income Tax (Deductions of Insurance Premiums for Exporters) (Revocation) Rules 2012 is given as evidence.

c. Examination by the Authority

112. The Authority notes that the program was governed by Income Tax (Deductions Of Insurance Premiums For Exporters) Rules 1995 and is revoked by Income Tax (Deductions Of Insurance Premiums For Exporters) (Revocation) Rules 2012 since 2016.

(xv) Program No. 15: Allowance for Increased Export

a. Submission by the Domestic Industry

113. The Domestic Industry has submitted that this program is a form of tax incentive granted to companies under section 154(1) of Income Tax Act 1967 and Rule 3 of Income Tax (Allowance for increased exports) Rules 1999 and Income Tax (Allowance for increased exports) amendment Rules 2003. An exporter can avail 70% tax deduction from taxable income for increased exports. Also, if the said allowance is not used during the earned year that can be forwarded to the following assessment year. As evidence of existence of the program, Petitioners have relied on:

- Promotion of Investment Act, 1986
- Income tax act 1967
- Customs Act 1967

- Sales tax Act 1972
- Excise Act 1976
- Free zones act 1990

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

114. A resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The assistance is an exemption from taxable income. The allowance can be carried forward. There are no anticipated changes to the program. Income Tax (Allowance for Increased Exports) Rules 1999 is given in evidence. The Rules contain the following definitions:

- a. agricultural produce means fresh and dried fruits, fresh and dried flowers, ornamental plants and ornamental fish, frozen raw prawn or shrimp, frozen cooked and peeled prawn and frozen raw cattle fish and squid;
- b. export means direct exports not including sales to Free Industrial Zones and Licensed Manufacturing Warehouses; Page 62 of 139
- c. value added means the sale price of goods at ex-factory price less the total cost of raw materials; and
- d. value of increased export means the difference of the Free-On-Board (FOB) value of products exported in the basis period and that of the immediately preceding period. FOB value will exclude the freight charges and insurance cost.

115. The allowance is determined as follows:

a. Manufactured products

- 10% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 30% of value added;
- 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company where the products exported attained at least 50% of value added.

b. Agricultural products

- 10% of the value of increased exports of agricultural produce by the company.

116. The allowance will be given against seventy per cent of statutory business income of the company. Any export allowance not set off would be carried forward to be set-off against seventy per cent of the statutory income in future years.

c. Examination by Authority

117. Authority notes that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The allowance is equivalent to 10% or 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company. Allowance will be given against 70% of the statutory business income.

118. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xi) Program No. 16: Tariff Related Incentive

a. Submission by the Domestic Industry

119. The Domestic Industry has submitted that under this program, full exemption from import duty on raw materials/components is normally granted, provided raw materials/components are not produced locally or if produced locally, they aren't of acceptable quality and price. This is regardless of whether the finished products are meant for export or domestic market. The eligibility is that the companies should be involved in manufacturing activities.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

120. The subsidy program is same as program No. 13. **(Double Deduction for Promotion of Exports)**

c. Examination by the Authority

121. The Authority notes that the program is administered by Director General of Customs. The program provides import duty exemption on raw material / component to qualified manufacturer. Exemption is granted when the raw materials / components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s).
122. The Authority notes that the program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program does not qualify to be permissible duty remission program because it provides exemption from import duty for raw material used in all kinds of manufacturing activities and not only for raw materials used in exported products, as provided in footnote 1 of the SCN Agreement and Section 9B(b) of the Customs Tariff Act. The program is specific because it is limited to enterprise that use raw materials that are not available locally.
123. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xvii) Program No. 17: Allowance for plants and Machinery**a. Submission by petitioners**

124. The Domestic Industry has submitted that Capital allowance is to give relief for wear and tear of fixed assets for business. It is further submitted that the expenditure must be capital in nature and used for business purpose. Costs of assets used in business such as plants and machinery, office equipment, furniture, fittings, motor vehicles etc.
125. Under this scheme initial allowance is fixed at 20% based on the cost of the asset at the time when the capital expenditure is incurred. Annual allowance is a flat rate given every year based on the original cost of the asset and varies accordingly.

b. Submission by the Government of Malaysia/ other interested parties

126. Capital allowance (CA) is deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. CA is given only in respect of a business source and the person who incurs the qualifying expenditure is eligible to claim the allowance. CA is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method on the basis of a prescribed rate of allowance. All companies that meet the eligibility criteria can claim the CA. This program is available to all companies and the IRB applies objective criteria in granting CA. Thus, this program does not constitute a countervailable subsidy because it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available

c. Examination by the authority

127. Authority notes that capital allowance provides deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. It is given to enterprise that incurs the qualifying expenditure. It is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method based on a prescribed rate of allowance.
128. Authority notes that this program does not provide countervailable benefit because it provides for normal deduction of depreciation on plant and machinery as per straight line method to all enterprise. Therefore, the Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(xviii) Program No. 18: Export Credit Refinancing**a. Submission by the Domestic Industry**

129. The Domestic Industry has contended that this scheme is in the form of export credit. It is a short term and post shipment financing to direct and indirect exporters. Exporters can obtain financing up to 95% of the value of their export order.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties.

130. Export Credit Refinancing (ECR) scheme is used to promote Malaysia's exports and international trade in the form of Pre-shipment and Post-shipment financing. ECR is available to all companies incorporated in Malaysia and involved in export activity.
131. The operational procedure of the ECR Scheme is governed by the ECR Guideline which is issued by EXIM Bank.

c. Examination by the Authority

132. The Authority notes that the program is administered by Export-Import Bank of Malaysia (EXIM Bank). Export credit refinancing program provides loan to enterprise to finance export of products. The program is governed by Export Credit Refinancing guideline issued by the Bank, which provides for eligibility criteria including eligibility of product (negative list of products which is maintained by bank) for the purpose of the program. The subsidy program is not restricted to any particular sector and is available to all companies incorporated in Malaysia.
133. EXIM Bank is a government-owned Development Financial Institution. It is a wholly owned subsidiary of the Minister of Finance Incorporated (Inc.). As an agency under the purview of the Ministry of Finance, EXIM Bank's mandated role is specified by the Government. It is to provide credit facilities to finance and support exports and imports of goods, services and overseas projects with emphasis on non-traditional markets, providing export credit insurance services, export financing insurance, overseas investments insurance and guarantee facilities.
134. The Authority determines that EXIM Bank is a public body because it is owned by Government and is vested with the Government Authority to carry out governmental functions. Accordingly, the loan provided by EXIM Banks are financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by the EXIM bank and the amount of interest charged by the comparable commercial loan.
135. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xix) Program No. 19: Buyer Credit Guarantee

a. Views of the Domestic Industry

136. The Petitioner submitted that under this program the overseas buyers are backed by EXIM Bank's unconditional and irrevocable guarantee in which lending bank is guaranteed repayment of due and interest amount. Malaysian exporter can help the overseas buyer to secure a long-term financing with a lender using the BCG. Malaysian exporter is paid as if he has a cash contract, whilst the overseas buyer has time to pay the contract through financing secured from the lender which is backed by EXIM Bank's guarantee. The evidence given is Buyer Credit Insurance by EXIM Bank. The loan amount under this program must be minimum value of RM 2mn in support of a cash contract and the repayment period should be at last 2 years and maximum 15 years.

b. Submission by Government/other interested parties

137. Bankers Trade Credit Takaful (BTCT) is a Credit Takaful designed to protect the Islamic Financial Institutions (IFIs) against risk of non-payment by their exporters arising from Page 45 of 139 default by the overseas buyers. It's available against a trade finance facility on trade terms such as Open Account, Documentary Collection and/or Letter of Credit.

c. Examination by Authority

138. The Authority notes that the program is administered by Exim Bank. There is no law or legal regulation governing the program.
139. The Authority has already determined that EXIM Bank is a public body. Under this program, EXIM Bank provides guarantee to financial institutions against risk of non payment by their exporters (customers) because of default arising from overseas buyers. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to (i) the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other

commercial bank for such guarantee and (ii) the difference between the loan repayment to the lending bank in question (owing to less than normal commercial interest rate because of EXIM bank guarantee) and the amount that would have been payable in absence of such guarantee (based on normal commercial interest rate). The subsidy program is also specific because it is contingent on export.

140. Therefore, this program is noted to be countervailable. However, the benefit under this program is not availed by the cooperating exporter.

(xx) Program No. 20: Licensed Manufacturing Warehouse (LMW)

a. Views of the Domestic Industry

141. This program was disclosed through the questionnaire response of the exporter as well as the supplementary response of GoM. The petitioner has not made any submission with respect to this plan.

b. Submission by Government/other interested parties

142. Section 65 of the Customs Act 1967 provides for storage of dutiable goods and Section 65A of the Customs Act 1967 provides for manufacturing process to be carried out in licensed warehouses. Licensed Manufacturing Warehouses (LMW) can be set up in Principal Customs Area (PCA) i.e. any part of Malaysia excluding a free zone, Labuan and Langkawi. Manufacturing operations therein are subjected to customs procedures.
143. Exemption from customs duties and sales tax is given to all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products regardless of whether the finished products are meant for export or local market from the initial stage of manufacture until the finished products. This includes packaging materials and casings. Further, only machinery and equipment required for direct manufacturing process of approved final products are eligible for exemption from customs duty and sales tax.
144. Machinery/equipment used directly in the manufacturing process in the LMW is exempted from import duty/sales tax regardless of whether the finished products are meant for export or local market.

c. Examination by Authority

145. The Authority notes that the program is administered by Royal Malaysian Customs Department. The program is governed by Section 65 and Section 65A of the Customs Act, 1967.
146. The Authority notes that under this program exemption from customs duties and sales tax is given to all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products. It is noted from the responses of the cooperating exporter and GoM that only machinery and equipment required for direct manufacturing process of approved final products are eligible for exemption from customs duty and sales tax under this program. Further, machinery/equipment used directly in the manufacturing process in the LMW is exempted from import duty/sales tax.
147. The Authority notes that this program provides exemption of customs duty and Sales tax on all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products. The subsidy program is also specific because it is contingent on product/enterprise. Xinyi Solar (Malaysia) SDN BNHD has also admitted receiving benefit under this program. Therefore, this program is noted to be countervailable.

(xxi) Program No.21: Investment Tax Allowance under the Income Tax Act, 1967

a. Submission by the Domestic Industry

148. This program was disclosed through the questionnaire response of the exporter as well as the supplementary response of GoM. The petitioner has not made any submission with respect to this plan.

b. Submission by Government of Malaysia/other interested parties

149. Investment Tax Allowance (ITA) may be granted to any company. The incentive will be given based on merits of certain case such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country.

c. Examination by Authority

150. The Authority notes that the program is administered by Malaysian Investment Development Authority (MIDA). The program is governed by Section 65 and Section 65A of the Customs Act, 1967. Xinyi Solar (Malaysia) SDN BNHD has also admitted receiving benefit under this program. Therefore, this program is noted to be countervailable.

Producers/Exporters from Malaysia**M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD.**

151. M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD is a producer/exporter of subject goods in Malaysia. M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD filed questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

152. Authority has verified the information provided by M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD and determined subsidy margin for program no. 1, 8, 20 and 21 for which benefit was received or accrued during the POI. Authority holds that these subsidy programs resulted in the provision of financial contribution in the form of revenue foregone which was otherwise due. The Authority further notes that with respect to Program no. 1, no claim on receipt/non receipt of subsidy on natural gas has been made by the cooperating exporter in its response whereas the Government of Malaysia has admitted that gas prices in Malaysia are regulated. However, during the desk verification, M/s Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD provided documents which showed that the company is availing subsidy benefits.

153. The Authority also noted the international import price of Liquefied Natural Gas in Malaysia. However, the co-operating exporter has stated that gas being supplied to them is natural gas and not the liquified gas. Accordingly, the Authority has determined the benefit under Program No. 1 for Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD on the basis of desk verification of data filed by the exporter duly correlated with the submissions filed by the Government of Malaysia on modalities of grant and availability of subsidies.

154. As regards Program No. 8, Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD has not claimed any benefit under the program. However, during the desk verification, the company presented documents which showed that the company is availing the said subsidy.

155. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

Program No.	Name of the grant program	Brief Description/Comment	Subsidy margin %	Subsidy Margin Range %
Program No. 1	Subsidies on Natural Gas	Availability of natural gas at government regulated prices	***	0-10
Program No. 8	Sales Tax Exemption	Exemption from payment of sales tax for specific person on acquisition of raw materials, components and packaging material to be used solely and directly in manufacture of taxable goods	***	0-10
Program No. 20	Licensed Manufacturing Warehouse	Exemption from custom duties and sales tax to all raw materials/components used directly in the manufacturing process of approved products regardless of whether the finished products are meant for exports or local market from the initial stage of manufacture until the finished products	***	0-10

Program No. 21	Investment Tax Allowance	Exemption of 100% on capital expenditures. The total investment cost on production facilities incurred within the period of ten (10) years from February 2015 can be used to offset the taxable profit incurred since year 2015 till the accumulated ITA is fully utilised.	***	0-10
Total			***	0-10
Total (after considering interest)			***	0-10

156. The Authority has determined the subsidy margin for all other producers/exporters from Malaysia on the basis of export price of the cooperating exporter and international import price of Liquefied Natural Gas in Malaysia.

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submission made by the Domestic Industry

157. The submissions made by domestic industry are as follows:

- Imports of the product under consideration from the subject country have shown massive increase over the years with a significant increase in POI. Imports have also shown increase in relation to production and consumption in India.
- Market share of the subject country in demand has been continuously increasing while there is a significant decline in the market share of the Domestic Industry. Further, the market share of the imports from other countries has also declined.
- Domestic industry prices reflect the effect of the prices that are being offered by the exporters in the domestic market.
- The market share, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry has been adversely affected by the dumped imports from subject country.
- The price underselling, price undercutting is positive and substantial. Further, the Domestic Industry is suffering from price depression as they are not able to increase its prices to reasonable terms.
- Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in terms of profits. In fact, the losses of the Domestic Industry have increased significantly in the injury investigation period and the period of investigation.
- The decline in profitability of the domestic industry was due to significant increase in the subsidized import from the subject country at non-remunerative prices.
- There has been decrease in selling price despite increase in cost of production and thus the subsidized imports from the subject country are creating price suppression effect on the domestic industry.
- The domestic industry has suffered material injury in connection with subsidized imports of subject goods from the subject country. Further, the domestic industry is threatened with continued injury, should the present condition continue.

H.2. Submission by other interested parties

158. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:

- The petition does not contain adequate evidence of injury to justify the initiation of this investigation.
- The imports from the targeted country have at no point in time during the period considered put any sort of volume pressure on the sales of the petitioner. The quantum of imports from Malaysia is very less and constitutes only 29.03% share of the total imports whereas the imports from other countries constitutes 70.65% of the total imports. The demand of the subject goods in India has been increased by more than 3 times, however, imports from subject countries constitutes a very nominal share of the same.

- c) Petitioner is increasing its capacity every year during the injury period and POI. Capacity has increased from 100 during the base year 2015-16 to 227 during the period of investigation. Accordingly, production of product under consideration has also increased sharply during the POI to 130 and 207 of uncoated and coated respectively from 100 during the base year 2015-16.
- d) Purported injury, if any, is mainly caused to the Domestic Industry because of undue/unjustified capacity. Domestic industry is not able to stabilize its capacity which results into negative impact on the overall performance of the petitioner and the capacity utilization % declined. In case, the petitioner had not increased the capacity so frequently, it must be operating on optimum capacity utilization. Such inappropriate decisions of increasing the capacity every year have caused injury to the petitioners not the imports from subject countries.
- e) The reason for the decline in the domestic selling price is not the continuous price pressure from the subject country as mentioned in the petition but the dumping of the goods from the other countries and other issues which are provided in the Annual Report of 2018-19 and 2017-18.
- f) Wages have increased during the POI with the decrease in number of employees. During the POI, the no. of employees declined from 100 to 90 as compared to the base year 2015-16, however, wages have increased substantially from 100 to 139. From the trend given by the petitioner, they are unable to understand as to how wages can increase so substantially with the decline in no. of employees.
- g) It is submitted that for the calculation of injury and causal link, the injurious effects of the subject imports must be segregated from other factors that cause injury pursuant to Article 15.5 of the SCM Agreement and Annexure I of the Anti-Subsidy Rules.

H.3. Examination by the Authority

159. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject countries.
160. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provide as follows:

13. Determination of injury-

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –

(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and

(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

I. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

i. Assessment of Demand

161. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of all Indian producers and imports from all other countries. It is seen that demand has increased over the injury period. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the DGCI&S import data. The demand so assessed is as follows-

S. No	Year	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Domestic Industry sales (MT)	***	***	***	***
2	Sales of other domestic producers (MT)	0	0	0	0
3	Total domestic sales	***	***	***	***
4	Imports from Subject countries (MT)	1	4297	37279	41789
5	Imports from other countries (MT)	30718	85529	64190	100596
6	Total Imports (MT)	30719	89826	101469	142385
7	Total demand (MT)	***	***	***	***
8	Trend	100	227	265	349
9	Market share of Domestic sales in demand	30-40	10-20	20-30	10-20
10	% Share of Subject countries in demand	0	0-10	20-30	20-30
11	% share of other countries in demand	60-70	70-80	40-50	50-60

162. It is noted from the above that:

- The demand of the subject goods has increased by around 3.5 times.
- The share of the subject country in demand has increased from almost negligible in the base year to around *** in the POI.
- The market share of the Domestic Industry in demand has decreased from *** in the base year to around *** in the POI.
- The market share of the other countries in demand has decreased from *** in the base year to around *** in the POI.

ii. Imports volumes and share of the imports from subject country

163. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country to both DTA and SEZ units has been analyzed as under-

S. No.	Year	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Imports from Subject countries (MT)	1	4297	37279	41789
2	Imports from other countries (MT)	30718	85529	64190	100596
3	Total Imports (MT)	30719	89826	101469	142385
4	Trend	100	292	330	464
5	Domestic Industry sales (MT)	***	***	***	***
6	Sales of other domestic producers (MT)	0	0	0	0
7	Total domestic sales	***	***	***	***
8	Trend	100	118	156	157
9	Total demand (MT)	***	***	***	***
10	Trend	100	227	265	349
11	Share in imports				
12	Imports from Subject countries (MT)	0%	5%	37%	29%
13	Imports from other countries (MT)	100%	95%	63%	71%
14	Share in Demand				
15	Market share of Domestic sales in demand	30-40	10-20	20-30	10-20
16	% Share of Subject countries in demand	0	0-10	20-30	20-30
17	% share of other countries in demand	60-70	70-80	40-50	50-60

164. After segregating the imports by SEZ units and non-SEZ units, the imports of PUC in non-SEZ units are as under:

S. No.	Year	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Imports from Subject countries (MT)	0	348	6218	21521
2	Imports from other countries (MT)	16261	44241	34843	32912
3	Total Imports (MT)	16261	44589	41061	54433
4	Trend	100	274	253	335
5	Domestic Industry sales (MT)	***	***	***	***
6	Sales of other domestic producers (MT)	0	0	0	0
7	Total domestic sales	***	***	***	***
8	Trend	100	155	224	218
9	Total demand (MT)	***	***	***	***
10	Trend	100	223	240	285
11	Share in imports				
12	Imports from Subject countries (MT)	0%	1%	15%	40%
13	Imports from other countries (MT)	100%	99%	85%	60%
14	Share in Demand				
15	Market share of Domestic sales in demand	40-50	30-40	40-50	30-40
16	% Share of Subject countries in demand	0	0-10	0-10	20-30
17	% share of other countries in demand	50-60	70-80	50-60	40-50

165. Based on actual export data submitted by the cooperating exporter/producer, the above data is modified as under:

S. No.	Year	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Imports from Subject countries (MT)	0	348	6218	24352
2	Imports from other countries (MT)	16261	44241	34843	32912
3	Total Imports (MT)	16261	44589	41061	57264
4	Trend	100	274	253	352
5	Domestic Industry sales (MT)	***	***	***	***
6	Sales of other domestic producers (MT)	0	0	0	0
7	Total domestic sales	***	***	***	***
8	Trend	100	155	224	218
9	Total demand (MT)	***	***	***	***
10	Trend	100	223	240	295
11	Share in imports				
12	Imports from Subject countries (MT)	0%	1%	15%	43%
13	Imports from other countries (MT)	100%	99%	85%	57%
14	Share in Demand				
15	Market share of Domestic sales in demand	40-50	30-40	40-50	30-40
16	% Share of Subject countries in demand	0	0-10	0-10	20-30
17	% share of other countries in demand	50-60	70-80	50-60	30-40

166. It is noted that there has been an increase in the absolute volume of imports from subject country in POI as compared to the previous years.

167. The share of subject country in total imports has increased from almost negligible in 2015-16 to 30% in the POI, whereas for non-SEZ units, the same has increased from negligible to 43% in the POI. Similarly, the market share of imports from subject country in total demand for non-SEZ units has increased from 0% in 2015-16 to ***% in the POI, whereas the share of domestic industry sales in total demand for non-SEZ units has decreased from ***% in 2015-16 to ***% in POI. Thus, volume of imports from the subject country have increased in absolute terms in relation to imports made only to non-SEZ units whereas the sales of domestic industry has decreased.

J. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

168. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the Cost of Production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from subject country. This analysis, is however, limited to imports of subject goods by non-SEZ units and Domestic Industry sales also to non-SEZ unit.

iii. Price Undercutting

169. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry for the investigation period. The price undercutting has been determined separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole.

Particulars - Total PUC	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
Landed price of imports	Rs/MT	30132	32993	32593	36484
Net selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	40-50	30-40	20-30	10-20

170. The Authority notes that the price undercutting is positive throughout the injury investigation period including the period of investigation.

iv. Price underselling / Injury Margin

171. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each coated and uncoated glass and thereafter for the product under consideration as a whole.

Price underselling	Unit	POI
NIP	Rs/MT	***
Landed price of imports	Rs/MT	36484
Price underselling	Rs/MT	***
Price underselling	%	***
Price underselling	Range	10-20

172. It is noted from the above table that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices.

v. Price suppression and depression

173. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Cost	Rs. /MT	***	***	***	***
2	Trend	<i>Indexed</i>	100	100	97	100
3	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
4	Trend	<i>Indexed</i>	100	102	99	101
5	Landed Price	Rs./MT	30132	32993	32593	36484
6	Trend	<i>Indexed</i>	100	109	108	121

174. It is seen that the cost of the Domestic Industry has remained more or less same during the injury investigation period. However, there has been a decline in the selling price of the Domestic Industry. The Domestic Industry has stated that the low priced subsidized imports from the subject country have prevented the Domestic Industry from increasing their prices. It is noted that the landed price of imports from the subject country have remained below the cost and selling price of the Domestic Industry. This shows that the imports are suppressing the prices of the domestic industry and are preventing the price increases, which otherwise would have occurred.

K. Economic parameters relating to the domestic industry

175. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

176. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

SN	Particulars	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Production	MT	***	***	***	***
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
5	Capacity Utilization	<i>Indexed</i>	100	117	77	73

177. The Authority notes that-

- To keep up with the demand, the Domestic Industry has continuously increased its capacity throughout the injury investigation period.
- The capacity utilization of the Domestic Industry has declined in the POI.
- The production of the domestic industry has increased over the injury period. The domestic sales of the domestic industry have also increased in the POI.

ii. Market Share

178. The details of imports (non SEZ units), domestic sales and market share of the domestic industry is as below:

SN	Market Share	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Sales of Domestic Industry	%	40-50	30-40	40-50	30-40
2	Sale of Other Producers	%	0	0	0	0
3	Subject Countries	%	0	0-10	0-10	20-30
4	Other Countries	%	50-60	70-80	50-60	40-50
5	Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

179. It can be seen that the market share of the domestic industry and other countries in demand have declined whereas share of subject country import has increased significantly.

iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed

180. The profit position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:

SN	Particulars	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Cost	Rs./MT	***	***	***	***
2	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
3	Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
4	Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
5	ROCE	%	***	***	***	***
6	ROCE	<i>Indexed</i>	-100	-83	-106	-111

181. The Authority notes that:

- The losses of the Domestic Industry have increased in the POI.
- Profit and return on capital employed of the domestic industry have followed the similar trend.

iv. Inventories

182. The data relating to inventories of the subject goods is as follows-

SN	Particulars	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Average Stock	MT	***	***	***	***
2	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	18	20	184

183. It is noted that the average inventories have increased in the POI as compared to the previous years.

v. Employment, wages and productivity

184. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period is as under:

SN	Particulars	Unit	2015-2016	2016-2017	2017-2018	POI
1	Wages	Rs	***	***	***	***
2	Wages	<i>Indexed</i>	100	117	105	139
3	Employment	Nos	***	***	***	***
4	Employment	<i>Indexed</i>	100	94	101	90

185. It is seen that the number of employees has declined over the injury period with an increase in wages and the productivity per employee and per day.

vi. Growth

186. There was negative growth of the domestic industry in terms of sales, production, profits, cash profit as well as ROI despite significant increase in demand. The Domestic industry has contended that they were not able to achieve positive growth due to the presence of the subsidized imports.

vii. Factors affecting domestic prices

187. The Authority notes that the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The market share of subject imports has increased over the period, whereas that of the domestic producers has declined. This shows that the imports are penetrating the market with low prices.

viii. Ability to raise capital investment

188. It is seen that the domestic industry has enhanced capacity for the subject goods over the period, making capital investment. However, despite increase in demand, the capacities are lying significantly underutilized.
189. It is noted that the volume parameters of the domestic industry have shown growth. However, they have not been able to keep up with increase in demand. Further, there has been deterioration in price parameters. The profits, cash profit and return on capital employed have also shown a significant decline over the injury period. The profitability of the domestic industry has declined over the injury period.

L. Conclusions on Injury

190. The Authority notes that the imports have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry. The price underselling is also positive. While the market share of subject imports has increased significantly, that of domestic producer has declined. The capacity utilization of the domestic industry has declined. Even though performance of the domestic industry has improved in terms of production and sales, the same was not proportionate to the increase in demand. Further, domestic sales and capacity utilization have declined; it is seen that the domestic industry is suffering from underutilized capacities. Further, the losses of the domestic industry have increased and its cash profits, PBIT and return on investment have followed the same trend. The Authority takes note of the fact that apart from the cooperating exporter, anti-dumping duties are in place against the subject goods from subject country. However, the subject goods continue to be imported at injurious prices. Accordingly, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

M. Causal Link

191. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

a. Volume and prices of imports from third countries

192. Imports of the product under consideration from each country other than Malaysia and countries already attracting anti-dumping duty in the POI are below 3% of the total imports.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

193. The Authority notes that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown significant increase over the injury period. Further, there have been no changes in the pattern of consumption which could have caused injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

194. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d. Developments in technology

195. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry

196. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

197. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

N. Factors relevant for causal link

198. The authority notes as under:-

- a. The imports of subject goods in the country are at lower prices than the domestic industry prices.
- b. Subsidized imports from subject country are coming into India in substantial volumes.
- c. The imports are undercutting the prices of the domestic industry which lead to the decline of the selling price of the domestic industry as the imports are suppressing the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.
- d. There is decline in market share of domestic producers due to the positive price undercutting.
- e. Consequent impact of subsidized imports on the domestic industry has been significantly adverse.

O. Post Disclosure Comments

199. The Authority issued a disclosure statement on 25.11.2020 disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under.

Submissions made by Domestic Industry

200. The Authority proposes to grant individual subsidy margin to the cooperating exporter despite the fact that the disclosure statement itself categorically reveals that information with regard to the availing of certain subsidy programs was not revealed either by the exporter or the Government of Malaysia.
201. The Authority invariably rejects the response that are found to be deficient or incomplete in respect of important information. It may be pertinent to point out that in the recent final finding issued by your good self [Anti-dumping investigation concerning imports of “New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps” (F.No. 6/30/2019-DGTR dated 27.11.2020)], they were found to be deficient, in this case where there is absolutely no doubt about the wilful suppression of facts and falsification of information by the Malaysian exporter as well as the Government of Malaysia, the disclosure statement appears to be inclined to accept their responses.
202. The disclosure statement further suggests that the so-called cooperating exporter may be granted individual subsidy margin which shall be contrary to the legal position as well as the established practices of the DGTR. Further, this undue benefit proposed to be given to them in the disclosure statement despite such conduct would tantamount to denial of the legitimate interests of the Domestic Industry.
203. As regards program no. 1 (Gas Subsidy); both, the Government of Malaysia (GoM) and the so-called cooperating exporter had declined that the said subsidy is available to the industrial users in Malaysia. The response of GoM though admits that the gas prices for Industrial users are regulated in Malaysia. Later, the verification reveals that the invoices of the exporters themselves state the existence of gas subsidies. The Authority has recognized the fact that the GoM and the exporter has wilfully tried to suppress information regarding this subsidy in its examination under paras 42, 114 and 115. Further, the Authority proposes to grant benefit to the Malaysian exporter by using the half-baked information submitted by the said exporter instead of a benchmark price which is uninfluenced by government intervention. While the Authority has recognised the falsification and suppression of information by the Malaysian exporter and the GoM, undue benefit is proposed to be given to them by not rejecting the responses of the said parties. The disclosure statement further suggests that the so-called cooperating exporter may be granted individual subsidy margin which shall be contrary to the legal position as well as the established practices of the DGTR.

204. As regards subsidized electricity due to gas subsidy; there is absolutely no information/submission either by the GoM or the cooperating exporter with respect to the benefit received by electricity companies in the form of gas subsidies which in turn leads to cheaper electricity cost and prices. While the Authority has recognised the submission of the Domestic Industry in para 33, in its examination, the Authority has not dealt with the submission of the Domestic Industry nor even mentioned the impact of gas subsidies on the cost of electricity. The subsidy on natural gas, while providing the industries in manufacturing sector access to cheap gas, leads to reducing the cost of electricity production. The electricity so produced at cheap rates leads to substantial overall cost reducing the cost reduction. Therefore, it was obligatory for the interested parties to have provided the relevant information to the Authority, in the absence of which their responses ought to be rejected.
205. As regards program no. 8 (Sales Tax Exemption); both, the GoM and the cooperating exporter had declined that the said subsidy is available to the industrial users in Malaysia. It was only after the lies of the exporter were caught during verification, some document was provided by the exporter thereby admitting that benefit had indeed been received by them. Till date, there is no response of GoM on the said subsidy scheme nor have they provided information to certify that information provided by the exporter is correct. The Authority has recognised the fact the GoM and the exporter has suppressed information regarding this subsidy in its examination under the following para; 154. *As regards program No. 8, Xinyi Solar (Malaysia) SDN BHD has not claimed any benefit under the program. However, during the desk verification, the company presented documents which showed that the company is availing the said subsidy.* While the Authority has recognised the falsification and suppression of information by the Malaysian exporter and the GoM, undue benefit is proposed to be given to them by not rejecting their response. Further, without there being confirmation from the GoM that the information given by the cooperating exporter is correct, the Authority could not have accepted the information supplied by the cooperating exporter. The response of the Malaysian exporter and the GoM should have been rejected on this ground alone.
206. As regards acceptance of the responses of the GoM and the Malaysian exporter; the Authority while clearly noted the falsification suppression of information in the responses of GoM and Malaysian exporter and has proposed to accord the Malaysian exporter individual dumping margin contrary to its own past practices and the expressed provision of law. Further, the Authority has recognised the fact that the GoM and the exporter had not provided the information regarding two subsidy schemes in its examination under paras 42, 114, 115 and 154. The Authority, despite clear findings regarding falsification and suppression of information by GoM and Malaysian exporter has proposed to accord the Malaysian exporter individual dumping margin country to its own past practices and the expressed provision of law. This is contrary to the consistent approach of the Authority to reject the responses of the parties who have either not provided complete information or have provided incorrect information.
207. Domestic Industry is not provided with the names of the schemes under which the foreign exporter has availed benefits.
208. It may be noted that while the Authority was able to identify the active lies of the exporter with respect to program 1 and 8, there still is no response of either the Malaysian exporter or the Government of Malaysia with respect to such schemes.
209. The examination of the Authority in an anti-subsidy investigation cannot be reduced to a “ball-chasing” event where the Authority is required to make sure that all the benefits received by the exporter has indeed been correctly reported in the response of the relevant exporter and the Government
210. The Domestic Industry further submits that to determine countervailability of a particular program or the benefit received under such program, it is imperative for the Authority to have complete information from the producer/exporters of the subject country and the Government of the subject country. It is for this very reason that the Authority has consistently refused to grant individual subsidy margin to the producers/exporters when no/incomplete response is received from the Government of such country.

211. The Government of Malaysia as well as the responding exporter has consciously and proactively provided false information to the Authority and have suppressed vital information and, that there is no response of Government of Malaysia to back-up the information provided by the responding exporter with respect to Program No. 1 and Program No. 8.
212. Even in anti-dumping duty investigation, the same responding exporter provided incorrect information with respect to their related party information. The same was found to be incorrect and at the fag-end of that investigation, the responding exporter changed its stance on insistence of Domestic Industry and after direct evidence was provided by the Domestic Industry clearly indicating that the information provided by the responding exporter was incorrect.
213. Responding Malaysian exporter, Xinyi Solar has not disclosed the existence of their related company in Malaysia. However, there is absolutely no discussion of this issue in the disclosure statement. As the Authority is aware that certain benefit received by subsidies are fungible and can be easily utilized by the group companies and, therefore, it is of utmost importance that the analysis of all the related companies is carried out appropriately.
214. In the countervailing investigation, initiated against India, Indian exporters face strict scrutiny about related party transactions and benefit availed by them. Even Government of India's response is rejected on finding small discrepancy in their data. We humbly request that if not more, at least the same level of scrutiny should be made against the exporters of subject goods from Malaysia. Surprisingly, we propose to reward such behaviour of the Government of Malaysia and the so-called cooperating exporter.

○ **Comments on specific subsidy schemes**

Program No. 1: Subsidies on natural gas

215. Having recognised that the price of natural gas in Malaysia itself is distorted, the import price of natural gas in Malaysia cannot and should not be used for setting the benchmark prices of natural gas for the purpose of subsidy computation. It is submitted that once the Authority has reached the conclusion that the price of natural gas in Malaysia itself is distorted, there is every reason to consider the import prices in Malaysia also as distorted on account of distorted domestic market prices. In such a situation and in the absence of any information from either the Government of Malaysia or the exporter, the Domestic Industry humbly requests the Authority to kindly set the benchmark prices at *** USD/MMBtu on the basis of the unsubsidized domestic prices in India as such prices are neither subsidized nor influenced by the Government intervention.
216. The Domestic Industry has not been provided with any information with respect to the benchmarked prices used for computing subsidy margin for non-cooperating Malaysian exporter. Such a benchmark price cannot be kept confidential from the Domestic Industry as the same is based on international import prices in Malaysia and does not pertain to confidential information provided by any party.
217. The Domestic Industry reiterates that the subsidy on natural gas, while providing the industries in manufacturing sector access to cheap gas, leads to reducing the cost of electricity production. The electricity so produced is thereafter supplied to the manufacturing industries at cheap rate leading to substantial overall cost reduction. Gas and electricity are critical components of manufacturing process in glass industry. Around 54% of the Malaysia's electricity generation comes from thermal sources with 54 percent of total generation coming from gas-fired plants.¹ Having found that natural gas pricing is distorted in Malaysia on account of government subsidization, the Authority should have also examined the impact of gas subsidies on the electricity provided to the Malaysian exporter. However, no such exercise has been carried out by the Authority.

Program No. 8: Sales Tax Exemption

218. While the Authority has recognised the falsification and suppression of information by the Malaysian exporter and the Government of Malaysia with respect to this program, undue benefit is proposed to be given to them by not rejecting the responses of the said parties. Further, without there being information from the Government of Malaysia that the information given by the cooperating exporter is correct, the Authority could not have accepted the information supplied by the cooperating exporter.

¹ <https://www.export.gov/apex/article2?id=Malaysia-Energy>

Program No. 17: Allowance for Plant & Machinery

219. With respect to Program No. 17, the Authority has found that this scheme is not countervailable. However, the said findings of the Authority are based on incorrect and misleading information submitted by the Government of Malaysia and the responding exporter. In this regard, the Government of Malaysia on page 106, point (f) of their submission has clearly stated that “government does not exercise discretion as to which firm is eligible to benefit”. However, contrary to the said submission of the Government of Malaysia, para 80 and 81 of schedule 3 of Income Tax, Act of Malaysia provides absolute discretion to the Minister to grant benefit under the scheme to any person who is otherwise eligible to get benefit under this scheme. Such an absolute and unguided discretion to the Minister leads to making the present program countervailable subsidy in terms of Article 2.1(c) of the SCM Agreement.
220. The detailed computation of NIP provided to the Domestic Industry reveals that the NIP of the Domestic Industry has been computed on the basis of optimized capacity utilization of the Domestic Industry. However, the total capacity of *** MT taken for this purpose is the total tempering capacity of the Domestic Industry. The Domestic Industry submits that the Product under Consideration is manufactured by tempering Annealed glass. The production capacity of the Domestic Industry is limited to the production capacity of Annealed Glass. Therefore, instead of taking the tempering capacity of *** MT, the Authority should have taken the production capacity of Annealed glass which is *** as the Domestic Industry cannot manufacture the subject goods beyond the production of Annealed glass.
221. The Domestic Industry requested for the certain essential information from the Authority through its email dated 26.11.2020 and 27.11.2020. However, apart from point Detailed NIP, no response has been received from the Authority.

Views of Other Interested Parties

222. Xinyi Solar submitted that although the Government of Malaysia (GoM) has admitted Gas prices are regulated by Government, the gas price offered to Malaysian users is higher than in other Asian markets and India as well.
223. In determination whether the Gas Program is countervailable, the DGTR has evaded talking about the specificity of the programs. The GoM has stated in the Questionnaire response that the industrial users of gas in Malaysia are charged based on tariff category and enterprises within the same category will be charged same price. Therefore, Program No.1 is not specific and thus cannot be regarded as countervailable.
224. Under Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism, gas pricing is adjusted every 6 months in order to match with market price and is expected to reach market price in 2020. In fact, GCPT mechanism has ended at the end of 2019. The gas supplier, Gas Malaysia Berhad has made company announcement regarding the change of gas price.
225. Xinyi Solar submitted that no subsidy was granted to Gas suppliers in Malaysia since January 2020. Starting from January 2020 the gas bill no longer has GCPT section or **"Government subsidies" ("Subsidi Oleh Kerajaan Persekutuan" in Malay)** which proved that GCPT mechanism has ended and the assistance has been cancelled since then.
226. Xinyi Solar has submitted that the “Program No. 8- Sales Tax Exemption is not applicable because LMW has eased the process of claim back import duty & sales tax, draw back action not required”.
227. During the most recent tax audit carried out by Malaysia Tax Authority, it has been concluded that Xinyi Solar has failed to meet one of the conditions. As a result, Malaysia Tax Authority had decided to withdrawn the ITA benefit and impose a tax payable for year of assessment 2018 amounting to MYR 17,072,972.88 attached with penalty amount MYR 2,560,945.93. One of the important conditions for availing ITA benefit was that the applicant should not have employed more than 20% of unskilled foreign workers.
228. The adoption of 8 year as Average Useful Life (AUL) does not match with actual average AUL of the company. The Authority should adopt AUL on the basis of average life of assets claimed and adopted in its Annual Report to work out the depreciation which meets the requirement of GAAP

229. The notional interest on gas subsidy and sales tax/customs duty and investment tax allowance shall be based on average of the POI i.e. 6 months and not one year. It is submitted that the average interest rate applicable during the POI was 4.06%, but the Authority has applied a notional interest cost on total subsidy worked out @ 6.5%. which is incorrect.
230. Based on the confidential version of the computation of Subsidy Margins, it has been observed that DGTR has considered impact of Investment Tax Allowance twice for the period of investigation. First impact has been considered based on actual utilization of ITA during the POI, the other one is by adding impact of notional impact of ITA by dividing closing balance of ITA as on 31st December 2018. The notional impact has been worked out by dividing the closing balance of ITA by AUL i.e. 8 years. When the ITA for the poi has been duly absorbed/utilized and accounted for computation of subsidy, there is no logic for working out additional impact of ITA on notional basis for the poi again in respect of closing balance of ITA. This accounts for double counting and should be rectified.
231. The Disclosure does not show that the DI has suffered any material injury during the POI on account of alleged subsidized imports of PUC from Malaysia;
232. Imports in the present case are primarily due to very significant demand supply gap and quality issues at the end of the petitioner. Alleged subsidy is not the reason for increase in imports as alleged;
233. Imports made by SEZ unit needs to be segregated for both volume and price parameters while conducting injury examination which is done only for volume parameters now.
234. Thus, the Disclosure does not show any concrete evidences of countervailable subsidy and consequential injury to the domestic industry in the export of PUC from Malaysia which should lead to the termination of the present investigation

P. Examination by the Authority

235. The Authority notes that the various cases referred to by the Domestic Industry for rejection of an incomplete response by an exporter including the recent case of *New pneumatic radial tyres (AD investigation)*. The participating exporter in the pneumatic tyre anti-dumping case had not provided many appendices pertaining to data. In the instant CVD case, the producer/exporter in the questionnaire response provided details of subsidies as availed by them. The Authority had also obtained response from the Government of Malaysia. The recently cited case of AD investigation on rejection of participating exporter is in fact materially different from the present case. Any CVD case needs to be investigated by referencing both the responses of the producer/exporter and the Government of the exporting country. In case some data of benefit of subsidy travelling to the producer/exporter is not provided in producers/exporters response, which may be on account of non-availability of the pertinent information with him but may be countervailable as a subsidy, the Authority in that event is obligated to correlate the same with the response of the Government. In the instant case, the information provided by the Malaysian Government and the producer/exporter has been correlated during the process of investigation to compute the countervailable subsidy margin. Therefore, it may happen in certain cases that the data provided by the producer/exporter may alone not be adequate and may require supplementation by the response of the Government to ensure that quantum of countervailable subsidy could be properly assessed. This is important since some subsidies could be computed directly on the basis of exporter's data while in some cases the pass through effect may need to be gauged.
236. The Authority notes that the Government of Malaysia in its response to schemes had specifically highlighted details of eligibility criteria and whether a benefit was received by the company under investigation among other details. In this regard the Government of Malaysia stated that the benefit was received by the exporter/producer under investigation on schemes Nos. 11,17,20 & 21 as stated Para 31 onwards of this finding. Further, the comments of the Government of Malaysia on other schemes including natural gas are specifically stated in Part F4 of this finding.
237. With regards to the submissions regarding certain specific subsidy schemes, the Authority notes the following -

Investment Tax Allowance (ITA)

238. The Authority notes the claim made regarding ITA by the cooperative producer/exporter on the Average Useful Life (AUL). The claim of the producer/exporter based on company as a whole and further with the audit report wherein the AUL is demonstrated between 10 and 15 years has been noted. In this regard the Authority notes that in the exporter questionnaire instructions (section C, Program Specific Questions, para 4), the indicative AUL has been mentioned as 10 years. The Authority therefore has not considered the exporter's claim of 10-15 years but has adopted the AUL of 10 years.
239. The Authority notes the post disclosure submission of the producer/exporter stating rejection of their ITA claims and its consequential refund along with penalty to the Government of Malaysia (GoM). The Authority holds that the claim of refund is not verifiable at this stage for reasons of its non admissibility or its restoration to the producer/exporter later. The Authority notes that the cooperating exporter has also post filing of their comments to the disclosure have in continuation of their earlier comments submitted an ITR return of 2019 and copies of relevant cheques to confirm that ITA has been discontinued to them. Therefore, this aspect may be filed by producer/exporter later under a review in accordance with relevant rules. The Authority has held ITA countervailable as has been stated in the disclosure statement and by considering the actual and the notional annualised allowance on the basis of AUL. The producer/exporter has also submitted that the interest rate adopted for various computations as 6.5% needs to be considered as 4.06% for which evidence has been furnished. The Authority has considered the same.

Licensed Manufacturing Warehouse (LMW)

240. The Authority notes that as regards the countervailability of Licensed Manufacturing Warehouse (LMW), there is no double counting as was clarified in the disclosure statement and also in the aforesaid relevant paras. The Authority reiterates that under this scheme the Custom duty foregone on import of plant and machinery has been countervailed and sales tax foregone both on plant and machinery and on domestic sales has been captured in the Program 8.

Sales Tax

241. The Authority notes that while input sales tax on plant/machinery/other inputs has already been addressed in the disclosure, the output sales tax pertaining to sales in the domestic Malaysia market has also been considered as countervailable. The Authority has therefore noting the submissions by various interested parties has also evaluated the subsidy available on account of exemption of GST on domestic sales during the POI and included in the total quantum of subsidy.

Natural Gas Subsidy

242. The Authority notes the submissions of the domestic industry, the cooperative exporter and the Government of Malaysia regarding the availability quantification including mechanism of subsidy granted on natural gas to various entities.
243. The Government of Malaysia has provided the mechanism of gas pricing in their response. They have claimed that currently the regulated gas price is slightly lower than the market price. The participating exporter during desk verification has explained that subsidy for the Federal Government shown in the invoice raised by the gas supplying company is the gas price difference between the export price of gas from Malaysia and the gas price for their domestic customers. The Authority notes that the invoices raised by the Gas company to the exporter the amount of subsidy from the Federal Government is depicted. While examining the annual report of the gas supplying company, it has been found that a further grant has also been given by the Government to this company. The same has also been considered as part of the subsidy. The Authority notes the submissions made by the domestic industry, stating that since the exporter filed the questionnaire response falsely, his response should be rejected. The Authority has dealt with this issue in the foregoing paras. As regards, domestic industry's submission that the import price of LNG into Malaysia is the appropriate benchmark for quantification of subsidy, the Authority notes that this claim on benchmarking is not appropriate as it is not an apple to apple comparison and that the HS Code of LNG and NG are also different. However, for the non-cooperative/residual producers/exporters the Authority has adopted this benchmark approach, keeping in view adverse fact approach.

244. During the course of data verification of the producer/exporter it emerged that natural gas was sourced from the gas company by M/s Xinyi Energy Smart (Malaysia) Sdn. Bhd., a related entity of M/s Xinyi Solar. It was then invoiced by M/s Xinyi Energy Smart to M/s Xinyi Solar at the same price. The Authority noting the relationship between the two companies has included the subsidy applicable to M/s Xinyi Solar in the quantum of subsidy evaluated for M/s Xinyi Solar.
245. In this regard the Authority also notes submission of the domestic industry regarding analysis of related companies of the cooperating exporter. The Authority therefore confirms that while computing the amount of subsidy in natural gas availed by the cooperating exporter, the Authority has in fact considered the subsidy accorded to its related company i.e. M/s Xinyi Energy Smart (M) Sdn Bhd and has adopted the same for M/s Xinyi Solar Malaysia SDN BHD.
246. The Authority notes that the Non confidential version of the exporter questionnaire response did not have names of subsidy schemes availed by the cooperating exporter. The Authority after due examination has addressed the concerns in the disclosure statement by providing the same.
247. The Authority notes the submission of the domestic industry regarding willful suppression of the facts and providing false information to the Authority and has addressed these concerns in the foregoing paragraph.
248. NIP has been worked out by optimising the capacity of Textured Tempered Glass by following due procedure as laid down vide Annexure III of CVD Rules.
249. As regards submissions of the domestic industry regarding data pertaining to SEZ and non SEZ units the Authority notes the same has been provided in the disclosure statement and is also contained in this final finding.

Q. Conclusions

250. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:
 - i. The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized prices
 - ii. The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
 - iii. The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

R. Indian Industry's Interests And Other Issues

251. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
252. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

S. RECOMMENDATION

253. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of Malaysia and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic

industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

254. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of five (5) years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive countervailing duty as mentioned in Col No.7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods from the subject country.

Duty Table:

Sl. No.	Heading/Sub-heading	Description of Group	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount as % of CIF value
1.	70071900	Textured Tempered Glass whether Coated or Uncoated	Malaysia	Malaysia	Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.	9.71
2	-do-	-do-	Any country other than Malaysia	Any	Xinyi Solar (Malaysia) Sdn. Bhd.	10.14
3	-do-	-do-	Any country other than Malaysia	Any country other than Malaysia	Any other than Sl no. 1 above	10.14

255. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

T. Further Procedure

256. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority